Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 | विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पन्द्रहवां दिवस | संख्या 9

सोमवार,

दिनांक 10 मार्च, 1969.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

[वन, वित्त, विद्युत्, पंचायत, सिंचाई, श्रम, खाद्य, चिकित्सा, उपनिवेशन, देवस्थान]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या–194

श्री नथमल चौहला

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या–195

श्री गोरधन सोनी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या–196

श्री देवीलाल बुरासिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या–197

श्री हीराभाई

ग्राम पंचायत ताम्बेसरा के सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग

197. श्री हीराभाई (कुशलगढ़-सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाडा की पंचायत समिति सज्जनगढ तहसील कुशलगढ़ ग्राम पंचायत ताम्बेसरा के सरपंच श्री भानुप्रताप सिंह ने उनके सरपंचकाल में अपने तीनों बच्चों के नाम ग्राम राणी में नौतोड़ जमीन 1965 या अब तक निम्न प्रकार अलाट करवाई है? यदि हां, तो प्रत्येक के नाम कितनी कितनी:--

(क) खसरा नम्बर 45 एकड 6–जयदेव सिंह पुत्र भानुप्रताप सिंह सरपंच।

(ख) खसरा नम्बर 4511-4 रकबा 1.50–1.20 ललित सिंह पुत्र भानुप्रताप सिंह सरपंच, ताम्बेसरा।

(ग) खसरा नम्बर 147 रकबा 1.42-सर्वे नम्बर 445 रकबा 6 एकड श्री महेन्द्र सिंह पुत्र भानुप्रतापसिंह सरपंच।

(2) क्या यह सही है कि श्री भानुप्रताप सिंह सरपंच के पास खुद के खाते में काफी जमीन है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त भानुप्रताप सिंह सरपंच के खिलाफ अपने पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उप मन्त्री ंचाय़त (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

Page No 2

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(2) सरपंच के खाते में 41.81 एकड़ जमीन है।

(3) भूमि का आवंटन अलाटमेंट कमेटी द्वारा किया गया है। इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हीराभाई : कितनी एकड़ सरपंच के पास निजी खाते में जमीन है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 41.81 एकड़ है।

श्री हीराभाई : 41 प्वाइंट, प्वाइंट...

श्री अध्यक्ष : आप प्वाइंट को छोड़ दीजिये और 41 को पकड़ लीजिये।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि जो जमीन एलाट की जाती है, उसमें कानून ऐसा है कि एक किसान के पास कितनी जमीन उसके पास हो, कितनी जमीन होने पर वह भूमिहीन ही माना जाये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां। इसका नियम है। एलाटमेंट कमेटी देखकर ही कार्य करती है।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि जो एलाटमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन राज्य तहसीलदार हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां। उसमें एम. एल. ए. भी सदस्य हैं। प्रधान भी होता है। बी. डी. ओ. भी होता है। सरपंच भी होता है। तहसीलदार भी होता है।

श्री हीराभाई : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि एम. एल. ए., प्रधान, सरपंच कोई भी रिकार्ड रेवेन्यू विभाग की सलाह से ही करते हैं। तो क्या उन पर यह कानून लागू नहीं होता है कि एक आदमी के पास इतनी ज्यादा जमीन है बाकी उसने तीन पुत्रों के नाम जमीन और अलाट करवा ली है। तो वह कानून उन पर लागू नहीं होता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कानून सब पर बराबर लागू होता है। कमेटी के हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई गलत कार्य हो तो उसको रोके।

श्री हीराभाई : तो सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि जिन्होंने यह गलत अलाटमेंट करवाया है। वह जमीन खारिज करवा कर सम्बन्धित तहसीलदार के खिलाफ उचित नियमों के अनुसार कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसके लिए नियम बने हुए हैं। उसके अनुसार कार्यवाही की जाये। कलेक्टर को रिपोर्ट की जाये। उसके लिए अपील का प्रावधान है। उसके लिये कार्यवाही हो सकती है। मेरे आश्वासन से कुछ नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए नियम बने हुए है। नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है। उसके द्वारा कमेटी के सदस्य कर सकते हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरपंच द्वारा दुरुपयोग किया गया ऐसी कोई भी शिकायत मेरे विभाग के पास नहीं आयी है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियम बने हुए हैं।

नेक्स्ट।

श्री हीराभाई : एक सरपंच होते हुए भी उन्होंने जो 3 नाबालिग पुत्रों के नाम जमीन एलाट करवाई है। उन्होंने सरपंच पद का दुरुपयोग किया है या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरपंच पद के दुरुपयोग करने की कोई शिकायत नहीं आयी हैं। कमेटी का एक मेम्बर वह भी है।

श्री अध्यक्ष : उचित है या नहीं ? यह पूछ रहे हैं।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): मानने का प्रश्न नहीं है। तहसीलदार लैंड एलाटमेंट कमेटी के डिसीजन से यदि कोई एग्रीव्ड है तो वह कलेक्टर को अपील कर सकता है। अगर उसके डिसीजन से भी वह एग्रीव्ड है तो गवर्नमेंट के पास अपील की जा सकती है। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। इसके लिए पंचायत की तरफ से एक्शन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हीराभाई : मैं अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के और भी केस सरकार की जानकारी में आये हैं ? भानुप्रतापसिंह जो कि एक प्रमुख कांग्रेसी हैं और प्रधान हैं...

श्री परसराम मदेरणा : यह तो हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि जो समाजवादी सदस्य हैं, उन्होंने जमीन एलाट करवाली है तो वहां उनके खिलाफ धारा 17 लगवाकर उनके ऊपर केस चले हैं और भानुप्रताप सिंह कांग्रेस के सरपंच हैं तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 198

श्री पी. के. चौधरी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 199

श्री नाथूराम।

चिपबोर्ड फैक्टरी, बांसवाड़ा

199. श्री नाथूराम (वागीडोरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में 1960-61 में एक चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की स्थापना हुई थी ? यदि हां, तो उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के समक्ष अब बांसवाड़ा की वन सम्पदा का अन्य क्षेत्र में सदुपयोग करने के निमित्त एक और इसी प्रकार की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके कार्यान्वित कब तक होने की संभावना है तथा इससे राज्य सरकार को कितना आर्थिक लाभ होगा ? कृपया योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 4

वन मन्त्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की वन सम्पदा के सदुपयोग हेतु विभागीय कार्य कराने का कुछ समय पूर्व ही निर्णय लिया है। योजना की रूपरेखा अभी तैयार नहीं की गई है। अत राज्य सरकार को कितना लाभ होगा, नहीं कहा जा सकता।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि चिप्स बोर्ड फैक्टरी ने बांसवाड़ा के जंगलों को साफ कर दिया है ?

राव श्री नारायणसिंह : यह सही नहीं है कि उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया है। लेकिन चिप्स बोर्ड फैक्टरी के साथ में 8-2-62 को कन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अनुसार 61 एकड़ सागवान हर साल कटने को थे। इसके साथ और भी एग्रीमेंट हुए थे। उन्होंने कुछ कार्य किया था लेकिन तीन साल के अन्दर एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर सके। सारी चीजें नहीं लगा सके तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि चिप्स बोर्ड फैक्टरी के साथ कितने साल का एग्रीमेंट हुआ ?

राव श्री नारायणसिंह : चिप्स बोर्ड फैक्टरी के साथ 30 साल का एग्रीमेंट हुआ था लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : एग्रीमेंट को एक्जीक्यूट नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, हमने हाउस में कटमोशन भी दिया था। लाखों एकड़ जंगल की जमीन को खत्म किया गया। एक पूंजीपति को पनपाया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय एग्रीमेंट की कापी सदन की मेज पर रखेंगे ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर सकता हूं कि एग्रीमेंट जो हुआ था उसके अनुसार 6,400 एकड़ के सागवान के जंगल को हर साल काट सकता था। इस ठेके की म्याद तीस साल तक की थी। सरकार ने कान्ट्रैक्टदार को यह गारन्टी की थी कि फी एकड़ में से कम से कम 125 घन फीट की 8 इंच डायामीटर की गोलाई का चिरने योग्य सागवान होगा। 8 टन फी एकड़ चिप बोर्ड बनाने के लायक माल होगा। इसके अनुसार तीन साल में इक्विपमेंट लगाने का था। इसके एवज में वह 6 लाख 50 हजार रुपया सालाना देगा—ऐसा तय हुआ था और आठ साल के बाद 7 लाख देगा—ऐसा था। चूंकि वह शरायत को पूरा नहीं कर सका इसलिए उनका यह सब कार्य बन्द कर दिया गया। इस विषय में पहले जो जौगमाल कम्पार्टमेंट नं. 33,328 दिया गया था ...... उस एग्रीमेंट के मातहत पहले वह कटाई के लिए था। जब वह एग्रीमेंट की शरायत को पूरा नहीं कर सका और मशीन वगैरह नहीं लगा सका तो उस चीज को बन्द कर दिया गया और 20-10-68 को यह आज्ञा प्रसारित कर दी गई कि उसका लाइसेन्स खत्म कर दिया जायगा।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि उसने सारा मशीन लगाई थी ? अगर लगाई थी तो कितनी लगाई थी ?

राव श्री नारायणसिंह : एक सॉ मिल लगाई।

श्री नाथूराम : आरा मशीन कितनी ?

राव श्री नारायणसिंह : वह मूल तादाद नहीं बता सकता कि कितनी थीं, परन्तु सॉ मिल लगाई।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग की तरफ से एक आरा मशीन लगी हुई है, उसमे दो तीन लाख का बिजनिस बांसवाड़ा के लोगों को मिलता है। लेकिन इस ठेकेदार ने 18 आरा मशीन लगाई और सैकड़ों एकड़ जंगल को नष्ट कर दिया। इस कारण वहां हर साल दुष्काल हो रहा है और गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड रहा है। इस चिप बोर्ड फैक्ट्री ने विदेशी प्लान्ट नहीं लगाया। क्या मशीनों से चिराई के लिए एग्रीमेंट था ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं मानता हूं, एग्रीमेंट के मुताबिक जोगमाल के कम्पार्टमेंट को कटाई के लिए दिया गया। आरा मशीन से कटाई के लिए बाद मे महसूस किया गया कि जंगल की कटाई ख्वामख्वाह हो रही है। वह एग्रीमेंट की शरायत को पूरा नहीं कर सका है, इसलिए 20-10-68 को लाइसेन्स को कैंसिल करने के लिए आज्ञा कर दी गई। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सुन लें। इस दरम्यान, 1963 के बाद तीन साल की उनको जो म्याद दी गई वह 1966 में खत्म होती थी। उसके बाद उसी दौरान 1964 में 80 सी. पी. सो. के अन्दरीं में नोटिस दिया था। वह ला डिपार्टमेंट के एक्जामिनेशन के अन्तर्गत है। उसको एक कमेटी भी बैठाई गई थी, जिसके अन्दर फाइनेन्स सेक्रेटरी, ला सेक्रेटरी और रेवेन्यु सेक्रेटरी–तीनों उसको एक्जामिन करने के लिए बैठे थे और उसको सब शरायत मोडीफाई किस प्रकार की हो–इसके बारे में बात हुई थी। वह खुद आया था। जब उसके अन्दर निश्चितता नजर नहीं आई· · ·

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दीजिये· · ·

राव श्री नारायणसिंह : तो 20-10-68 को लाइसेन्स कैंसिल करने की बात हुई।

श्री भैरोंसिंह : चिप बोर्ड फैक्ट्री के साथ एग्रीमेंट टाइम पर एक्जीक्यूट नहीं होने के कारण, क्या यह सही है, गवर्नमेंट उस चिप बोर्ड फैक्ट्री के मालिक के ऊपर एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण जुर्माना नहीं कर सकती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (चिकित्सा मंत्री) यह कानूनी मामला है।

राव श्री नारायणसिंह : चिप बोर्ड फैक्ट्री के ऊपर जुर्माना नहीं कर सकते जब कि एग्रीमेंट शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए हो मोडीफाइड वे में किस प्रकार एग्रीमेंट हो· · ·

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है, आपने उसको सारा लाइसेन्स वगैरह, सारा कुछ दिया लेकिन एग्रीमेंट एक्जीक्यूट नहीं कराया–इस कारण उस पर पैनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते ? क्या यह फैक्ट है ?

राव श्री नारायण सिंह : इन सब मामलों के अन्दर ला डिपार्टमेंट को राय ली है।

श्री भैरोंसिंह : ला डिपार्टमेंट की राय का सवाल नहीं है। एग्रीमेंट एक्जीक्यूट होने के बाद लाईसेन्स मिलता है। आप बतायें कि क्या एग्रीमेंट पहले हो गया था और बाद को लाइसेन्स दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज करूं···

राव श्री नारायण सिंह : एग्रीमेंट 1962 में हो गया था। उसमें कई शरायतें थीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पार्टी के दस्तखत 1962 में हो गये थे ? एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाया था 1962 में।

राव श्री नारायण सिंह : क्या फर्माया

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेंट का एक्जीक्यूशन पूरा हो गया था इन्क्लूडिंग दी सिगनेचर्स आफ बोथ दी पार्टीज।

राव श्री नारायणसिंह : दोनों पार्टी ने दस्तखत किये थे, वह एक्जीक्यूट हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : कब किये थे ?

राव श्री नारायण सिंह : 1962 के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आरम्भ के ड्राफ्ट में चिप बोर्ड फैक्ट्री से तय किया था, जिसकी कापी सदन की मेज पर रखी थी, उसमें तीन वर्ष का कान्ट्रैक्ट नहीं था बल्कि तीस का था ?

श्री अध्यक्ष : 30 कहा है। माननीय मंत्री ने 30 कहा है, थर्टी ईयर्स।

नेक्स्ट !

श्री नाथूराम : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इस एग्रीमेंट के अनुसार विदेशी प्लान्ट कितने वर्ष, कब तक लगाने का तय किया गया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ! श्री हरनाथ सिंह !

श्री भैरोंसिंह : पैनल्टी क्या इम्पोज की है, यह बताये ?

श्री अध्यक्ष : पेनल्टी का उसमें क्या प्राबीजन था ?

राव श्री नारायण सिंह : पेनल्टी के लिए, जो नुकसान किया है उसके लिए सी.पी.एम. की रिपोर्ट मांगी गई है कि पेनल्टी वसूल की जा सकती है नियमों के अनुसार।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा हूं···

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ठेकेदार ने बांसवाड़ा में दुष्काल कर दिया है। मंत्री महोदय बतायें कि विदेशी प्लान्ट कब तक लाना था ?

राव श्री नारायण सिंह : विदेशी प्लान्ट चाहे जब लाने का हो वह नहीं ला सका। इसलिए ही लाइसेन्स को कैंसिल करने की आज्ञा प्रसारित कर दी गई है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मेरा प्रस्ताव था, कट मोशन था और उन पर इस हाउस में विरोध होने पर इसके खिलाफ कार्यवाही हुई है। बाकी तब तक सब लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

Page No 7

श्री नाथूराम : क्या यह ठेका कैंसिल कर दिया गया ?

राव श्री नारायण सिंह : ठेका कैंसिल करने का आर्डर दे दिया गया है।

श्री हीराभाई : (कुशलगढ) माननीय मंत्री ने पैनल्टी वसूल करने की कार्यवाही नहीं की वह कब तक करेंगे ? पैनल्टी वसूल करने का फैसला कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष विचाराधीन है।

श्री नाथूराम : लाखों ...

श्री हीराभाई : लाखों रुपया सरकार का बरबाद हो गया है। यह इस तरह की जिम्मेदारी बरत रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 200

श्री हरलालसिंह खर्रा !

अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

नियोजन अधिकारियों का चयन

201. सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ऐसे कौन कौन नियोजन अधिकारी हैं जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं हुआ है ? इन व्यक्तियों के नाम मय उनके पिता के नाम के और नियुक्ति की तारीख के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : निम्नांकित अधिकारियों का नाम पिता के नाम के साथ दर्ज है। साथ ही नियुक्ति की तारीख है जो पी. एस. सी. की ओर से नियुक्ति तय नहीं की गई है :—

1.	श्री राम सहाय मीणा	श्री हाथीराम मीणा	11-1-62
2.	कु. कमला भील	श्री भीखा भाई	29-10-66
3.	श्री गुलाबचन्द जैन	श्री बजरंग लाल	12-5-67
4.	श्री बलराम सिंह	श्री दलकुमार सिंह	17-5-67
5.	श्री फतेहलाल भण्डारी	श्री जोरावर सिंह	24-6-67
6.	श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव	श्री कन्हैया लाल	24-6-67

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनमें से कौन कौन नियोजन अधिकारी लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन के समय अस्वीकृत कर दिये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन सभी का चयन होना बाकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनमें से रिजेक्ट कौन कौन हुए हैं जो पी. एस. सी. के सामने इन्टरव्यू में एपीयर हुए उसमें। आपने पी. एस सी. के द्वारा इन्टरव्यू किये बिना इनका अपाइन्टमेंट कर दिया वह तो इर्रेगुलर है ही लेकिन जो पी. एस. सी. से रिजेक्ट हो गये फिर भी उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नियोजन अधिकारी नियुक्त कर दिया–ऐसे कौन कौन नियोजन अधिकारी हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने पूछा है, वह छः आफिसर है जिनका पी. एस. सी. के द्वारा सेलेक्शन नहीं हुआ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि पी.एस. सी. ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इनमें से दो व्यक्ति तो वह हैं जो सरप्लस डिक्लेअर हुए हैं, 3, 5, 6–तीन व्यक्ति इनमें से ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के अन्दर केस जाने को है, और दो व्यक्तियों का केस पी. एस. सी. के सामने जाना है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) : रिजेक्ट कौन कौन नियोजन अधिकारी हुए हैं यह बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. एस. सी. द्वारा जो नियोजन अधिकारियों के लिए इन्टरव्यू हुए थे उसमें इनमें से कौन कौनसे केन्डीडेट रिजेक्ट कर दिये गये थे और फिर भी जिनको आपने अपाइन्ट कर दिया था ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह इन्फार्मेशन नहीं है मेरे पास वैसे रिजेक्शन का सवाल नहीं है। सभी नाम पी. एस. सी. में जायेंगे। सभी का सेलेक्शन होना बाकी है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इनमें से किन्हीं अधिकारियों के नाम पी. एस. सी. के अन्दर भेजे गये थे और पी. एस. सी. ने उनको रिजेक्ट कर के भेजा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभी के नाम पी. एस. सी. के सामने भेजे गये है। इन सबको इन्टरव्यू में शामिल होना है।

श्री भैरोंसिह : वह दुबारा इन्टरव्यू होने की बात है।

श्री अध्यक्ष : क्या इनमें से कोई अधिकारी पहले पी. एस. सी. के सामने एपीअर हुए थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी सूचना के अनुसार इनमें से कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो 1962 में नियुक्त किये गये, श्री रामसहाय को 1962 में नियोजन अधिकारी नियुक्त किया गया, तो क्या यह मान कर चला जाय कि 1962 के पश्चात् पी. एस. सी. के द्वारा नियोजन अधिकारी के लिए कोई भी चयन नहीं किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी तक कोई चयन नहीं हुआ है। अभी तक कोई पी. एस. सी. के सामने गया नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आपके नियमों के अनुसार ऐसे पद पर नियुक्ति, जिस पर पी. एस. सी. के चयन के बाद होनी चाहिए, उससे पहले एडहोक बेसिस पर कर दी जाती है तो कितने दिन के अन्दर अन्दर उसको पी. एस. सी. के अन्दर भेजना चाहिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडहोक अपाइन्टमेंट की छः महीने के अन्दर अन्दर सूचना पी. एस. सी. को दे देनी चाहिए, और जितनी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
नियुक्ति की आवश्यकता है उसकी सूचना भी उसके पश्चात् दे देनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान कर चला जाय कि विभाग के द्वारा छः महीने के अन्दर अन्दर इस बात की सूचना कर दी गई कि विभाग में इतनी जगह खाली हैं और यह यह व्यक्ति · · ·

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पी. एस. सी. को हर वर्ष सूचना भेजी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : हर साल नहीं, छः महीने में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिनको 1962 में नियुक्त किया गया, क्या उनकी छः महीने के अन्दर अन्दर सूचना पी. एस. सी. को भेजी गई थी ? छः महीने के बाद उनका अपाइन्टमेंट कन्टीन्यू क्यों कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनको अनुसूचित जाति के कोटे के अगेन्स्ट रखा गया था और उनके लिए कोई जगह विशेष खाली नहीं थी इसलिए कन्टीन्यू होते रहे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 202

राजवी श्री रूपसिंह !

अनुपस्थित, (कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 203

श्री नत्थीलाल !

अनुपस्थित

(कृपया आगे देखें)

श्री विट्ठल भाई !

तहसीलदार घाटोल द्वारा पकड़ी गई शक्कर की बोरियां

204. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, तहसील घाटोल में तहसीलदार ने ग्राम पंचायतों की शक्कर की बोरियां बेची हुई पकड़ी थीं और उन डीलरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) वे शक्कर की बोरियां किन किन ग्राम पंचायतों की और कितनी कितनी बोरियां थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 205। श्री भैरोंसिंह !

अफीम का बिक्री कर

205. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अफीम की बिक्री पर जो बिक्री कर लगाया

(श्री भैरोंसिंह)
था वह प्रारम्भ में खरीददार याने नारकोटिक्स विभाग से ही वसूल किया गया था ? यदि हां, तो किस साल से कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि अब यह कर बेचने वाले काश्तकार से वसूल करना प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रक्रिया की बदल से किसान को आर्थिक हानि हो रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) राज्य सरकार ने अफीम की खरीद पर दिनांक 6-3-65 से कर लगाया है। और इसकी वसूली के लिये भारत सरकार के नार्कोटिक्स विभाग के ही, जो किसानों से अफीम खरीदता है, कर निर्धारण किये गये हैं। उक्त विभाग से मांग की वसूली की कार्यवाही चालू है।

(2) राज्य सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

(3) क्योंकि राज्य सरकार ने प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): तो क्या यह माना जाय कि इस कर की वसूली नारकोटिक विभाग से ही की जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री सुवालाल चौधरी।

कालख सागर की नहर

206. श्री सुआलाल चौधरी (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलेदारी मौजमाबाद के तहत बन्ध छापरवाड़ी में पानी ले जाने हेतु कालख सागर की नहर से एक सप्लाई कट बनाई गई थी ? अगर हां, तो इसका काम शुरू में कौनसी तारीख को शुरू किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सप्लाई कट में बिचून आदि के पहाड़ का पानी व कालख की नहर का पानी बरसात में अधिक आता है इससे हर वर्ष ग्राम गिधानी, सावरदा के पास यह सप्लाई कट टूट जाती है ? अगर हां तो इस जगह आज तक मरम्मत में कितना पैसा खर्च हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि कालख सागर की नहर से वर्षा का पानी बन्ध घोरावतान (मौजमाबाद) में जाता था परन्तु उक्त सप्लाई कट के बनने से इस नहर का पानी इस सरकारी बन्धे से रोक लिया गया है जिससे हर वर्ष यह बन्धा खाली रहता है ?

(4) क्या सरकार नहर कालख का पानी वर्षा के समय बजाय सप्लाई कट में जाने के इस बन्धे में जाने देने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे बन्धा भी खाली न रहे और हर वर्ष सप्लाई कट के टूटने का खतरा कम होकर बेकार खर्चा मरम्मत पर न हो ?

राज्य मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री मनफूल सिंह) : (1) जी हां। कार्य अगस्त सन् 1953 में शुरू किया गया था।

(श्री मनफूल सिंह)

(2) जी हां, किन्तु हर वर्ष नहीं। पिछले 15 वर्षों में इस मरम्मत पर लगभग 6000) रुपया खर्च हुआ।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सप्लाई कट 53 में बना, यदि हां तो इस सप्लाई कट के बनने से पहले कालख के बन्ध का पानी कौनसी नहर में जाया करता था ?

श्री मनफूल सिंह : आपका तात्पर्य यह है कि इससे पहले इस बांध में ज्यादा पानी रहता था। 1951 में इसमें 3 फुट 5 इंच पानी था, 52 में 2 फुट 5 इंच पानी था, 55 में और 56 में 5 फुट पानी था, 57 में 3 फुट 4 इंच पानी था और 59-60 में 4 फुट 9 इंच पानी रहा है। इससे यह मतलब है कि इसके बनने के बाद वन्ध का पानी कम नहीं हुआ।

श्री सुवालाल चौधरी : मैं मन्त्री महोदय से सही अर्ज करता हूं कि इस सप्लाई कट के बनने से पहले सारा पानी इस बन्ध में जाया करता था इस बन्ध की 8 फुट की भराई है पर 53 में यह सप्लाई कट बनने से हर साल बन्ध में पानी कम आता है और हर साल बन्ध खाली रहता है। जो सप्लाई कट बना है, उसमें बिचूण के पहाड़ के इतने गांव हैं कि हजारों रुपया हर साल इसकी मरम्मत में खर्च होता है, मन्त्री महोदय ने 6 हजार का आंकड़ा बताया, पर यह आंकड़ा उनको गलत बताया गया है वास्तविक स्थिति यह है कि एक नया बांध बन जाय इतना पैसा इस सप्लाई कट की मरम्मत में खर्च हो जाता है। आप लघु सिंचाई को प्रोत्साहन देने की बात कहते हैं पर इस तरफ आप ध्यान नहीं देते कि इस सप्लाई कट के बनाने से कई गांव गैर आबाद हो गये हैं। यह सिंचाई विभाग का बांध है, इस तरफ ध्यान नहीं देते तो आपकी लघु सिंचाई की योजना केवल ढोंग मात्र है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जिस तालाब का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वह सिंचाई विभाग का नहीं था, यह जागीर रिजम्प्शन में सिंचाई विभाग को ट्रान्सफर हुआ है। जो फीगर्स राज्य मंत्रीजी ने बताये हैं, उनसे साफ जाहिर है कि इस बांध में पहले जितना पानी आता था, सप्लाई कट के बन जाने के बाद भी उतना पानी आता रहा है। बड़े बांध से ज्यादा सिंचाई होती है उसको रेगुलेट करने के लिए इस बांध में पानी को डायवर्ट किया गया और उसको रेगुलेट करने के लिए 53 में यह सप्लाई कट बनाया।

श्री सुवालाल चौधरी : सप्लाई कट 53 में बनाया गया उसके बाद से बांध में पानी कम ······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, सिंचाई का मामला है······

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह सारा पानी मंत्री जो के घर पर चला जाता है ?

Page No 12

श्री सुवालाल चौधरी : सिंचाई विभाग की देख रेख में सारा पैसा लगता है······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे महत्त्वपूर्ण प्रश्न का मंत्री महोदय ने गलत जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हलवाई एसोसियेशन जोधपुर के विरुद्ध कार्यवाही

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हलवाई एसोसियेशन जोधपुर को माह नवम्बर 1967 में एक वैगन शक्कर जिसमें 145 बोरियां थीं एलाट की गई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि इसी हलवाई एसोसियेशन के पास एक दूसरा वैगन शक्कर जिसमें भी 145 बोरियां थीं जनता में वितरण के लिये अमानत के तौर पर रखा था ?

(3) क्या यह सही है कि यह दूसरा अमानती वैगन भी इस हलवाई एसोसियेशन ने हड़प लिया ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश जोधपुर ने हलवाई एसोसियेशन के पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने का आदेश दे दिया था ?

(5) क्या यह सही है कि खाद्य आयुक्त ने जिलाधीश, जोधपुर को तार देकर कानूनी कार्यवाही करने से रोक दिया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया तार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, खाद्य विभाग (रामदेव सिंह): (1) जी नहीं। सही स्थिति यह है कि दिनांक 10 अक्टूबर, 1967 को जिलाधीश, जोधपुर द्वारा हलवाई एसोसियेशन, जोधपुर को दो मीटर गेज वैगन चीनी का आवंटन किया गया था।

(2) जी नहीं, हलवाई एसोसियेशन को 2 वैगन चीनी भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक साथ दो माह का आवंटन (नवम्बर 67 व दिसम्बर 67) दिये जाने के कारणवश इस एसोसियेशन को दो वैगन चीनी हिन्दुस्तान शुगर मिल्स गोला गोकरणनाथ से आयात करने की आज्ञा प्रदान की गई थी।

(3) जी नहीं, हलवाई एसोसियेशन ने इस दूसरे वैगन चीनी को हड़पा नहीं था, वरन् नियमानुसार ही माह दिसम्बर 67 के हेतु अपने सदस्यों में वितरण किया था।

(4) जी हां।

(5) जी हां। क्योंकि हलवाई एसोसियेशन द्वारा दिसम्बर 67 की चीनी जो पूर्व में आवंटित की गई थी, का वितरण अपने सदस्यों में किया जाना नियमानुसार था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए "जी हां" कहा है। यदि जिलाधीश जोधपुर ने हलवाई एसोसियेशन के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिये थे तो उसका क्या कारण था ?

श्री रामदेवसिंह : दरअसल बात यह थी कि कोटा दो महीने का दिया था और यह

(श्री रामदेव सिंह)

आदेश दिये थे कि नवम्बर का कोटा बांटा जाय और दिसम्बर का कोटा नहीं बांटा जाय । मेम्बरों ने आपस में मिल कर तय कर लिया कि हमारा चूंके काफी पैसा लगा है, काफी ब्याज का नुकसान होता है जिस तरह नवम्बर में दिया है वैसे ही दिसम्बर में भी दे दिया जाय। हलवाई एसोसियेशन ने कोटा बांटना शुरू किया तो कलेक्टर ने उनको शोकाज नोटिस दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि दोनों वेगन हलवाई एसोसियेशन को अलग अलग समय पर दिये थे ?

श्री रामदेवसिंह : 10 नवम्बर, 1967 में दोनों अलॉट किये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों वैगन्स एक साथ अलॉट किये गये थे हलवाई एसोसियेशन को तो कलेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूशन को अवैधानिक कैसे माना और बगैर इजाजत के यूटिलाइज कर लिया इसका शोकाज नोटिस कैसे दिया ?

श्री रामदेवसिंह : दो महीने का अलॉटमेंट भारत सरकार की तरफ से किया गया था और पूरे राजस्थान में भी इसी तरह से दो महीने का साथ दे दिया गया था। जोधपुर में भी इसी तरह से दो महीने का साथ दे दिया था। दूसरे महीने का पहले बांटना शुरू किया था इसलिये······

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलॉटमेंट कौन करता था ?

श्री रामदेवसिंह : कलेक्टर ने अलॉटमेंट किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलेक्टर ने ही अलॉटमेंट किया और कलेक्टर ने ही आदेश दिये कि इनका प्रोसीक्यूशन किया जाय, यह क्या स्थिति है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : कलेक्टर ने हलवाई एसोसियेशन को इम्पोर्ट करने के आदेश दिये, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, अक्टोबर नवम्बर का दो महीने का कोटा एक साथ दिया था। हलवाई एसोसियेशन वगैरह के लिये मथली निर्धारित था, भारत सरकार ने दो महीने का कोटा एक साथ इम्पोर्ट करने की इजाजत दी थी, उसी के अनुसार नवम्बर दिसम्बर का कोटा हलवाई एसोसियेशन को दो महीने का एक साथ मिला, बाद में पार्शियल डी-कन्ट्रोल की नीति के तहत जो आदेश दिये गये उनके सम्बन्ध में कलक्टर गलतफहमी में रहा कि उन आदेशों को दिसम्बर में ही लागू करना है इसलिये कलेक्टर ने उनको दिसम्बर का कोटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का आदेश दिया, पर जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया तो कलेक्टर ने शो काज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस को फूड डिपार्टमेंट को रेफर किया कि सबके लिये एक नीति अपनाई जाय राजस्थान के दूसरे लोगों के लिए पार्शियल डी-कन्ट्रोल की नीति नहीं अपनाई जा सकती उसी प्रकार हलवाई एसोसियेशन को 2 महिने का कोटा उठाने की इजाजत दी गई। और इस तरह शोकाज नोटिस के तहत कलेक्टर ने जो प्रोसीक्यूशन का ऑर्डर दिया था उसके लिये हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, इनका प्रोसीक्यूशन नहीं किया जाय। पार्शियल डीकन्ट्रोल जनवरी से अमल में लिया जायगा, न कि दिसम्बर में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्रासीक्यूशन का आॅर्डर होने के बाद फिर गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि दूसरा वेगन, जो उन्होंने केवल इम्पोर्ट करने के लिये आज्ञा दी थी, उसको बाद में गवर्नमेंट ने रिलेक्स किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने पहले निवेदन किया, पार्शियल डीकन्ट्रोल के बाद राजस्थान की चीनी की मात्रा कम रखी गई थी। साठ प्रतिशत कन्ट्रोल में रखी गई और 40 प्रतिशत फ्री मार्केट में रखा गया क्यों कि यह पहले की कोटा थी और कमी जो हुई है वह बाद में हुई है, इसलिये पहले की कोटा जोधपुर वालों को भी मिलनी चाहिये थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री जी इवेजिव रिप्लाइ दे रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिस तारीख हलवाई एसोशियन ने दूसरा वेगन कन्ज्यूम कर लिया उस तारीख में वह कोटा हलवाई ऐसोसिएशन के नाम एलॉट नहीं था। इसलिये कलेक्टर ने प्रासीक्यूशन का आॅर्डर दे दिया और गवर्नमेंट ने उसके बाद में जाकर एलॉट किया है। क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही नहीं है। सही स्थिति यह है कि उनको शुरू में जिस वक्त इम्पोर्ट करने को इजाजत दी गई थी, उस वक्त पार्शल डीकन्ट्रोल नहीं था। बाद में पार्शल डीकन्ट्रोल की स्कीम आई और भारत सरकार ने उसे दिसम्बर से लागू करने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि नवम्बर की कोटा क्यों कि जनवरी में मिली है, इसलिए हम दिसम्बर से पार्शल डीकन्ट्रोल लागू नहीं कर सकते। यह सारे राज्य स्तर के लिये नीति अपनाई गई थी। केवल जोधपुर के लिये ही नहीं। तो उस हिसाब से कन्ज्यूमर्स को और हलवाई एसोसियेशन को भी देना रहा था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

प्रश्न सं. 208

श्री राम प्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

गंगनहर क्षेत्र में नये बागों को पानी

209. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगनहर क्षेत्र को किस किस शाखा नहर पर गत दो वर्षों में किन किन को कितने कितने बीघे में नये बाग लगाने के लिये पानी मंजूर किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिनको पानी मंजूर किया गया है उन्होंने कब पानी हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे और मंजूरी कब हुई और किसने मंजूरी दी ?

(3) इनसे पूर्व किस किस नहर पर कितने कितने प्रार्थना-पत्र बाग के पानी हेतु पेंडिंग पड़े थे और कब से ?

(4) अब तक नये बागों के लिये पानी न देने के क्या कारण थे और अब पानी किस आधार पर दे दिया गया ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) :

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के कालम नं. 6, 7, 8 में वर्णित है।

(3) संलग्न सूची के कालम संख्या 9 व 10 में वर्णित है।

(4) गंगनहर खण्ड में बागों के लिये पहले अतिरिक्त पानी उपलब्ध न होने के कारण नये बागों की स्वीकृति नहीं दी गई थी, परन्तु बाद में कई सड़कों के अन्तर्गत आये कुछ नहरी क्षेत्र का पानी अतिरिक्त बागों को देना स्वीकृत किया गया, तथा कुछ बागों की दशा खराब होने के कारण पानी काटा गया था जो कि नये बागों के लिये स्वीकृत किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : इसका क्या कारण है कि जिन लोगों के बागों को पानी दिया गया है, उनसे पहले के प्रार्थना-पत्र देने वालों को पानी नहीं दिया गया ?

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन बातों का खयाल रखा जाता है। जिस सिस्टम में हम बाग देते हैं उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि वहां पर बागों का पानी है या नहीं। हर सिस्टम में एक से 27 क्युमेक्स तक पानी रिजर्व रखा जाता है और उस सिस्टम में अगर पानी नहीं है, तो फिर वहां कोई कच्ची या पक्की सड़क बनी हो, या कहीं गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर की हो, या इर्रीगेटेड लैंड हो, उससे बचा हुआ पानी हो, वह एप्लाइ करने वाले किसान को दिया जाता है और अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन्स आई हुई होती हैं तो वहां पर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और दूसरे इन्जीनियर्स जाकर देखते हैं कि बाग में पानी लगाया हुआ है या नहीं। जिस बाग में लगाया हुआ नहीं होता है वहां मन्जूर नहीं करते। जो बाग अच्छा होता है उसको मन्जूर किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : उत्तर में यह बताया गया है कि नई सड़कों के निकलने के कारण और खराब बागों का पानी बन्द करने के कारण जो पानी बचता है वह दिया जाता है। मैंने पूछा है कि किस किस नहर पर कितने कितने प्रार्थना-पत्र बाकी हैं पानी के लिये उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। और जिन नहरों में पानी दिया गया है उसमें कोई सड़क नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : प्रार्थनापत्रों की जानकारी सूची में दी गई है। जो बाग अच्छा नहीं है और फल देने वाला नहीं है, उसको मंजूर नहीं किया जाता, और जो अच्छा बाग होता है उसको पानी दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने जानकारी चाही है कि जो सड़कें बनी है, उन सड़कों में किन नहरों की जमीन आई है, उन नहरों के अन्दर जो पानी बचता है, उन नहरों में किन किन लोगों की दरख्वास्तें कब कब से पेंडिंग थीं, और उनको पानी क्यों नहीं दिया गया और बिना नहरों पर सड़क नहीं आई है उनको पानी क्यों दिया गया ? क्या यह सही है कि एक ही परिवार के तीन तीन सदस्यों को पानी दिया गया है ?

श्री मनफूलसिंह : जिस सड़क पर पानी नहीं है उसको पानी नहीं दे सकते।

श्री दौलतराम सारण : तो मैं जानना चाहूंगा·····

श्री मनफूलसिंह : कहीं बाग कटे हैं, उसका पानी बचता है, तो दे दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी है और इनकी जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इनका दिया हुआ रिप्लाई गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन नहरों पर पानी बचा, सड़क निकलने से या खराब बाग काटने से, उन नहरों पर किन किन लोगों की एप्लीकेशन्स कब से पेंडिंग थीं।

श्री मनफूलसिंह : पेंडिंग ऐप्लीकेशन्स तो मैं बता चुका हूं, उनकी लिस्ट भी है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूछा उनकी नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : बागों में पानी देने के लिये कोई रूल्स बने हुए हैं या केवल डिस्क्रेशनरी हैं?

श्री मनफूलसिंह : रूल्स बने हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो आपने बताया कि इन्जीनियर्स जाकर देखते हैं कि बाग की हालत कैसी है और यह आधार है, तो आपने अच्छी सुविधा दे रखी है उनको पैसा कमाने की।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अगर रूल्स बने हुए हैं और इन्जीनियर्स की रिपोर्ट होती है और वे ही जा कर देखते हैं कि बाग की हालत कैसी है, तो फिर राज्य सरकार ने इन केसेज में मंजूरी देना कैसे उचित समझा? मन्जूरी राज्य सरकार को क्यों देनी पड़ी?

श्री मनफूलसिंह : यह राज्य सरकार की मन्जूरी नहीं हैं, चीफ इन्जीनियर की है।

श्री दौलतराम सारण : आपने उत्तर दिया कि राज्य सरकार द्वारा मन्जूरी दी गई तीन और तीन छः केसेज में।

श्री मनफूलसिंह : चीफ इन्जीनियर ने दी है, राज्य सरकार ने नहीं दी है।

श्री दौलतराम सारण : चीफ इन्जीनियर ने अलग दी है। राज्य सरकार द्वारा भी 6 व्यक्तियों को मन्जूरी दी गई है।

श्री मनफूलसिंह : राज्य सरकार द्वारा मन्जूरी नहीं दी गई है। चीफ इन्जीनियर द्वारा दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, या तो यह सूची झूठी है, या मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : दो तीन केसेज इसमें ऐसे हैं जिनमें यहां से मन्जूरी दी गई है लेकिन वह मंजूरियां केवल इस तरह की हैं कि कुछ मंजूरियां वहां दी जा चुकी हैं और दूसरों के देने की और बात थी तो स्पष्टीकरण के तौर पर वह आदेश दिए हैं उसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति होना लिखा गया है इसमें।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता ने इन्कार कर दिया

Page No 17

(श्री दौलतराम सारण)
था और राज्य सरकार ने मन्जूरी जारी की है ?

श्री मनफूलसिंह : बिल्कुल गलत बात है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ): बिल्कुल गलत कहा है ?

श्री केदारनाथ : किस स्टेज पर बाग को पानी दिया जाता है फल से पहले या बाद ?

श्री मनफूलसिंह : यह देख लिया जाता है कि पौधा फल देने लगा है। पानी वास्तव में फसल की तैयारी पर देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जितना रकबा पानी का सड़क के नीचे आने से बचे ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : आपने 112 बीघा रकबे को पानी दिया है- दूसरा कितना बचा ?

श्री मनफूलसिंह : यह चीफ इंजीनियर की डिस्क्रेशन पर है। जो अच्छा समझते हों उसको मन्जूरी देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जब एक तरफ पानी उपलब्ध नहीं है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को आप दो-दो, तीन-तीन पानी आउट आफ वे जाकर देते हैं, यह रूल्स का वायोलेशन है। जिन नहरों पर जमीनें कट की गई उनको नहीं दिया गया, दूसरी नहरों के लोगों को दिया गया। जिन लोगों के बाग लगे हुए थे उनका पानी कट किया गया, इस प्रकार इस मामले में बड़ा घोटाला किया गया है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं कि जिस सिस्टम पर पानी नहीं हो वहां पर बाग नहीं मन्जूर किया जाता।

श्री दौलतराम सारण : आप एक भी सिस्टम का नाम लेकर बतायें कि इस सिस्टम पर बाग का पानी मन्जूर नहीं किया है ?

श्री मनफूलसिंह : न एफ सिस्टम पर पानी बचा हुआ था ...

श्री दौलतराम सारण : आपने टी. पर, जेह. पर और बी. बी. पर दिया है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य को मालूम नहीं। आप जरूर उप-मंत्री सिंचाई रहे है लेकिन कभी सिंचाई के इलाके के अन्दर नहीं गए हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अनावश्यक बात कह रहे हैं। आप तो मुझे रेलेवेन्ट सवाल का जवाब दें। किस किस बाग का पानी कट हुआ, कितना बचा ? इस तरह बचे हुए पानी को नहर पर क्यों नहीं दिया गया ? उस नहर पर अगर मन्जूरी नहीं तो विवरण दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि चुनाव के समय जिन लोगों ने वोट दिया उनको ही पानी दिया गया ?

श्री मनफूलसिंह : चुनाव के बाद की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

Page No 18

पैडॉक्स के निर्माण पर व्यय

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भू-संरक्षण, चम्बल परियोजना का निर्माण किस एक्ट के अधीन किया गया ?

(2) उक्त योजना के अधीन किस किस क्षेत्र में कब कब कितने-कितने एकड में पैडॉक्स बनाए गए व उन पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(3) जिन क्षेत्रों में पैडोक्स बनाए गए हैं वे जंगल किस श्रेणी के हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पैडॉक्स के लिए जंगलों को घेरने से पूर्व कानूनी कार्यवाही अथवा आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई ?

(5) क्या यह सही है कि पैडॉक्स बन जाने से दुधारू मवेशियों को चरने की जगह नहीं रही ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(1) इस परियोजना का निर्माण किसी एक्ट के अन्तर्गत नहीं किया गया।

(2) इस योजना के अन्तर्गत 62-63 से 67-68 तक 64375 एकड क्षेत्र में संलग्न सूची के अनुसार पैडोक्स बनाए गए जिन पर कुल 8,62,260 व्यय हुए हैं।

(3) ये क्षेत्र रक्षित व अरक्षित वन में हैं।

(4) जी हां। इसकी आवश्यकता नहीं थी।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पान्सर्ड स्कीम है और इसका उद्देश्य जो चम्बल के बैराज हैं और दूसरे डेम्स हैं उनमें मिट्टी के भरने को रोकना है ?

श्री नारायणसिंह : बिलकुल सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पैडॉक्स के लिए इतने हजार एकड भूमि को आवर पाई करने के लिए किसी भी तरह के नोटीफिकेशन्स या किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए ?

श्री नारायणसिंह : पैडॉक्स को रिजर्व करने के आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि जो क्षेत्र था चाहे प्रोटेक्टेड चाहे रिजर्व्ड ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : फॉरेस्ट्स किस एक्ट के तहत रेग्यूलेट होते हैं—चराई के बारे में कटाई के बारे में ?

श्री नारायणसिंह : फॉरेस्ट्स एक्ट अलग है उसके अन्तर्गत।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस परियोजना का अधिकारी प्रोजेक्ट आफिसर है जिसका पद फॉरेस्ट एक्ट में कहीं भी परिभाषित नहीं है ?

श्री नारायण सिंह : प्रोजेक्ट आफिसर कन्जरवेटर आफ फॉरेस्ट भी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रोजेक्ट आफिसर के नाम का पद फॉरेस्ट एक्ट में कहीं भी किसी प्रकार परिभाषित है ?

Page No 19

श्री नारायणसिंह : सम्बन्धित व्यक्ति कन्जरवेटर। [illegible]

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस अधिकारी को प्रोजेक्ट आफिसर नहीं कहा जाता, न ही उनके सेलेरी बिल्स प्रोजेक्ट आफिसर के नाम से बनते हैं ?

श्री नारायणसिंह : उसके बिल कन्जरवेटर आफ प्रोजेक्टस के नाम से बनते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह योजना 1962-63 से लागू है और तब से इस क्षेत्र के अन्दर ये पैडोक्स लगाए जा रहे हैं ?

श्री नारायणसिंह : बिल्कुल सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि फरवरी 1968 तक इस प्रोजेक्ट के ऑफिसर या किसी भी अधिकारी को फारेस्ट एक्ट की धाराओं के तहत अधिकारी घोषित नहीं किया गया था ?

श्री नारायणसिंह : इसकी आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स को ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सारे फारेस्ट के अन्दर उस रेंज को सारी चराई का यूनिट माना जाता है ?

श्री नारायणसिंह : रेंजवार ही यूनिट माना जाता है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या यह सही है कि 1/4 भाग से अधिक भाग चराई के लिए बन्द नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वहां पर उसके अन्दर जो लोगों के राइट्स थे जिनके तहत चराई करते थे वे चराई नहीं कर सकते और इसी प्रकार कानूनी अधिकार नहीं लेकिन फिर भी चराई रोक ली। तो क्या कानून के तहत इस प्रकार मवेशियों को चरने से रोक सकते हैं ?

श्री नारायणसिंह : जो कुछ अधिकार फारेस्ट एक्ट के अन्दर दिए गये हैं चाहे प्रोटेक्टेड चाहे रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड फारेस्ट के अन्दर अधिकार रखे जाते हैं कुछ, बाकी सब अधिकार होते हैं, रिजर्व्ड फारेस्ट के अन्दर कोई अधिकार नहीं होते हैं। इस तरह दो प्रकार के क्षेत्र हैं इसके अन्दर और उसके अन्दर जो पैडोक्स बने उनको बनाने की मंशा यही थी जो माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां कि जितनी योजनायें हैं राणा प्रताप सागर के अन्दर वहां की जमीन कटाई में न आए जिससे वहां की जमीन को क्षति न पहुंचे। इसलिये पैडोक्स को रिजर्व किया जाता है और टेक्नीकल ग्राउन्ड्स के आधार पर उनको रखा जाता है। अब इन पैडोक्स के अन्दर प्लांटेशन्स जो होते हैं और चराई रेगुलेटेड स्केल पर होती है, नियमित रूप से चराई कराई जाती है। लेकिन चराई से जो प्लांटेशन्स हैं वे बरबाद न हो जाएं, इसके अन्दर कुछ नियमितता के अन्दर फर्क भी आ सकता है परन्तु जितना फायदा हुआ है वह स्पष्ट है। इस अकाल के समय में 30 हजार मन घास दिया गया है। माननीय सदस्य को मालूम है कि वहां के लोकल मवेशियों

(श्री नारायण सिंह)
30,000 और बाहर के 30,000 करीब 60-70 हजार मवेशियों को फायदा हुआ है, यह कोटा क्षेत्र की उदारता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि किस प्रकार इम्प्रूवमेंट किया जाय। हम टेक्नीकल्टीज में जाकर आलोचना न करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो मवेशियों को चराई रोकी गई है किस धारा के अन्तर्गत ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : फॉरेस्ट एक्ट में प्रावधान है कि किस प्रकार फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को एक्सपलॉयट किया जाय। परंतु जो इस योजना के अन्दर विशेष प्रकार के पैडॉक्स बनाए जाते है उनके लिए स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान और नियम निकालकर नही रखे जा सकते।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पैडॉक्स एक्ट और रूल्स के अन्तर्गत बनाये गये उनका रेगुलेशन करना चाहते हैं तो वह एक्ट के आधीन होगा। फॉरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत आप मवेशियो को चराई को किस प्रकार रोक सकते हैं ?

श्री नारायण सिंह : रिजर्व फॉरेस्ट के अधिकारों के अन्तगत रोका गया। ग्राम समितियां बनायी गया। सब को कान्फीडेन्स में लेकर यह किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं वन मंत्री जो से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में पैडॉक्स जो बनाये उसके कारण आस-पास की मवेशी और दूसरे लोग जो दूध सप्लाई करते है उनके लिये एक इंच भूमि भी जंगलात में चराई के लिये नहीं रही है। आज यह स्थिति है कि कहने के लिये तो कह दिया लेकिन जो सम्बन्धित चौकीदार हैं चाहे बाहर के हों या लोकल हों दो-दो हजार चार-चार हजार रुपया लेकर मवेशियों को चरने दे रहे है और आप समझते हैं कि मवेशी नहीं चर रहे है। आप मौके पर जाकर जांच करिये तब पता चलेगा।

श्री नारायण सिंह : अगर इस प्रकार की शिकायत ओब्जेक्टिवली लायी जावेगी तो जरूर जांच की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : दोनों रूप से इसको देख लें।

श्री नारायण सिंह : मैं मानता हूं कि चराई के लिये जगह की कमी है। एक कोओर्डिनेशन कमेटी बनायी। फॉरेस्ट के अधिकारी मिल कर देखें कि ऐसे ऐसे लोगों को कहां बसाया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 211

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 212

श्री भगवानदास शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रोफेसर केदारनाथ ?

Page No 21

बीकानेर शहर में चीनी आदि के परमिट

213. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में इस समय पुष्करणाओं के विवाह के मौके पर जो राशन और चीनी दी गई वैसी अन्य जातियों को जैसे मुसलमान, माली, मेघवाल, हरिजन आदि को नहीं दी गई?

(2) उन्हें राशन चीनी न देने का कारण क्या है? पुष्करणों के विवाहों में चीनी, राशन, गेहूं आदि के परमिट किस ऑथोरिटी ने काटे तथा किन दुकानों से माल बेचा गया?

(3) क्या कलेक्टर सप्लाई ने व फूड कमिश्नर ने इसमें सारी वैधानिक कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह):
(1) जी हां।

(2) किसी अन्य जाति वालों ने सामूहिक शादियों के आयोजन करने का प्रार्थना-पत्र न तो जिलाधीश को और न ही राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था जिस पर चीनी, गेहूं आदि का आवंटन दिया जाता।

पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाहों के अवसर पर राशन व चीनी, पुष्टिकर सावा समिति की दुकान के माध्यम से वितरण कराई गई थी। परमिट पुष्टिकर सावा समिति के अधिकारियों ने ही काटे थे।

(3) जी हां, आवश्यक वैधानिक कार्य-कार्यवाही पूरी कर ली गई थी। पुष्करणा सावा समिति को सामूहिक शादियों पर राशन व चीनी वितरण आदि के लिये नियमानुसार रिटेलर नियुक्त किया गया था. व खाद्यान्न का एवं चीनी का लाइसेन्स भी दिया गया था व नियमानुसार इनसे सिक्योरिटी भी जमा करवा ली गई थी।

श्री केदारनाथ: यह केवल बीकानेर में बसने वाले पुष्करणों के लिये था या सारों के लिये था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (खाद्य मंत्री की ओर से): यह उस कम्युनिटी ने एप्लाई किया था। दूसरों की कोई एप्लीकेशन नहीं थी।

श्री केदारनाथ: स्पेशियली बीकानेर को ही ध्यान में रख कर दिया गया था या और जगहों को भी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: और जगह से कहीं से दरख्वास्त नहीं आई थी। इनकी कलेक्टर बीकानेर की मार्फत दरख्वास्त आई थी। उसको देखते हुए किया।

श्री केदारनाथ: बीकानेर के लिये कितना कोटा एलॉट किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: 500 बोरी चीनी 220 बोरी मैदा, 1710 बोरी मेक्सिकन गेहूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ओमदत्त भाटी।

प्रशिक्षित निश्चेतकों को नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स।

214. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) की अनुपस्थिति में [श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)] द्वारा पूछा गया: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 22

(फूलचन्द बाफना)

(ग) राजस्थान में कितने I, II, III, व IV श्रेणी के अस्पतालों में प्रशिक्षित निश्चेतक हैं ? क्या यह सही है कि कहीं पर दो, कहीं पर चार और कहीं पर एक भी नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस लाइन में आ जाने के बाद न तो डाक्टर की प्राइवेट प्रेक्टिस होती है और न सरकार ही नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स देती है ?

(3) क्या सरकार ऐसा कोई विचार कर रही है कि इन डाक्टरों को 50 प्रतिशत नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स देने की घोषणा कर इस लाइन में आने के लिये डाक्टरों को प्रोत्साहित करे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(1) राजस्थान में कुल 17 प्रशिक्षित निश्चेतक हैं। आवश्यकतानुसार निश्चेतकों की संख्या निर्धारित की जाती है ।

(2) जी हां।

(3) इन डाक्टरों को नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स देने का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री फूलचन्द बाफना : निश्चेतकों की संख्या कहीं कम और कहीं ज्यादा क्यों है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां पर जितनी शैयायें हैं, जितने ओपरेशन्स होते हैं उसी के मुताबिक इधर उधर करते हैं। नम्बर 3 में प्रश्न पूछा गया। वास्तव में यह सही है कि एनेस्थिटिक्स बनने के लिये कोई डाक्टर जाता नहीं क्योंकि प्रेक्टिस होती नहीं। सरकार विचार कर रही है कि अनेस्थिसिया में काम करने वाले डाक्टर हैं उनको अलाउन्स दिया जाय या नहीं।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह सही है कि राणावत कमीशन ने भी सिफारिश की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राणावत कमीशन का तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन यह विचाराधीन है। मैं खुद मानता हूँ कि इनको अलाउन्स देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 215

श्री मजलिस खां

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 216

श्री मनोहरसिंह मेहता

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाडिया ?

रामचन्द्रपुरा छावनी में प्लाटों का आवटन

217. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में रामचन्द्रपुरा छावनी में चम्बल नहरों के बीच

(श्री देवीदत्त गाडिया) से हटाये गये निर्धन व्यक्तियों को बसाने के लिए प्लॉट बना कर आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो किस व्यक्ति के नाम कितने कितने गज के प्लाट्स आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि रामचन्द्रपुरा छावनी कालोनी के बसाये जाने के लिये सहकारिता के आधार पर गृह-निर्माण कालोनी समिति बनाई गई ? यदि हां, तो उसके कौन कौन व्यक्ति सदस्य है तथा उनके नाम किस किस नियम के अन्तर्गत प्लॉट आवंटित किये गये ? सूची (सदन की मेज) पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस कालोनी के प्लॉट वितरण एवं सहकारिता के आधार पर बनाई गई गृह-निर्माण समिति के निर्माण सम्बन्धी मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, कोटा के अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां। यह सही है कि कोटा नगर में रामचन्द्रपुरा छावनी के विस्थापितों को बसाने के लिए योजना बनाई गई थी और उन्हें 10×20 गज के 40 प्लाटस आवंटित किये गये थे, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। रामचन्द्रपुरी छावनी कालोनी निर्माण सहकारी समिति बनाई गई थी जिसका पंजीकरण दिनांक 9-5-57 को हुआ था। समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के भरतपुर स्थित अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जांच अभी जारी है। सहायक रजिस्ट्रार सहकारी विभाग कोटा के आदेश अपील समिति द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर के यहां जेर कार्यवाही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीदत्त गाडिया : यह जो रामचन्द्रपुरा छावनी में विस्थापितों को बसाने के लिए बनाये गये तो कितने व्यक्तियों को प्लाटस दिये जाने का निर्णय किया और किस तारीख को किया गया ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लडढा) : केवल 40 व्यक्तियों को 40 प्लाटस देने का मामला था और उनकी साइज इसमें बतायी गयी है 10×20 गज 40 प्लाटस है और 40 व्यक्ति हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : किस तारीख को ?

श्री रामप्रसाद लडढा : 19-3-56।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिनके नाम जमीन अलाट बताई गई है 40 में से 4 आदमी भी ऐसे नहीं हैं जिनकी जमीन नहरी क्षेत्र में आ जाने के कारण उनको बसाने के लिए इस क्षेत्र को बांटा गया हो, क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : जो 40 नाम इन्तकाल में लिखे गये हैं 23 व्यक्ति वे हैं जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी।

Page No 24

(श्री रामप्रसाद लडढा)
वाले लोग और उनकी फेमिली ने अलग लिखवाने की वजह से कुल 40 प्लाट्स के लिए पंचायत समिति द्वारा तय किया गया और उन्हीं के हिसाब से 39 प्लाटस देने का निर्णय किया गया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 23 व्यक्ति ही थे जिनको देना था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत समिति ने 40 प्लाटस के लिये लिखा था और उन्होंने 40 में ये सब एडजस्ट हों यह चाहा था जिसमें यह सब आ जाते थे जो पहले शामिल थे और बाद में अलग रहने लग गये।

श्री देवीदत्त गाडिया : पंचायत समिति का क्या रेजोल्युशन था ? विकास अधिकारी ने या प्रधान ने लिखा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह दो पदों पर काम कर रहे थे इसलिये उन्होंने इसको स्टेडी करके रिपोर्ट की थी।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को प्लाटस एलॉट किये थे और जिनसे नजराना लिया था अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, यह काफी लम्बा सवाल है। उन चालीस आदमियों को जो प्लाट्स दिये थे जिनका पैसा जमा हो गया उनका कब्जा उन प्लाट्स पर है ऐसा रिपोर्ट से जाहिर होता है लेकिन बाद में एक सवाल खड़ा हुआ कि सन् 57 में एक समिति बनी जिसका इसमें जिक्र आया है। समिति बनी थी जब उसके 10 मेम्बर थे और बढते बढते 179 मेम्बर उसके हो गये और उन्होंने चाहा कि 40 प्लाट्स का जहां सवाल है उसकी एवज में 40 बीघा जमीन सहकारी समिति के नाम पर लेकर वितरण कर दें। इस स्टेज पर ऐसे आदेश हुए जिससे ऐसा झलकता था कि सहकारी समिति को कहा गया कि 40 बीघा की रकम जमा करायें और जमा कराने के आदेश भी उन्हीं अधिकारियों द्वारा दे दिये गये। उसकी अपील हुई वे जीत गये। फिर उसकी अपील हुई हम जीत गये। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से यह मामला रिमाण्ड के लिये आया।

(2 मध्यान्ह)

एक मामला तो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है। समिति को जो जमीन दी है वह कुल 40 बीघा है। इस पर विस्थापित है अथवा उनको समिति ने दी है, यह मालूम नहीं है। इसलिए यह सारी कार्यवाही एडीशनल कलेक्टर, कोटा के पास चल रही है। वहां से अन्तिम होने पर ही यह कहा जा सकेगा और उसके अनुसार आगे कार्यवाही होगी। इस सहकारी समिति की अपील कोआपरेटिव ट्रिब्युनल में चल रही है। इसके अलावा सहकारी समिति की भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें हुई हैं। ये शिकायतें एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के पास हैं. इसकी कार्यवाही वहां चल रही है। इस संबंध में माननीय गोयल सा. ज्यादा जानते हैं। वे इस समिति के सदस्य भी हैं...

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कह देना चाहता हूं डेट इज आलसो ए फॉड मेरी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कोई एप्लीकेशन नहीं है। न मेरा कोई पैसा जमा है। जबर्दस्ती मेरे नाम जमीन अलॉट करदी गई है। इसके अलावा अच्छे अच्छे नेताओं ने दो, तीन, चार चार प्लाट ले लिये है और यह सोचकर कि कृष्णकुमार गोयल को भी इन्वाल्व किया जाय, यह गलत है। इसमें मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है, न कोई पैसा जमा है। केवल मेरे नाम को दर्ज कर दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस सहकारी समिति के निर्माण के लिये किसी प्रकार के कोई आदेश दिये थे या कब सरकार ने किस स्टेज पर इस सहकारी समिति को 40 बीघा जमीन, जितनी जमीन आप बतलाते है, अलॉट करने के आदेश दिये थे अथवा नहीं? इसको भी आप जांच करवा लें··

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक मेरी जानकारी है, इस सहकारी समिति को जमीन अलाट करने के कोई स्पष्ट आदेश, जितनी पत्रावलियां मैंने देखी है, उनसे जाहिर नहीं होता है। बोर्ड आफ रेवेन्यू ने इसे रिमाण्ड किया है। इसलिये दुबारा पार्टीज को सुनकर फैसला देने का काम एडीशनल कलेक्टर का है। मैं तो इसके तथ्य व गहराइयों में जाना नहीं चाहता हूं। परन्तु सहकारी समिति पर गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिये हैं, उसके रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं। जहां तक मेरे विभाग कोलोनाइजेशन का ताल्लुक है, रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक है, या इरीगेशन का ताल्लुक है, ऐसी कोई हिदायत हमारी तरफ से नहीं है। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह उठाया कि उनके नाम की कोई दरख्वास्त नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं हूं इस बात को और इससे मेरा सम्बन्ध भी नहीं है। जो रिकार्ड हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सारी कोआपरेटिव फोर्जड है, फर्जी कार्यवाही की गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो जो रिकार्ड है, उसके आधार पर कह रहा हूं। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में इसका केस चल रहा है। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने जो अलाटमेंट खारिज किये हैं उनकी सर्टीफाइड कापीज उस डिपार्टमेंट से हमने ली है। उसके अनुसार सन् 67 में प्लाट अलाट किये गये हैं और उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने खारिज किया है। हो सकता है कि मैं गलत हूं। परन्तु मेरे पास तो अभी केवल यह सर्टीफाइड कापीज का आधार ही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो लिस्ट 40 की दि है, क्या वह सही है? अब प्लाट 40 तक ही सीमित न रह कर 300-400 तक की लिस्ट पहुंच चुकी है और जमीन के प्लाट कट चुके हैं और मकानात बन गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाईजेशन डिपार्टमेंट ने अलाट नहीं किया है, यह मैं आपको जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं। यदि इस जमीन पर कोई अनधिकृत आकुपेशन है, तो यह सम्भव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
है, इससे में इन्कार नहीं करता। यह मैं मानने को तैयार हू। ऐसे व्यक्तियों की संख्या 40 बीघा जमीन पर 400 व्यक्तियों की हो, यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह मानने के लिये तैयार हूं कि 40 के अलावा भी कुछ संख्या और हो सकती है, जो कोआपरेटिव का अपने आपको मेम्बर मानते हैं, और यह मानते हैं कि इस जमीन का हमको आवंटन हुआ है और उनकी अपीलें चल रही हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया हो, ये ट्रेसपासर हों।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह सारी जमीन कोलोनाईजेशन विभाग की है और कोलोनाईजेशन डिपार्टमेंट के अधीन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्टीकुलर खसरा नम्बर जिसका कि विवाद इस सदन में है, उसके सम्बन्ध में जवाब दिया है। कोलोनाईजेशन विभाग की लाखों एकड़ जमीन है। कहीं अतिक्रमण होगा और कहीं ट्रेसपास भी होगा। इस बात को मैं निश्चित तौर पर नहीं कह रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपनिवेशन विभाग, कोटा के जिला अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी कि इस क्षेत्र के अन्दर, उपनिवेशन विभाग की जमीन पर जोर-जबर्दस्ती से मकान बन रहे हैं। इसको कोई सूचना क्या आपके पास नहीं है कि खसरा नम्बर पर······

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस क्यूश्चन के दौरान जो पत्रावलियां देखी हैं और इन पत्रावलियां के ये हालात हैं कि ये एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट के पास पडी हुई है, कई सहकारी विभाग में पडी हैं, इसलिए ये सारी पत्रावलियां मेरे पास देखने के लिये हैं, लेकिन मैंने फेक्टस् गेदर किये हैं ताकि इस प्रश्न का जवाब दिया जा सके और इसको पोस्टपोन न कराना पड़े। इसलिये प्रश्न को पोस्टपोन न कराकर जवाब दिलाने की दृष्टि से ही ये फेक्टस् गेदर किये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त।

(शोरगुल)

आर्डर ! आर्डर !

श्री देवीदत्त गाडिया : इस मामले को भ्रष्टाचार विभाग के सुपुर्द कब किया गया और उसकी रिपोर्ट अब तक पेश क्यों नहीं हुई और वह कब तक पेश कर दी जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भ्रष्टाचार विभाग को अपने विभागों की तरफ से याददहानी भिजवा दूंगा कि वह इसका जल्दी ही निबटारा करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे, यह मैं यहां कह सकता हूँ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो सदस्य नामावली है, उसमें मेरा नाम भी आपने बताया है, इसमें यह सुधाकर शर्मा कौन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने मेरा नाम कीचड उछालने के लिए यहां बताया है। इसमें सारे के सारे मिनिस्टरों के भाई, भतीजे और लडके भरे पडे हैं। नगर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
परिषद कह रही है कि यह हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार का अतिक्रमण है। आप कहते हैं कि हमें मालूम नहीं। सारा का सारा एरिया अलाट हो गया है। एक एक को, दो दो, तीन तीन प्लाट अलाट हो गये हैं, मकान बन गये हैं और आज तक आपको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! प्रश्न समाप्त हुए।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुधाकर शर्मा श्री बृजसुन्दर जी शर्मा के भाई हैं, क्या यह सही है ?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य।

उन्हें व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि कौन क्या है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकारी अधिकारी, एस. डी. ओ., ए. डी. एम., तहसीलदार के अलावा श्री बृजसुन्दर शर्मा के भाई ने हजारों बीघा जमीन खाली है, प्लाट ले लिये हैं। फिर भी अध्यक्ष महोदय इनका पेट नहीं भरा है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर !

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रावतसर का तीन साल से बराबर चला आ रहा है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने आज के प्रश्न समाप्त कर दिये। बार बार इस सदन को आश्वासन दिया गया है कि इस प्रश्न को लिया जायेगा ···· इस प्रश्न को लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये। पूरक प्रश्न नहीं होगा। केवल उत्तर दे दिया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न संख्या 218।

कस्बा रावतसर में बिजली के कनेक्शन

218. श्री रामचन्द्र आर्य (वाड 2):– क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर के हास्पिटल को बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या कस्बा रावतसर में काफी मांग होने पर भी बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कुल कितने कनेक्शन दिये गये हैं व कितने कनेक्शनों की मांग है ?

उपमन्त्री विद्युत (श्री खेतसिंह) :

(1) जी हां। यदि हास्पिटल के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूरी करली जाय तो कनेक्शन देने में विद्युत मंडल को कतई ऐतराज नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। रावतसर में कुल 151 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 134 मांग-पत्र पेंडिंग हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया

Page No 28

(श्री रामचन्द्र आर्य)
कि संबन्धित कार्य पूर्ण हो जाने पर बिजली दे देंगे कौन सा कार्य पूरा नहीं हुआ? विजली के लिये लाइन लगादी है केवल कनेक्शन ही देना है। आश्वासन आप बार बार दे देते हैं लेकिन वह पूरा नहीं होता?

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय मंत्री महोदय देख लें।

विद्युत मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : 17-12-68 को बिजली के लिये आवेदन किया गया 1(?)-2-69 को एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है सिर्फ एल फार्म आना बाकी है उसके बाद कनेक्शन मिल जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : पिछले साल भी आश्वासन दिया गया था अभी तक वह पूरा नहीं हुआ। इस पर भी आप फरमाते है कि यह लोक महत्व का नहीं है इसलिये इसे मन्जूर नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, भविष्य में आश्वासन न दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : आश्वासन देकर उसको टाल देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इनको आप सक्रिय सहयोग दीजियेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने दिनों के अन्दर कनेक्शन मिल जायगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अवधि मुकर्रर कर दी जाय कितने दिनों में देंगे?

श्री अध्यक्ष : अवधि के बारे में मिल करके तय कर लीजियेगा। प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती मदनकौर।

श्री रामचन्द्र आर्य : एल. फार्म में भी दिया हुआ है जान बूझ कर टाल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कितनी अवधि के अन्दर कनेक्शन दे दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित-प्रश्नोत्तर

ग्राम सुतौद की जंगलात की भूमि का अलॉटमेन्ट

194. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मनगढ़ सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सीकर जिला की तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम सुतौद के तन में खसरा नम्बर 89 जंगलात की भूमि जिलाधीश सीकर द्वारा आबादी के लिये अलाट की गई है? यदि हां, तो कितनी और क्या जिलाधीश को जंगलात की भूमि आबादी के लिए अलाट करने का अधिकार है?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 89 जंगलात की भूमि पर श्री हणुमाना पुत्र श्री भूराराम व श्री पेमाराम पुत्र श्री जीवण राम वगैरह ने नाजायज कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

(श्री नथमल चोहला)

(3) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 89 जंगलात की भूमि में एक व्यक्ति ने ग्राम रास्ते पर वृक्ष लगाकर पुख्ता गट्टा बनाया है? यदि हां, तो क्या उसको तुड़वाने की कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम सूतोद के खसरा नं. 89 जिसका कुल क्षेत्रफल 362 बीघा 7 बिस्वा बंजड़ जोहड़ से 15 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु जिलाधीश सीकर ने आदेश दि. 1-11-66 द्वारा परिवर्तित की थी। जिलाधीश को वनभूमि अलोट करने के अधिकार नहीं हैं। यह अलाटमेन्ट प्रारम्भिक नोटिफिकेशन कराने के पूर्व का है।

(2) जी नहीं। वन क्षेत्र पर कोई कब्जा इन व्यक्तियों का नहीं है।

(3) जी नहीं। वन क्षेत्र पर कोई पुख्ता गट्टा नहीं बनाया गया है।

जय भारत एवं जनरल मोटर्स कम्पनी पर टैक्सों की बकाया

195. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डेगाना–अजमेर एवं डेगाना परबतसर-रूटों पर चलने वाली जय भारत एवं जनरल मोटर्स कम्पनी की बसों के मालिकों में सेल्स टैक्स एवं गुड्स टैक्स की अलग अलग कितनी कितनी रकम बकाया है?

(2) रकम अब तक वसूल न होने के क्या कारण हैं और इनके मालिकों के क्या नाम है?

उत्तर

जय भारत एवं जनरल मोटर्स कम्पना की बसों के मालिकों में सेल्स टैक्स की कोई राशि बकाया नहीं है। परन्तु इन कम्पनियों में राजस्थान यात्री कर की बकाया निम्न प्रकार है:—

1. जय भारत बस सर्विस रु. 43,720.72।

2. जनरल मोटर बस सर्विस रु. 19,806.66

जय भारत बस सर्विस के मालिक श्री शामूलाल पुत्र जयसिंहमल बिलोची हैं तथा जनरल मोटर्स बस सर्विस के पार्टनर सर्व श्री आत्माराम, थांवरदास, मूलचन्द व नूरचन्द हैं। रकम समय पर जमा न कराने पर राजस्थान यात्री एवं माल कर अधिनियम के अन्तर्गत सामयिक कर निर्धारण किये गये एवं कुर्की द्वारा रकम वसूल करने की कार्यवाही की गई परन्तु मेनेजिंग पार्टनर ने रकम किश्तों में जमा कराने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विचार करने के पश्चात् बकाया राशि को किश्तों में जमा कराने के आदेश दिये गये हैं।

पावर हाउस आफिस केकड़ी

196. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.)—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी पावर हाउस आफिस को केकड़ी से हटा कर नसीराबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

Page No 30

(श्री देबीलाल बुरासिया)

(2) क्या स्थानीय व्यक्तियों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए केकड़ी पावर हाउस ग्राफिस को वापिस केकड़ी स्थापित करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केकड़ी में पहले भी कनिष्ट अभियन्ता का कार्यालय था जो अब भी है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर जिले में सिंचाई के साधन

198. श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा):– क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जयपुर जिले में केनाल इरिगेशन की क्या संभावनाएं हैं ?

(2) पिछली तीन योजनाओं में इस दिशा में जयपुर जिले में क्या कार्य किया गया है ?

(3) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्यूब वैल्स के निर्माण से जयपुर जिले में कृषि-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है ?

उत्तर

1––जयपुर जिले में निम्न सिंचाई योजनाओं की संभावनाएं हैं:––

(1) कानोता सिंचाई योजना।

(2) चांदराना सिंचाई योजना।

(3) श्यामपुरा सिंचाई योजना।

(4) गादरवाड़ा सिंचाई योजना।

(5) पांचूडाला सिंचाई योजना।

2––पिछली तीन योजनाओं में जयपुर जिले में निम्न सिंचाई योजनाऐं पूरी की गई:––

(1) काला खो बांध।

(2) मंडारी बांध।

(3) राहूबास बांध।

(4) मोरेल बांध।

(5) छीतोली बांध।

3––ट्यूब वेल्स के निर्माण से कृषि उत्पादन में वृद्धि होना संभव है, परन्तु इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

नीम का थाना सर्किल में कृषकों द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी

200. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) कार्यालय सहायक अभियन्ता (आर.एस.ई.बी.) नीम का थाना सर्किल में किस किस कृषक की सिक्योरिटी कब कब की जमा है, जिसको कनेक्शन नहीं दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर गांव वाइज रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सर्किल में बिना आर.एस.ई.बी. के मंजूरी

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

कुछ ग्रामों में कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो किस किस ग्राम में किस किस को व कब कब ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

सलेक्शन ग्रेड का आधार

202. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में किस किस डिपार्टमेंट में किन किन आफिसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिये गये हैं? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) सिलेक्शन ग्रेड कायम करने व आफिसरों को देने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है।

उत्तर

(क) निम्नलिखित सेवाओं के अधिकारियों को जब वे वरिष्ट वेतनमान में पद धारण करते हों, वैयक्तिक रूप से चयन ग्रेड में वेतन स्वीकार्य होता है।

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा।

(2) भारतीय पुलिस सेवा।

(3) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा।

(4) राजस्थान पुलिस सेवा।

चयन वेतनमान में निर्दिष्ट पद निम्नलिखित सेवाओं में प्रदत्त किये जाते हैं अर्थात् स्वीकार्यता पदों के वास्तविक धारण किये जाने एवं ग्रेड में नियुक्ति पर निर्भर होती है।

(1) राजस्थान लेखा सेवा।

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा।

(3) राजस्थान सांख्यिक सेवा।

पदों एवं अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के मामलों में नियुक्ति वरिष्ठता एवं योग्यता पर उचित विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा की जाती है।

राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के मामलों में नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा की जाती है।

अन्य सभी मामलों में उसी क्रियाविधि का पालन किया जाता है जो किसी निम्नतर पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमों में निर्धारित है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सेवला हैड के बोल्डर डैम का कार्य

203. श्री नत्थीलाल (नदबई सु.) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नत्थीलाल)

(1) क्या यह सच है कि भरतपुर जिले में सेवला हैड के बोल्डर डेम के कनेक्शन का कार्य वर्ष 1968 को पहली वर्षा में ही नष्ट हो गया है ?

(2) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई है और कितनी होनी शेष है ?

(3) इस कार्य की नींव में कितने कुए बना कर गलाये गये थे और प्रत्येक कुआ कितनो ऊंचाई तक बनाया गया था और कितना जमीन में गलाया गया था ?

(4) क्या यह सच है कि कुओं को बनाकर पूरा नहीं गलाया गया था और बीच ही में उन्हें तोड़ दिया गया था और ठेकेदार को पूरी चुनाई और गलाई के कार्य का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया ? यदि हां, तो वह कितनी राशि का है ? इस समय कितने गले हुए कुएं मौजूदा हैं ?

(5) क्या अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस कार्य का निरीक्षण किया गया है ? यदि किया गया है तो किस किस तारीख में और उन्होंने इस कार्य को वर्षा से पूर्व कितने प्रतिशत पूर्ण अवस्था में चैक किया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल भरतपुर से बरेठा को जाने वाली कच्ची सड़क की बन्दली आउट फूलेक हो गई और उसमें नक्का पड़ गया जो कि नदी में ज्यादा बाढ़ होने के कारण कच्ची सड़क को बहा ले गया, लेकिन नये या पुराने बोल्डर डेम को कोई क्षति नहीं पहुँची।

(2) इस कार्य पर 2,82,210) रु. खर्च हो चुके हैं और लगभग 50,000) रु. का काम शेष है।

(3) इस कार्य पर 54 कुए बनाकर गलाये गए। 53 कुए 16–3 फुट की ऊंचाई में बनाये गए व 19 फुट गहरे गलाये गये थे। एक कुआ 13–3 फुट ऊंचा बनाया गया व 7 फुट गहरा गलाया गया था।

(4) जी नहीं, केवल एक कुआ मौके पर नीचे पेड़ की मोटी जड़ें व बोल्डर वगैरह आ जाने की वजह से पूरा नहीं गलाया जा सका। इसका भी पेमेन्ट ठेकेदार को केवल जितना कार्य किया गया था उसके मुताबिक ही किया गया है। इसकी जो चुनाई तोडनी पड़ी थी उसकी लागत 150) रु. है। कुल 54 कुएँ गलाए हुए हैं जिनमें से 53 कुएँ 19 फुट गलाये गये हैं व एक 7 फुट गलाया गया है।

(5) अधिशासी अभियन्ता ने जनवरी से जुलाई 1968 तक इस कार्य का निरीक्षण 18 बार किया। वर्षा से पूर्व यह कार्य उन्होंने अपने सुपरविजन में कराया लेकिन अपना चैकिंग एम. बी. में नहीं लिखाया है।

ग्राम रटलाई का चिकित्सालय

208. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रटलाई ग्राम, जिला झालावाड़ के चिकित्सालय में डाक्टर की जगह खाली है ? यदि हां, तो अभी तक डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया, और कब तक व्यवस्था होगी ?

Page No 33

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

(2) क्या यह सही है कि इस चिकित्सालय में पूरा स्टाफ व पूरी दवाइयां आदि नहीं भेजी जाती? यदि हां, तो क्यों?

(3) चिकित्सालय का भवन भी क्यों नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां डाक्टरों की अत्यधिक कमी के कारण डाक्टर नहीं लगाया जा सका है। डाक्टर उपलब्ध होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

(2) जी नहीं।

(3) चिकित्सालय के भवन का निर्माण पंचायत समिति बकानी के माध्यम से होना है।

गढ भोपजी के शफाखाने में डाक्टर की नियुक्ति

211. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई–सु.) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि गढ भोपजी तहसील श्री माधोपुर में जनता ने शफाखाने के लिये मकान सरकारी नक्शे के मुताबिक बना रखा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सच है कि सरकार ने वहां के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि मकान बनवादो, डाक्टर हम शीघ्र भेज देंगे? यदि हां, तो फिर मकान बनजाने के बाद भी डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया? क्या अब शीघ्र ही डाक्टर भेजने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। भवन सन् 1961 में बना है।

(2) जी हां। इस स्थान का नाम नई डिस्पेन्सरी खोलने के प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है तथा योजना के मद में प्रावधान प्राप्त होने पर ही डिस्पेन्सरी चालू की जा सकेगी।

जूनियर अकाउन्ट्स आफीसर की नियुक्ति

212. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर–पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री एस. एन. भारद्वाज जूनियर अकाउन्ट्स आफीसर, डायरेक्टोरेट आफ एजूकेशन बीकानेर जब से अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ है तब से बीकानेर में ही नियुक्त है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उन्हें अन्य किसी जगह भेजना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) फिलहाल अन्यत्र भेजने का कोई विचार नहीं है। उचित अवसर आने पर इस पर विचार किया जावेगा।

हरिजन बस्तियों में बिजली

215. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मजलिस खां)
करेंगे:—

क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से हरिजन तथा शिड्यूल्ड कास्ट्स बस्तियों तथा वार्ड्स को बिजली सप्लाई करने के लिये विद्युत् विभाग को धनराशि प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो कस्बा कामां, कस्बा पहाड़ी, कस्बा जुरहड़ा, कस्बा सीकरी की हरिजन बस्तियों के लिये कितनी धनराशि मिली है और उन कस्बों के शिड्यूल्ड कास्ट्स को कब तक बिजली दे दी जायेगी ?

उत्तर

चालू वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युत् लगाने के कार्य निश्चित किये गये हैं जिसमें कस्बा कामां, पहाड़ी, जुरहेडा अथवा सीकरी आदि हरिजन बस्तियों के लिये कोई धनराशी नहीं मिली है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन कार्यों पर विद्युत् देने के लिये लिखे जाने पर और धनराशि दिये जाने पर विद्युत् देने के लिये कार्यवाही की जावेगी।

पंचायतों के अधीन स्कूलों के अध्यापकों का हैडक्वार्टर

216. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत राज द्वारा चलने वाले स्कूलों में अध्यापक का हैडक्वार्टर पर रहना जरूरी है ?

(2) यदि हां, तो मास्टर अपने अपने हैडक्वार्टर पर रह सके इसके लिये क्या क्या कदम उठाये गये है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंचायतों को यह निर्देश दिये गये हैं कि किराये पर अध्यापकों के लिये मकान की व्यवस्था करें। जहां ऐसे मकान उपलब्ध नहीं हों वहां शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक क्वार्टर के लिये आंशिक अनुदान देने की योजना है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मांडलगढ़ तहसील की अनवासा बांध योजना

110. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मांडलगढ तहसील का अनवासा बांध कितने लाख की योजना का है और इससे कितनी सिंचाई होगी ?

इस बांध के काम को कब हाथ में लिया जा रहा है ?

उत्तर

योजना के तखमीने की अनुमानित लागत 6.23 लाख रु. हैं एवं इसमें 600 एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई होगी। योजना वास्ते स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है स्वीकृति होने के पश्चात् ही कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

श्रीगंगानगर में आबियाना, सरचार्ज व खुशहाली कर की दरें

111. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा

Page No 35

(श्री रामचन्द्र आर्य)
करेंगे:—

जिला श्री गंगानगर में आबियाने की दर व सरवार्ज की दर व खुशहाली कर की दरें क्या हैं? अलग अलग तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में सिंचाई की दर एवं खुशहाली कर की दरों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण-विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

कालीसिन्ध पिकअप वेयर से सिंचाई

112. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कालीसिन्ध पिकअप वेयर से झालावाड़ की खानपुर व कोटा की सांगोद तहसील में कितने कितने बीघा में सिंचाई की जा रही है? पिछले तीन वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कालीसिन्ध पिक-अप वेयर से कितने गांवों में सिंचाई करने की योजना बनाई थी और फिलहाल कितने गांवों में सिंचाई की जा रही है और यह सिंचाई योजना का कुल कितने प्रतिशत है?

(3) सिंचाई विभाग द्वारा इस योजना से सिंचाई के साधन बढाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं और इस साल कितने नये गांवों में पानी दिया गया है या भविष्य में दिया जाने वाला है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों के सिंचाई आंकड़े निम्न प्रकार है:—

नाम तहसील	रकबा जो सिंचित हुआ 65-66	66-67	67-68
खानपुर	662 बीघा	4574 बीघा	3129 बीघा
सांगोद	निल	3060 ,,	2578 ,,

(2) कुल 66 ग्रामों में सिंचाई करने की योजना बनाई गई थी। इस समय कुल 31 ग्रामों में सिंचाई हो रही है जो योजना के लक्ष्य के अनुसार 15 प्रतिशत है।

(3) इस वर्ष (2025) में फसल रबी में 31 ग्रामों में सिंचाई हुई है। इस समय पिकअप वेयर के टूटे हुये भाग को पूर्ण करवाया जा रहा है। नहरों में लाईनिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। अत: इन सब कार्यों के पूरा हो जाने पर सिंचाई में वृद्धि हो जायेगी।

बनास बांध, सिरोही से दूसरी नहर निकालने की योजना

113. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बनास बांध, सिरोही की मूल योजना में दो नहरें निकालने की योजना थी, एक दक्षिणी और दूसरी पूर्वी? अगर हां, तो दूसरी नहर अभी तक नहीं निकालने के क्या कारण हैं जब कि रेल विभाग ने भी रेल पटरी के नीचे नहर निकालने की स्वीकृति दे दी है?

Page No 36

(श्री बालसिंह सोढा)

(2) क्या सरकार भविष्य में दूसरी नहर की योजना रखती है? अगर हां, तो कब तक इसका निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पश्चिमी बनास बान्ध से दो मुख्य नहरें एक दाईं और दूसरी बाईं नहर निकालने का मूल योजना में था जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

मकराना से कालवा लाइन पर बिजली के कनेक्शन देने की व्यवस्था

114. श्री विजय सिंह (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना से कालवा व रतनपुरा तक बिजली की लाइन लगा दी गई है? यदि हां, तो फिर वहां कनेक्शन क्यों नहीं दिये जाते ?

(2) क्या सरकार जल्द से जल्द वहां के लोगों को बिजली के कनेक्शन देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मकराना से कालवा तक लाइन लगा दी गई है। रतनपुरा नाम का ग्राम इस क्षेत्र में नहीं मिलता।

(2) जी हां।

कुचामन से बूडसू तक का विद्युतीकरण

115. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कुचामन से बूडसू केवल 10 माइल की दूरी पर ही है जहां कुचामन से बिजली जा सकती है? यदि हां, तो फिर वहां बिजली क्यों नहीं पहुंचाई जाती ?

(2) क्या यह सही है कि कुचामन से बूडसू बिजली पहुंचाने में ग्राम रूपपुरा, ग्राम बरवाला व ग्राम बरवालो को भी बिजली प्राप्त हो सकती है? यह लाइन कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

1—जी हां। ग्राम बूडसू अभी तक किसी स्वीकृत योजना में नहीं आया है।

2—जी हां। ये अन–रूट ग्राम हैं ये किसी स्वीकृत योजना में नहीं है। अतः लाइन शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भीमगंज मंडी, कोटा विद्युत लाइन पर कार्य करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु

116. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 3–8–68 को कोटा नगर में भीमगंज मंडी जाने वाली बिजली की लाइन पर कार्य करते हुए श्री मदन नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ?

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति जब तारों पर काम करने चढा, बिजली का कनेक्शन बन्द था ?

(3) क्या यह सही है कि बिजली का कनेक्शन चालू होने से उक्त व्यक्ति की मृत्यु हुई ?

(4) क्या यह सही है कि इस संबंध में पुलिस ने केस रजिस्टर किया है ?

(5) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

पुलिस कार्यवाही कर रही है ।

जिला चूरू के गांवों का विद्युतिकरण

117. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार सहर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(क) तहसीलात सरदार शहर, तारानगर व डूंगरगढ़ जिला चूरू के किन किन गांवों को बिजली दे दी गई है और किन किन गांवों में बिजली देने की मंजूरी हो चुकी है ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) इस वर्ष में कितने गांवों को इन तहसीलों में बिजली देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(क) जिला चूरू के तहसील सरदार शहर, तारानगर व डूंगरगढ विद्युतिकरण किये हुए ग्रामों की सूची–'अ' और 1968–69 में मंजूर गांवों की सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(ख) 7 की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गांवों में खुली शराब की बिक्री

118. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

क्या यह सही है कि जिन गांवों में शराब के मंजूर शुदा ठेके नहीं हैं, उनमें खुली शराब बेची जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जिन गांवों में शराब के स्वीकृत ठेके नहीं हैं वहां शराब नहीं बेची जा सकती है । यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बिना लाइसेन्स शराब बेचता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

वाणिज्य कर आयुक्त (अपील्स) के कार्यालय का अजमेर से कोटा स्थानान्तरण

119. श्री रामप्रसाद वोहरा (झालरापाटन):––क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश ता. 22–7–68 के मुताबिक वाणिज्य कर आयुक्त (अपील) का आफिस अजमेर से कोटा शिफ्ट करने की आज्ञा हो चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनका जुरिस्डिक्शन (क्षेत्र) कोटा, बूंदी, झालावाड़, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर जिले होंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर के केस बहुत थोड़े हैं और इन सभी उक्त जिलों के केस 1500 पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो आफिस कोटा में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है ? क्या आदेश इस विषय (स्थानान्तरण) के केंसिल किये गये हैं ? यदि ह, तो किस आदेश द्वारा ?

उत्तर

(1) जी हां, ऐसी आज्ञा हुई थी ।

(2) उपायुक्त (अपील) कोटा के क्षेत्राधिकार में, कोटा-बूंदी, झालावाड़, टोंक और सवाई माधोपुर के राजस्व जिले होते हैं ।

(3) उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर के पास दिनांक 31-12-68 को कुल 1841 मामले पेंडिंग थे जिनमें से 239 मामले अजमेर जिले से सम्बन्धित थे । आर्थिक दृष्टि से तथा व्यापारियों की असुविधा को देखते हुए मुख्यालय अजमेर रखा गया है तथा कोटा में उपायुक्त (अपील्स) को 10 दिन प्रतिमाह कोटा कार्यालय रखने तथा अपील सुनने की हिदायत दे दी गई है ।

जो हां राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 5 (55) एफ. डी. (सी. टी.)।62, दिनांक 6-9-1968 द्वारा उक्त आदेश रद्द किये गये हैं ।

रीजनल कमेटी का गठन

120. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट में रीजनल कमेटीज के गठन का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो अब तक कितने रीजन्स में ऐसी कमेटीज का गठन किया गया ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार अब इस ओर क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) पूरे राजस्थान के लिये जयपुर, जोधपुर व उदयपुर रीजन के नाम से कमेटीज का गठन किया गया ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

बारां अस्पताल

121. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(1) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल के भवन की छत वर्षा होते ही चूने लग जाती है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में रोगियों के जनरल वार्ड में एवं कमरों में बिजली के पंखे नहीं लगे हुए हैं ? यदि हां, तो कितने समय से कितने कमरों में एवं कितने जनरल वार्डों में कितने पंखे नहीं लगे हुए हैं और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में महिला डाक्टर एवं सर्जन डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ति हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिक वर्षा होने पर अस्पताल की छतें चूने लगती हैं जिसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बारां के द्वारा यथा समय सहायक अभियन्ता पथ एवं भवन निर्माण विभाग बारां को कर दी जाती रही है।

(2) बारां अस्पताल में पंखों की व्यवस्था निम्न प्रकार है:--

क्र.सं.	कक्ष का नाम	पंखों की व्यवस्था
1.	प्रसूति रोगी कक्ष	2
2.	महिला रोगी कक्ष	2
3.	प्रसूति कक्ष (लेबर रूम)	1
4.	पुरुष रोगी कक्ष	2
5.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कक्ष	1

शेष कमरों में 32 व वार्डों में 18 पंखे चिकित्सालय भवन निर्माण होने के समय से ही लगने बाकी हैं। जिसके लिये उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। डा. (कुमारी) सी. के. सक्सेना को जनाना अस्पताल कोटा से इस निदेशालय के आदेश क्र. इ.। सी.ए.एस. एटी। 59। दिनांक 21-1-69 द्वारा बारां अस्पताल के लिये स्थानान्तरण कर दिया गया है।

बारां में अलग से सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है। तीन डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं और तीन कार्य कर रहे हैं।

ग्राम साहबा (तारानगर) के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य

122. राजवी श्री रूप सिंह (सरदार शहर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या ग्राम साहबा तहसील तारानगर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन के निर्माण के लिए कोई धन जन सहयोग से इकट्ठा किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कितने वर्षों पहले और कितना ?

(3) जब धन इकट्ठा हो चुका था तो फिर भवन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

(4) अब सरकार उस भवन का

(राजवी श्री रूपसिंह)
निर्माण कार्य कब तक शुरू कराके पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रु.10,000।-दिनांक 2-3-64 को।

(3) यह धन राशि उपकेन्द्र भवन निर्माण के लिए पंचायत समिति द्वारा उपयोग में लाई जाती है। पंचायत समिति में उपकेन्द्र भवनों का निर्माण अभी नहीं करवाया है।

(4) 46 स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। ग्राम साडुवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन भी उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित है।

शराब बन्दी

123. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शराब बन्दी राज्य सरकार की नीति होने के बावजूद आबू जैसे महान् तीर्थ पर शराब की खुली छूट है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

आबू पहाड़ पर नगरपालिका की सीमा के अन्दर विदेशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के आयात, निर्यात, बिक्री तथा खपत की छूट पर्यटकों को बढावा देने की दृष्टि से दी गई है।

अबेडा के तालाब के पालतू मगर

124. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि कोटा के अबेडा के तालाब में पालतू मगर थे और बाहर के पर्यटक इनको देखने के लिये दूर दूर से आया करते थे ?

(2) इन मगरों को मारने का ठेका कब दिया गया था और ठेके की क्या आय हुई थी ? यह ठेका किसको दिया गया था ?

(3) क्या सरकार फिर से जिस प्रकार पहिले मगर पाले जाते थे उसी तरह पर्यटकों के देखने के लिये मगर पालने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है। यह तालाब एवं बाग वन विभाग के आधीन न होकर जन कार्य विभाग, भवन व पथ नगर परिषद् और सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है।

(2) वन विभाग द्वारा कोई ठेका नहीं दिया गया। अतः इस विभाग में यह जानकारी नहीं है।

(3) जी हां ! अबेडा में मगर का प्रजनन स्थल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अबेडा तालाब वहां स्थित भवन एवं बाग की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित

(मंत्री, वन विभाग)

नहीं होने तथा आवश्यक वित्त की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस पर अमल नहीं किया जा सकता है।

तखतसागर (जोधपुर) के आसपास की पहाड़ियों पर वन लगाने की योजना

124. ए. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के पास तखत सागर के आस पास की पहाड़ियों पर नाम मात्र की भी वृक्षावली नहीं है? यदि हां, तो वन विभाग ने इन पहाड़ियों पर अब तक वन लगाने की योजना क्यों नहीं रखी?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इन छोटी छोटी पहाड़ियों पर अगर वन लग जावें तो इसे सुरक्षित वन रखा जाकर जंगली जानवरों को छोड़ा जा सकता है?

(3) क्या सरकार ने इस ओर भी कभी विचार किया है कि जोधपुर में विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए देखने का यह एक स्थान बन सकता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर के पास तखत सागर की पहाड़ियों पर कुछ वृक्ष मौजूद हैं। ये वृक्ष इस क्षेत्र में दूर दूर बिखरे हुए हैं तथा बीच–बीच में कुछ स्थान ऐसे जरूर हैं जहां वृक्षावली बिल्कुल नहीं है। यह क्षेत्र पथरीला है व इसमें मिट्टी की परत बहुत पतली है जिसके कारण वृक्षारोपण का कार्य बहुत मुश्किल है। यहां की शुष्क जलवायु तथा पथरीली भूमि को देखते हुए यहां वृक्षावली लगाना अत्यन्त व्ययशील होगा तथा इस कार्य की सफलता भी संदिग्ध होगी।

(2) जी नहीं, नगर के अत्यन्त समीप होने से जंगली जानवरों को यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा।

(3) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इसकी संभावना बहुत कम है।

तहसील झालरापाटन के अकालग्रस्त गांव

125. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) झालरापाटन तहसील जिला झालावाड में कितने गांव अकाल या अभाव में निकाले गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अभी कहीं भी इस क्षेत्र में अकाल सहायता के कार्य शुरू नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? अगर शुरू किये तो कहां कहां?

(3) अकाल सहायता कार्य के लिये अभी कितना धन सरकार द्वारा झालावाड जिले को दिया गया? इसमें कितना खर्च किया जा चुका है और किस किस कार्य में?

उत्तर

(1) झालरापाटन तहसील के 165 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

Page No 42

(मंत्री, अकाल राहत)

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र में दो सहायता कार्य चालू हैं। पहला कुशलपुरा में तालाब कार्य तथा दूसरा रायपुर एप्रोच सडक कार्य। भूडली या खेडी तालाब कार्य फेमिन की दर पर श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण चालू नहीं किया जा सका।

(3) झालावाड जिले के लिये अकाल सहायता कार्य हेतु 1.50 लाख रु. सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। 28 फरवरी 1969 तक खर्चे की स्थिति इस प्रकार है:—

रायपुर एप्रोच सडक 530.55 पै.

कुशलपुरा तालाब 1178.55 पै.

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पीपलखूंट से गेथलिया सडक की दुरुस्ती का ठेका

126. श्री विठ्ठल भाई (पीपलखूंट): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाडा पंचायत समिति पीपलखूंट में पीपलखूंट से गेथलिया तक तथा लाम्बाडाबरा से कुशलपुरा सडकों की दुरुस्ती के लिए किसी को ठेका दिया गया था?

(2) यदि हां, तो उन दोनों सडकों के कार्य में कितनी धनराशि खर्च की गई और वह कार्य कौन से महीने में पूरा किया गया?

उत्तर

(1) जी हां, ठेका श्री जमनलाल पिता झमकलाल निवासी मूंगडा को दिया गया।

(2) पीपलखूंट से गेथलिया सडक पर रु 990 को व लाम्बाडाबरा से कुशलपुरा सोडलपुर पर रु. 1210) रु. को राशि खर्च की गयी।

कार्य क्रमशः जून व जुलाई, 68 में पूर्ण हो गये हैं।

पंचायत समिति मकराना के अध्यापकों को तनख्वाह

127. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना पंचायत समिति के अध्यापकों को प्रति माह किस तारीख को तनख्वाह मिलती है?

(2) क्या उन्हें बराबर समय पर तनख्वाह मिलती रही है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं व कितने समय से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है?

(3) क्या उन्हें जल्द से जल्द तनख्वाह देने का प्रबन्ध कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्रति माह की 3, 4 व 5 तारीख को वेतन पहुंच जाता है।

(2) वेतन बराबर प्रति माह पहुँच जाता है। शिक्षा विभाग से धनराशि के आवंटन में देरी होने की अवस्था में वेतन देरी से पहुंचाया गया।

(3) अध्यापकों का वेतन बकाया नहीं है।

Page No 43

पंचायत समिति छीपा बड़ोद का ट्रेक्टर

128. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति छीपा बड़ोद जिला कोटा में ट्रेक्टर कब व कहां से खरीदा गया था? 15 अगस्त, 1968 तक इस ट्रेक्टर से कितना काम किस–किस मास में लिया जा चुका है, तथा अभी तक कितने ड्राइवर कितने समय तक काम पर लगाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मार्च सन् 1967 में ट्रेक्टर प्रेम मोटर्स एवं–ट्रेक्टर्स, गुमानपुरा, कोटा से क्रय किया गया। महीने वार कार्य की सूची सदन की मेज पर रखी गई है। केवल एक व्यक्ति को 20–6–67 से 15-11-67 व 3-7-68 से 31–10–68 तक वर्क चार्ज पर ड्राईविंग के लिए नियुक्त किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पंचायत समिति उमरेण के सदस्यों पर समिति की बकाया रकम

129. श्री गंगासहाय (कठूमर)–क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति उमरेण (अलवर) के सदस्यों की ओर समिति का कितना रुपया बकाया है? क्या प्रधान की ओर भी कुछ बकाया है? यदि हां, तो कब से है तथा कितना है और किन किन कार्यों का है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

(12.05 म.प.)

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती मदन कोर : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूँ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय मैं याचिका समिति के पाचवें, एवं छठे प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) अध्यक्ष महोदय मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिलाने हेतु दो याचिका देने वालों में हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति सिकराय क्षेत्र में बिजली दिये जाने से संबन्धित चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

Page No 44

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।
(अनुपस्थित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने लूणकरनसर तहसील में एक महीने से चारे के अभाव और नल कूप के खराब हो जाने से पीने के पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति का उल्लेख करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल सदस्य, विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने ग्राम कठमाना तहसील टोंक के ग्रामवासियों का पुलिस की कार्यवाही से भयभीत हो जाना बतलाया है और इसमें सहायक जिलाधीश एवम् दण्डनायक का भी सहयोग होना बतलाया है।

इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र निर्णय से सूचित जायगा।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पेंडिंग रखा गया था।

(1) पहला स्थगन प्रस्ताव श्री ओमदत्त भाटी, सदस्य, विधान सभा का है। जिसमें जोधपुर नगर परिषद् के प्रशासक द्वारा अवैधानिक ढंग से गृह कर की वसूली से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा का है जिसमें तहसील नोहर के गांव सूरपुरा में होली की रात्रि को एक गुण्डे के एक हरिजन के मकान में घुस जाने, दो हरिजनों के घायल हो जाने व गुण्डे की मृत्यु हो जाने आदि के सम्बन्ध में तथा पुलिस की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

ये दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इन पर बजट पर होने वाली बहस के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा की जा सकती है। अत: मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है : श्री कुन्दनलाल चोधरी, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें तहसील दूदू के ग्राम दूदू, मौजमाबाद, महसपुरा आदि गांवों में एक महिने से चोरियां होने तथा इस संबंध में पुलिस की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया गया है कि राजस्थान नहर व भाखरा नहर में पानी बन्दी के कारण रबी की फसल बरबाद हो गयी है व वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है।

ये दोनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित कर आज इन पर चर्चा की जाय।

(श्री अध्यक्ष)

अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

बैरी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान विश्व विद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल करने का नोटिस दिया है, इस संबंध में दिया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे इसका ज्ञान नहीं है अभी मैं पता लगा लेता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल और भाखरा केनाल से पानी न मिलने के कारण जो काश्त नष्ट हो रही है अनूपगढ तहसील में उसके बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके बारे में जानना चाहता हूं कि जब काश्तकारों की फसल ही पैदा नहीं होगी तो क्या आप आबियाना लेंगे ? आप इस बारे में संबंधित मंत्री महोदय से वक्तव्य दिला दें ताकि वहां के काश्तकारों को कुछ राहत मिल जाती। जिनको डेढ़ महीने तक पानी नहीं मिले और उनसे आबियाना वसूल किया जाय यह कहां तक न्यायसंगत है इस पर भी आप इसे लोक महत्व का नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को बुलाकर इस बारे में बात करलें और उनको सन्तोष करा दें।

श्री रामप्रसाद लडढा : सवेरे ही माननीय सदस्य इस बारे में बात कर चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : आप इन्हें सन्तुष्ट नहीं कर पाये।

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्य का जो सवाल था वह अलग से बात करने का नहीं था यह प्रश्न लोकमहत्व का है इसलिये सभी इस बारे में जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर कोटा जिले में अपराधों की संख्या में वृद्धि व पुलिस की अकर्मण्यता की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। स्थगन प्रस्ताव में पुलिस व डकैतों के बीच हुई एक मुठभेड़ दिनांक 2-3-69 का भी उल्लेख कर पुलिस की अकर्मण्यता बताई गई है।

इस घटना पर अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर पाया जाता है कि कोटा जिले के अटरू पुलिस स्टेशन के गांव कराडिया में तारीख 23-2-68 को प्रातः करीब 2 बजे दस ग्यारह आदमियों ने देशी बन्दूकों, कुल्हाडियां आदि हथियार लेकर घासीलाल किराड के घर डकैती की, और 22,000) नकद, सोने की 12 मोहरें, 40–50 तोला सोना और 5–6 किलो चांदी करीब 32 हजार रुपये का माल लूट कर ले गये थे। मुकदमा फौरन कायम किया गया और तफतीश शुरू की गई जिसमें मालूम हुआ कि मौजा कराडिया के पास खुदने वाली नहर पर डेरा डाले हुए

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बावरियों ने यह वारदात की। दौरान तफ-तीश तारीख 1 मार्च को भोलू, पेमाराम बावरियान को थाना अटरू पर लाया गया था। भोलू ने दिनांक 2-3-69 को एक बन्दूक जो वक्त डकैती इस्तेमाल की गई थी, बरामद भी करवाई। तारीख 2 मार्च को डालनाथ को गिरफ्तार किया गया व उसके द्वारा कुछ चोरी का माल उसकी निसादेही से बरामद करने व अन्य मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पुलिस अधीक्षक, कोटा स्वयं मय अपने पुलिस दल के डेरों पर गये। इस पुलिस पार्टी द्वारा मुलजिम गोरधन बावरी को भी गिरफ्तार कर लाया जा रहा था कि अचानक 40.50 बावरी स्त्री एवं पुरुषों ने कुल्हाडी लाठियों आदि से मुसल्ले होकर इस पुलिस पार्टी पर हमला किया और पुलिस अधीक्षक सहित दो पुलिस आदमियों की पूरी पार्टी को जख्मी कर दिया जिसमें से एक हैड कान्स्टेबल को सख्त मजरूबी हुई। दो कान्स्टेबलों की राइफलें भी छीन ली गई और गिरफ्तार शुदा मुलजिम गोरधन को भी छुडा लिया गया। पुलिस ने आत्म रक्षा में 14 राउण्ड फायर किये और जख्मी कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल आदि को उठाकर ये लोग वापिस आये। इस घटना को लेकर अन्य केस ह. द. 395।397।332। 307। 225।149। आई. पी. सी. थाना अटरू पर दर्ज किया गया। इस केस के सम्बन्ध में दिनांक 3-3-69 को प्रातः काल पूरी पुलिस जाब्ते के साथ गिरफ्तारियां मुलजिमान और बरामदगी माल की कोशिश की गई। फल-स्वरूप 25 मुलजिमान जिनमें से .0 स्त्रियां भी थीं, गिरफ्तार हुए और दोनों राइफलें बरामद हुई। मुलजिम डालनाथ द्वारा एक सोने का बोर भी बरामद करवाया गया। डकैती के मामले में, मुलजिमान को छुड़ाने, पुलिस पार्टी को घेरने, मजरूब करने, और बन्दूकें छीनने के मामले में आगे तफतीश जारी है। कराडिया वाली डकैती के मामले में दो आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक बन्दूक भी बरामद हो चुकी है। जिसका इस्ते-माल वारदात में किया जाना जाहिर हुआ है। इसी तरह कुछ माल मसरूका भी बरा-मद हुआ है जिसकी सनाख्तगी आदि की कार्यवाही जारी है।

इन हालात में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अकर्मण्य है और न यह कहा जा सकता है कि जनता में असुरक्षा की भावना है। यह इल्जाम कि किसी औरत को नंगा किया गया, बिल्कुल गलत है। बदले की भावना से कोई कार्यवाही की गई, यह भी बिल्कुल गलत इल्जाम है। कानून की जद से जोर जबरदस्ती से बचने की कोशिश करने वालों के साथ और कानूनी तौर पर कर्तव्य पालन करती हुई पुलिस का मुकाबला करने वालों के साथ जो कार्यवाही की गई है, उसको बदला नहीं कहा जा सकता बल्कि ऐसा न करना भारी अकर्मण्यता होती। पुलिस की राइफलों को इन लोगों के हाथ में छोड़ देना समाज के साथ दुश्मनी करना होता।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुलिस की ओर से किसी किस्म की ज्यादती नहीं हुई है। जो 14 राउण्ड फायर किये गये उसमें भी किसी की मौत नहीं हुई सिर्फ कुछ आदमियों का जख्मी होना मालूम हुआ है किन्तु कई व्यक्तियों के फरार होने से पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कोटा जिले में जरायम की परिस्थिति पर प्रशासन की निगाह है और वह हर तरह काबू में है और इस विषय में जनता में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री की ओर से जो बयान दिया गया है उससे जाहिर है कि इन सारे तथ्यों पर किस प्रकार से पर्दा डालने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि यह तथ्य नहीं है।

तथ्य यह है कि कोटा जिले के अन्दर क्राइम्स की संख्या इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि राजस्थान में गंगानगर के बाद किसी का स्थान आता है तो कोटा जिले का आता है। इस एक डकैती का ही प्रश्न नहीं है, केवल जनवरी में बारां क्षेत्र में आस पास में 6 डकैतियां डाली गई हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका स्थगन प्रस्ताव एक डकैती के सम्बन्ध में था।

श्री अध्यक्ष : मैं भी निवेदन करूंगा कि इसको स्थगन प्रस्ताव तक ही सीमित रक्खा जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन आज तक पुलिस जैसा कि एक के बारे में यह बता रही है, किसी भी दूसरी डकैती में आज तक भी एक भी डाकू को नहीं पकड़ पाई है और न माल बरामद कर पाई है। जो केस पकड़ना और माल बरामदगी बताई जाती है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह बावरी लोग 7 दिनों से ही नहर पर काम नहीं कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे थे। वहां ये वहां के ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे। अफसोस इस बात का भी है कि पुलिस ने इनको डकैत मानने के बाद भी ठेकेदारों से या और किसी से यह तफतीश नहीं की न उनसे जानकारी की कोशिश ही की कि आया वे ही वास्तव में डकैत हैं। तथ्य तो यह है कि अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिये डकैतों का पता लगा पाने में नाकामयाब रहने पर और ऊपर से दबाव पड़ने पर किस्से को तोड़ मरोड़ कर इनको डकैत साबित करके इन बेगुनाह बावरी परिवारों को जाल डालकर फंसाया गया है।

बावरी परिवार क्रिमिनल्स माने जाते हैं पर इनका इरादा चोरी करना और सेंध लगाना, यहीं तक सीमित रहा है। आज तक के सारे राजस्थान के इतिहास में यह कहीं देखने में नहीं आया कि बावरी परिवार वेपन्स लेकर डकैतियां डालने कहीं गये हैं, या डकैतियां डाली हों। ये ताला तोड़ सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, पर वेपन्स लेकर डाका डाला हो ऐसा कहीं नहीं है।

इनको केवल फंसाया गया है अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिये। एडीशनल एस. पी., डी. आई. जी., एस. पी., डी. वाई. एस. पी. सब इन्सपेक्टर ये सारे के सारे जाकर बारां स्टेशन पर बैठे, वहां एस. पी. आफिस में रहे और अटरू जाकर इस गांव को इन्होंने घेरा। पहले पहल एक पेमा नामक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा। उसके साथ मार पीट की जब कुछ मालुम नहीं हो सका तो उसे छोड़ दिया गया। आज उसे फरार बताया जाता है।

बाद में जिस दिन की यह घटना है उस 2 तारीख को एस. पी, डी. वाई. एस. पी. और डी. आई. जी. सब इन्सपेक्टर और सिपाही

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

वगैरह राइफलों के साथ और मशीनगन लेकर लगभग सात बजे गांव में पहुंचते हैं और पहुंच कर एक गोरधन नामक व्यक्ति को पकड़ा। इस पर उसकी पत्नी ने छोड़ने की प्रार्थना की। नहीं छोड़ा उसे तो उसकी पत्नी रोती रही, चिल्लाती रही और कहती रही कि मेरे पति को छोड़ दो। उसके छोड़ने का आग्रह करने पर भी पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा बल्कि उस औरत को और पकड़ लिया और एस. पी. इन्द्रसिंह ने उस औरत को इज्जत के साथ खिलवाड किया, उसे अपमानित किया और नंगा करके पीटा भी। इस घटना से आसपास के घरों में गांव में उत्तेजना फैली और परिणाम स्वरूप आस पास के घरों से बावरी परिवार की काफी औरतें निकल कर आई और उन्होंने सारे पुलिसवालों को घेरा उनको मारा। आदमी वहां कोई नहीं आया। औरतों ने ही सारी कार्यवाही की और वह केवल गोरधन की औरत की बेइज्जती के काम से उत्तेजित होकर। पुलिस वाले काफी पिटते रहे। इसमें एस. पी. को भी चोट आई डी. वाई. एस पी. और सब इन्सपेक्टर सभी को चोटें आई। और सब पिटकर भागकर वहां से चले गये। यह कहना कि उनका मुकाबला किया उनका बन्दूकें छीन लीं यह सरासर झूठ है और मन गढ़त है। भागते समय दो बन्दूकें सिपाही वहां छोड़ गये। उस दिन कोई गिरफ्तारी वे नहीं कर सके। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस दिन कोई गिरफ्तारी पुलिस ने की? दो तारीख की रात को पुलिस बन्दूकें छोड़कर भागकर चली गई वहां से। और किसी को उस दिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। बल्कि अगले दिन तीन तारीख को दिन में आकर लोगों को घेरकर गिरफ्तार किया और उस गिरफ्तारी में औरत बच्चे और आदमी सभी हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव रखने की मंशा यह है कि अब उस घटना को डकैतियों के साथ जोड़ा जा रहा है। औरत का अपमान किया और इससे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उससे यह घटना पैदा हुई असल में तो अब डकैती की आड़ लेकर वहां औरतों बच्चों और आदमीयों को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। एक व्यक्ति की तो बहुत बुरी हालत है।

तो मैं जानकारी चाहूंगा कि जो आप कहते हैं कि बरामदगी की है कौनसी बन्दूक बरामद की गई है। एक छोटा सा तमन्चा आपने पकड़ा जो देशी बारूद से चलता है उसे नहर में से बरामद करके बताया गया और कहा गया कि यह बावरी परिवार के पास था। जिस तमन्चे से पूरी तरह से जख्म भी नहीं हो सकता उसके लिये कहते है कि वह पकडा गया माल मशरूका बरामद किया गया। क्या आप यह भी बतायेंगे कि अगर माल बरामद हुआ है तो वह कौन कौनसा है और कितनी कितनी कीमत का व कैसा कैसा है। दो और तीन तारीख की यह घटना है और आज 10 तारीख होने आई है। लोगों को, औरतों को और बच्चों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, अभी तक किसी प्रकार का कोई माल बरामद नहीं हुआ है। केवल अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिये यह सारा खेल खेला जा रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय सदस्य के इस प्रश्न का स्पष्टीकरण हो जाने दीजिए। इसके बाद आपका।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने काफी विश्लेषण किया । किस प्रकार यह घटना हुई, मौके पर क्या हालत थी, किसने क्या कार्यवाही की । दूसरे दिन जब पुलिस बरामदगी के लिये मुलजिमान को लेकर मौके पर गई तो क्या 2 हुआ यह सब मैंने विस्तार से अपने उत्तर में निवेदन किया है ।

अब माननीय सदस्य ने घटना को जिस प्रकार से होना बताया उससे लगता है जैसे मुलजिमान की तरफ से डिफेन्स दिया जा रहा हो ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिफेन्स तो मैं नहीं, आप कर रहे हैं पुलिस के काले कारनामे को वहां तो बेगुनाह लोगों के बचाने का सवाल है । बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए । डाकू पकड़े जाते नहीं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अब घटनास्थल पर न माननीय सदस्य थे, न मैं था । पूरी तफतीश से जो मालूम हुआ उस पर पुलिस आगे चल रही है । आपने कहा वे सिर्फ नकबजनी या चोरी ही करते है । पर यहां तो मजललोडेड गन्स काम में लाना बताया जा रहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितनी बडी देशी बारूद से चलने वाली थी । गोरधन को गिरफ्तार किया गया । नहर के पास से उसको बरामद करने को कहा गया ।

श्री हीरालाल देवपुरा : लेकिन जब ज्यों ही गोरधन का नाम आया वह गिरफ्तार हो गया । किराडिया गांव की तफतीश आगे नहीं बढ़ सकी है । दूसरे दिन इसको तफतीश करना जरूरी था । माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस वहां बन्दूकें छोड़ गई, यह गलत है–बन्दूकें छीनी गई हैं । दूसरे दिन प्रातः ये बरामद कराई गई है । मुलजिमान जो वहां पर नहीं थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, वे फरार थे । मैंने यह कहीं नहीं कहा कि औरतें गिरफ्तार नहीं की गई । औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बच्चे भी है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : बच्चे नहीं है। किराडिया के गांव की तफतीश जारी है । दो गिरफ्तार हुए हैं, चोरी का माल बरामद कराया है-एक बोर बरामद कराई है वह चोरी की बताते हैं । अभी उनकी तफतीश बाकी है इसलिए अभी निवेदन नहीं कर सकता । माननीय सदस्य ने यह कहा कि ये बावरी काफी लम्बे अर्से से वहां रह रहे है । ठीक है, हो सकता है काफी लम्बे अरसे से रह रहे हों · ·

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है–प्रश्न यह है उन्होंने कहा कि औरतों को पीटा है । क्या यह सत्य है ? इसका स्पष्टीकरण कर दीजिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि पुलिस के 11 व्यक्तियों के चोटें आई हैं, जो फरार हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तीन जख्मी हैं, कोई मरा नहीं है । पूरी तफतीश अभी सामने नहीं आई हैं इसलिए मैं नही कह सकता फायरिंग हुआ लेकिन किसी प्रकार की चोटें नहीं आई है माननीय सदस्य आप कहते हैं पुलिस की ज्यादती से चोटें आई हैं तो मेहरबानी करके आप नाम बता दीजिये–मैं जांच करवाऊंगा ।

श्री देवीदत्त गाडिया : पुलिस ने जान बूझकर इस दृष्टिकोण से किया है ।

Page No 50

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं एक जानकारी चाहता हूं जिन लोगों के चोटें आई हैं–किन किन अधिकारियों के चोटें आई हैं–क्या यह बताने की स्थिति में हैं आप ? आप कहते हैं पुलिस की फोर्स ने बन्दूकें छोड़ी है तो आप कोई भी बावरी को जो आपको गिरफ्तारी में हैं उनसे पूछ लीजिये। बन्दूकें छोड़कर वे भागे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्टीकरण हो जाने दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस परिवार के लोगों का मामला हमारे सामने नहीं आया है। मैंने तीन आदमियों के लिये कहा है।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी बन्दूक खो कर भाग गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो 11 व्यक्ति हैं पुलिस के जिनकी लिस्ट सुना रहा हूं एस.पी. ज्ञानसिंह सिंघवी के 5 चोटें आई हैं, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के चोटें आई हैं, इन्सपेक्टर के दो चोटें आई हैं····

श्री भैरोंसिंह : दांत किस किस के टूट गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया इसमें नहीं हैं। दुलीचन्द कान्सटेबिल के एक चोट है, एक दूसरे कान्सटेबिल के एक इन साइड वुन्ड है जो धारदार आका से आया बताया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इस सबको जाने दीजिये चोटें तो हो गईं। हमे आप यह बता दीजिये कि सारे घेराव में पुलिस के फोर्स में बावरिया की संख्या कितनी थी, उनके पास कितने हथियार थे पुलिस के कुल कितने लोग थे, उनके कुल कितनी चोटें आई और बावरियों के कुल कितनी चोटें आई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट बताया है फिर रिपीट कर दूंगा। पुलिस के 11 व्यक्तियों के चोटें आई हैं। बावरी 40–50 थे। औरतें और बच्चे भी उन्होंने पत्थर फैंके, लाठियां चलाई···कुल्हाड़ियों से चोटें आई हैं। बावरियों के कितनी चोटें आई हैं यह मेरे पास नहीं है लेकिन तीन व्यक्त जख्मी हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि जो बावरी काम कर रहे थे वे वहां के पाली और अजमेर जिले के अकाल पीडित लोग थे ? अकाल पीडित क्षेत्रों के थे और वहां काम कर रहे थे। उनके पास कलेक्टर का सर्टीफिकेट था कि ये अकाल पीडित लोग हैं। क्या मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे ? दूसरे माननीय मंत्री महोदय यह कहते है कि वे लोग डाकू थे और पुलिस की राइफल को छीन कर ले गये। मैं कहता हूं कि राइफल को छोड़ कर चले गये तो क्या वे लोग डाकू होते तो पुलिस की दो राइफिले लेकर नही जा सकते थे, वहीं छोड़कर क्यों जाते ? वे डाकू नहीं थे····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं दूसरे यह है कि जो गरधन लड़का है वह जैतारण क्षेत्र का है उसका कहना है कि हम अकाल पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं हमारे पास प्रमाण-पत्र है। मैं पढ़ा लिखा हूं इन्टरमिजियेट हूं यहां मजदूरी करते हैं। इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
पुलिस ने ग्रौर डी. ग्राई. जी. व एडीशनल ग्राई. जी. जो बैठे हुए थे इसको पिटाई की ग्रौर कहा कि तुमने षडयन्त्र रचा है . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : ग्रध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न पूछता हूँ जो बन्दूकें छोड़ कर भाग गये ग्रौर मंत्री महोदय कहते हैं छीन ली तो क्या वे उनको लेकर नहीं जा सकते थे ? वे बन्दूकें कहां पर बरामद हुई ? यह बताने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि बजाय इस सारे मामले की ग्रेविटि को समझने की कोशिश करें इसको बहुत ही दूसरा रंग दिया जा रहा है . . .

श्री देवीदत्त गाडिया : | एक साथ
श्री कृष्ण कुमार गोयल : | बोलने पर
ग्रश्रव्य

श्री दामोदरलाल व्यास : : जिस पुलिस पार्टी का नेतृत्व एक सीनियर पुलिस ग्रधिकारी मि. सिंघवी कर रहे थे। माननीय सदस्य जानते हैं कि वे किस प्रकार के ग्रधिकारी हैं ग्रौरतों को नंगी कर दिया जाय ग्रौर उनको पीटा जाय, यह उनके सामने नामुमकिन है। जिसकी वजह से हमला हुग्रा उसको ग्राप नहीं ले रहे हैं। पुलिस के चोटें ग्राई हैं, मैं यहां यह समझता हूं उसको ग्राप सरल ग्रौर एक ऐसी चीज ले रहे हैं ग्रापकी बात को मैं मानता हूं कि वह डकैत नहीं है यह ग्रापकी दलील है। वे नकबजनी करते हैं मगर डकैती नहीं कर सकते, चोरी करते हैं, नकबजनी करते हैं मगर डकैती नहीं है। चोरी करने वाले डकैती नहीं करते उन्होंने डकैती नहीं की, मगर पुलिस के पास इतना है मुस्तकिल वजूहात हैं गिरफ्तारी के। ग्रगर पुलिस पार्टी वहां गई ग्रौर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो इन्ट्रोगेशन को साथ लिया तो 50-50 मुसल्ला होकर हमला करते हैं तो ग्राप यह समझते हैं कि यह जुर्म नहीं है ? फिर तो लॉ एन्ड ग्रार्डर को मेन्टेन करना मुश्किल हो जायगा। पुलिस पार्टी सेल्फ डिफेन्स में फायरिंग करती है। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि पुलिस पार्टी पिट कर ग्रा गई भाग गई, ग्रापका कहना बहुत ग्रासान है। जो वजूहात है उनको हाजिर कर दीजिये। ग्रगर ग्राप जानते है कि जख्मी नहीं हुये है तो ग्राप उनको हाजिर कर दीजिये।

(श्री देवीदत्त गाडिया द्वारा व्यवधान उपस्थित करने पर)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह की बहुत ही संगीन घटना है। इतना बड़ा हमला होना, कान्सटेबिल, हैड कान्सटेबिल, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का जख्मी होना-एक साधारण घटना समझना, मैं समझता हूं यह कतई उचित नहीं है . . . .

श्री दुर्गालाल बाददार : ग्रापको पुलिस पार्टी तो ग्रौरतों से पिटकर ग्राई है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सारी घटना को मंत्री महोदय गलत बता कर भ्रम में डाल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं ग्रापको ग्रर्ज करूंगा इसमें ऐडीशनल ग्राई. जी.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पी. मौजूद थे और वह खुद, मुकदमें की तफतीश उनकी डाईरेक्शन्स में, उनकी सलाह से हो रही थी और मैं कभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई बाजाब्ता कार्यवाही इतने बडे आफिसर के होते हुए वहां नहीं हुई हो और खासतौर से सिंघवी के लिए तो कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इतने बडे आफिसर के सामने कोई कान्सटेबल, हैड कान्सटेबल या सब-इन्सपेक्टर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करे। मैं उस एवीडेन्स के ऊपर कह रहा हूं कि एडीशनल आई. जी. पी. वहां से अभी होकर आये हैं और खुद एस. पी. के इस घटना में चोटें आई हैं और इस मामले में जो कुछ कार्यवाही हुई है वह सही हुई है और किसी तरह की इसमें गफलत नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के एम. एल. ए. श्री नन्दलाल और अटरू के प्रधान गये हैं और वहां जाकर श्री नन्दलाल, एम. एल. ए. ने जांच की है और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि वह बावरी अकाल पीड़ित क्षेत्र के लोग थे और उनके पास कलेक्टर का सर्टी-फिकेट है कि वह अकाल पीड़ित हैं और इसीलिए वह नहर पर जाकर काम कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह बावरी कहां के हैं और कहां के नहीं है मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। वह अकाल पीड़ित क्षेत्र के हो सकते हैं लेकिन यह मतलब नहीं है इसका कि वह कोई आफेन्स नहीं कर पायेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि यहां जो भी प्रश्न उठाये गये थे उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया है। एस. पी. श्री सिंघवी बडे योग्य व्यक्ति हैं लायक हैं और उनके सामने इस तरह की कोई घटना नहीं हो सकती केवल इस बात को लेकर सारे तथ्यों को छिपाया गया है। हमने पूछा है कि जो बदूक छोड़ी गयी है वह छोड़कर भाग गये और वह बाद में सुबह बरामद कर ली गयी, हमने कहा है कि सब मजदूर भाग गये इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आप सिंघवी साहब के लिए श्रद्धा रखते हैं, मैं भी उनके लिए इतनी ही श्रद्धा रखता हूं और मैं मानता हूं कि वह ईमानदार हैं—इससे मैं भी इन्कार नहीं कर सकता लेकिन तथ्य यह है कि ऐसा नाम के व्यक्ति को जब अटरू लेकर आ सकते हैं और उससे जानकारी कर सकते हैं और वापसी छोड़ सकते हैं तो गोरधन नाम के व्यक्ति को जो उस समय मौजूद था उसको भी इसी प्रकार लेकर आने में क्या दिक्कत थी?

दूसरे आप कहते हैं कि श्री सिंघवी के सामने इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती, मैं भी इसको मानता हूं लेकिन गोरधन को एस. पी. सिंघवी ने और दुलीचंद सब-इन्सपेक्टर ने दोनों ने पकड़ा और उसी समय उसकी औरत को बुलाया। डी एस. पी. श्री इन्दरसिंह जो अटरू में हैं उन्होंने औरत को बुरी तरह से पीटा है और अपमानित किया है और उसमे प्रोवोकेशन हुआ है—इसका कोई उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया हैं। जितनी इन्क्वायरी बताई है सब मौजूद हैं और आप कहते हैं कि कोई अकर्मण्यता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने इतना फायरिंग किया और अकर्मण्यता नहीं दिखाई तो कम से कम इतना तो कह दें कि पुलिस वाले औरतों से पिटकर आ गये और हथियार छोड़कर आ गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने औरतों को बुजदिल समझ रखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के भालेरी अकाल राहत शिविर में सड़ा गला अनाज खाने और खारा व अस्वास्थ्यकर पानी पीने के कारण चिकित्सा के अभाव में कई मजदूर उल्टी व दस्त की बीमारी से मरने और अनेक बीमार होने के संबंध में जानकारी की जाने पर ज्ञात हुआ है कि अब तक कुल 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनमें से 14 व्यक्तियों की आन्त्रशोथ' के कारण मृत्यु होनी पाई गई है। शेष में एक को बुखार से, एक की दस्त से व एक की जापे की बीमारी से मृत्यु होनी पाई गई है। प्रत्येक राहत शिविर पर अच्छा पीने योग्य पानी दिया जाता रहा है और जल प्रदाय व्यवस्था भालेरी एवं लोगावास गांव से की जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि राहत शिविर में सड़ा गला अनाज खाने के कारण उल्टी और दस्त की बीमारी हुई है। जिले में लाल ज्वार (माइलो) उपलब्ध नहीं होने के कारण सफेद ज्वार वितरित की जाती रही है। यह ज्वार सारे जिले में उपयोग में आती रही है इसलिए यदि ज्वार में किसी तरह की खराबी होती तो अन्य स्थानों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इस शिविर में उस सफेद ज्वार में से भी लोगों ने नहीं ली है और वे अपने निजी तौर पर जो घाट खरीदकर अपना काम चलाते रहे हैं। केवल एक व्यक्ति श्री बागाराम ने दिनांक 16-2-69 को 12 किलो सफेद ज्वार खरीदी थी वह अभी तक मौजूद है। इस प्रकार सड़ा गला अनाज खाने और खारा अस्वास्थ्यकर पानी पीने के कारण लोगों को मृत्यु होने की बात सही नहीं है। मृत्यु होने का कारण यह है कि मौसम पलटाव के साथ साथ आन्त्रशोथ की बीमारी इस समय इस शिविर के आसपास के गावों में फैली हुई है यही बीमारी लगभग चार माह पूर्व भी फैली थी और उस समय एपीडेमिक डीजीजेज एक्ट 1897 की धारा 2 के अन्तर्गत जिला स्तरीय अधिकारी ने कार्यवाही की थी, इस समय भी चिकित्सा विभाग की ओर से पूर्ण तत्परता के साथ कार्यवाही की जा रही है। 3 डाक्टर और 4 कम्पाउन्डर 2 गाड़ियों में इस क्षेत्र में निरन्तर कार्य कर रहे हैं। जिलाधीशजी ने तीन बार इस क्षेत्र का दौरा करके व्यवस्था को देखरेख की है। निवारणात्मक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है कुओं में दवाइयां डलवा दी गई हैं। शिविरों पर पानी को ढक कर रखा जा रहा है और औषध की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। सूचना मिलने के पश्चात् स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है, राज्य सरकार स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और माननीय मेघराज जी दोनों ही 1 तारीख को शिवर में गये थे और उस समय शिविर में सभी मजदूरों से व्यक्तिशः सम्पर्क करके हमने यह जानकारी की थी और प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार जो तथ्य मालूम हुये थे उसके आधार पर यह

(श्री दौलतराम सारण)

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं खुद वहां का रहने वाला हूँ। तो गासा से पीने के लिए पानी दिया जाता है, मालेरी में पीने के लिए पानी दिया जाता है और विशेषतया तोगासा का पानी किसी स्वस्थ व्यक्ति को पीने के लिए भी मिले तो वह टट्टी जाने के लिए धोती नहीं खोल सकता इतना दस्तावर है। आप कहते है कि वहां पर मजदूरों को अच्छा पानी पिलाया जाता है और मजदूर उस पानी को पीकर क्यों नहीं बीमार होंगे। उस पानी के पीने से तो स्वस्थ आदमी को भी टट्टी लग जाती है। वह पानी इसलिए पीने के लिए दिया जाता है कि पानी लाने वाले अधिकांश लोग तोगासा के हैं। इसलिए वह उसी गांव से पानी ले आते हैं।

इसके अलावा मैं अनाज की स्थिति के बारे में कहूंगा। वहां पर प्राईवेट लोग दुकानें करके बैठे हुए हैं और वह 1 रुपये 10 पैसे में ज्वार का ऐसा सडा गला आटा देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो मजदूरों को पेमेन्ट टाइम पर नहीं होता–मेरे पास लिस्ट है –पेमेन्ट सब को चुकाते नहीं हैं, गैंग हर बार बदल दी जाती है नाम बदले जाते हैं, पेमेन्ट नहीं मिलता है और आवाज देने पर भी उनका चुकारा नहीं किया जाता है इसलिए आज वहां के मजदूर प्राइवेट लोगों से उधार लेने के लिए मजबूर है और वह गंदा आटा खाते है। क्योंकि चुकारे के अभाव में सरकार द्वारा उधार नहीं दिया जाता, समय पर पेमेन्ट नहीं दिया जाता, पूरा पेमेन्ट नहीं दिया जाता इसलिए उनको खराब अनाज दिया जाता है। उस अनाज और पानी को उपयोग में लाने के बाद कोई बीमारी को नहीं रोक सकता। अब इसके अलावा और कोई कारण है तो आप जांच करवाइये और मालुम करवाइये कि क्या कारण है।

इसके अलावा मेरे पास उन लोगों की सूची है कि जो लोग उस बीमारी से बीमार थे और काफी संख्या में लोग बीमार थे और उनको आगे क्या स्थिति हुई यह मैं नहीं कह सकता क्यों कि 1 तारीख को हम गये थे और 10 तारीख है इस बीच में काफी स्थिति बदल सकती है।

(12.49 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं निवेदन करूंगा कि आप उस ओर ध्यान दें और मीठे पानी की व्यवस्था करायें। अनाज लोगों को अच्छा मिले इसकी चेष्टा करें। मुझे चिकित्सा के लिए मालूम हुआ कि वहां कम्पाउण्डर है जो कि हफ्ते में कभी कभी जाता है और जो मजदूरों को वह इंजेक्शन लगाता है उसकी फीस लेता है और पैसा लेता है। यह मुझे जानकारी मिली और डाक्टर भी मैं वहां गया उसके पहले दो बार गया था सरसरी विजिट पर लेकिन मजदूरों की उसने कोई चिकित्सा नहीं की। आखिर मजदूर क्यों झूठ बोलते? झूठ बोलने के कारण क्या थे? मैं भी क्यों आपकी व्यवस्था की इस प्रकार की खामियां दर्शाने की चेष्टा करता यदि वह ठीक होती तो, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों की जिन्दगी खतरे में है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने वहां से क्यों की सूचना का और कोई जरिया नहीं था तो परिवार नियोजन की जीप जा रही थी तो जीप वाले के साथ मैंने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी। उस पर मुझे दूसरे दिन पता

(श्री दौलतराम सारण)

चला––चार दिन का मैंने दौरा किया था–– कि कलेक्टर साहब डाक्टर को लेकर रात को या शाम को पहुँचे थे, और उन्होंने वहां जरूर चिकित्सा की व्यवस्था की होगी। लेकिन मेरे जाने से पहले वहां पर न तो मजदूरों की चिकित्सा की व्यवस्था थी और न कोई थी, न अनाज को कोई व्यवस्था थी और न पानी की व्यवस्था थी। आप कहते हैं कि पानी भरकर रखा जाता है। वहां पर हजारों मजदूर रहते हैं, रात को रहते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद भी, मैंने देखा है, लोगों ने डेरों डेरों पर मुझे ले जाकर दिखाया है कि पानी की एक बूंद नहीं थी। आबदस्त लेने के लिए भी पानी नहीं था। ऐसे कई गैंग मैंने वहां पर देखे थे। यह हालत उस खारे पानी की थी, मीठे पानी का तो सवाल ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी व्यवस्था ठीक करायें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जब भी किसी बीमारी की इत्तिला कलेक्टर या दूसरे मेडिकल आफिसर्स को मिली तो तुरन्त मौके पर पहुँच कर जो कुछ भी बीमारी थी . . .

श्री दौलतराम सारण : एक प्रश्न और, उपाध्यक्ष महोदय, बीच में निवेदन कर देता हूं कि 23 तारीख से 28 तारीख तक जो आदमी मरे हैं जिसकी 15 की संख्या आपने बताई है तो इस बीच में क्या जिलाधिकारी को बीमारी का पता था ?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) व नहीं मर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं नहीं कह सकता कि जिलाधिकारियों को किस वक्त में इत्तिला हुई है। जिन आदमियों की डेथ हुई है वह 20 तारीख को हुई है 23 तारीख को नहीं हुई है, लेकिन 20 से देखें तो केवल 17 आदमियों की डेथ हुई है जिसमें से 15 आदमियों को तो कैम्प में हुई है और दो आदमियों की जो डेथ हुई है वह बाहर हुई है गांव में। वे कैम्प में काम नहीं करते हैं। यह बीमारी कैम्प में ही नहीं हुई दूसरी जगह भी फैली है।

यह कहा गया है कि सड़ा-गला अनाज दिया गया तो सरकारी अनाज तो बाजाराम को ही दिया गया है और वही व्यक्ति जिन्दा है। जो कुछ ज्वार का आटा दिया जाता है वह अस्वास्थ्यकर है यह कहा गया है तो मैं आज ही आदेश देकर यह व्यवस्था करूंगा कि अगर वह आटा अस्वास्थ्यकर है तो इस आटे को वितरित नहीं किया जाय।

जहां तक पानी की बात रहती है तो मुझे इस बात की इत्तिला दी गई है कि पानी तो दूसरे आदमी भी पीते हैं और उनको बीमारी नहीं हुई है। मैंने यह आदेश दे दिया है कि इस पानी को बन्द कर दिया जाय और उस पानी को टेस्ट करवाया जाय उसके लिए पानी की एक बोतल मेरे पास भिजवा दी जाय।

जहां तक ज्वार के वितरण की बात करते हैं तो राज्य सरकार ने सस्ते अनाज की दुकान करदी है। उसका सेम्पल मंगा लिया है और आदेश दे दिया गया है कि इसको पब्लिक एनेलिस्ट के पास जांच के लिए भिजवाया जाय। जो अनाज राज्य सरकार

Page No 56

(श्री परसराम मदेरणा)
वितरित करती है उससे डेथ नहीं हुई है और जहां तक पानी का प्रश्न है तो उससे कुछ व्यक्तियों की डेथ हुई हो लेकिन दूसरे लोगों की डेथ नहीं हुई है तो मैंने यह व्यवस्था करदी है कि इस पानी को बन्द कर दिया जाय और एक बोतल उसकी मेरे पास भिजवा दी जाय। तब तक के लिए दूसरी व्यवस्था कर दो जाय। पानी की जो दवाइयां साफ करने की होती हैं ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन वह उस कुए में डालकर नेसेसरी प्रिकाशनरी मेजर्स आफिसर्स ने ले लिये हैं। दो डाक्टस वहां पर बोल दिये गये है और दवाइयें उनको दे दी गई हैं और बराबर चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। हो सकता है कि चाहे फैमीन है चाहे नहीं हो कई दफा इस प्रकार की बीमारियां जो कन्टेजस डिसीजेज है वे फैलने लग जाती हैं उसको रोकने की कार्यवाही जब पता लगता है तो तुरन्त की जाती हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): माननीय मंत्री महोदय ने आदमियों की मौत को इतने हलके तरीके से लिया है। आप कहते हैं कि गांव में पानी पीने वाले बहुत से थे और कैम्प में भी उस पानी को पीने वाले बहुत से थे और खाना खाने वाले भी बहुत से आदमी थे तो 15 आदमियों को तो मौत हो गई लेकिन औरों की मौत नहीं हुई इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि खराब पानी और खराब खाने से ये मौतें हुई हैं। एक गांव में एक आदमी खराब पानी और खराब खाने से जिन्दा बच जाय और सब आदमी मर जायं तब आप मानेंगे कि खराब पानी और खराब खाना है। इस हलकेपन से आप बात करते है आप कहते है कि सैम्पल मंगाया है, आप कहते हैं कि बोतल मंगाई है, आप कहते हैं कि हमें इत्तिला मिलेगी तब करेंगे, तो आपका कोई न कोई अधिकारी तो वहां रहता है उनको जिम्मेदारी है कि डाक्टर रखे। इतने हलकेपन से आदमी की मौत को लिया जा रहा है कि उसका कारण खराब खाना नहीं है, खराब पानी नहीं वे तो बीमारी से मर गये तो कौन सी बीमारी खराब खाने और खराब पानी से नहीं होती है? इस प्रकार की लचर दलील देकर इन्सान की जिन्दगी के साथ खिलवाड कर रहे हैं यह शर्मनाक बात है। मंत्री महोदय, अगर सही बात नहीं होती तो आप इतनी धीमी जबान से और इतने मरियल ढंग से नहीं बोलते जितने कि आज बोल रहे हैं। इनको खुद को विश्वास है कि वहां पर गड़बड़ होना चाहिए लेकिन बाद में बात को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं कि 17 आदमियों की मौतें हुई हैं और जिसमें से 15 आदमी कैम्प में मरने के लिए कहते हैं तो इसकी सही तरीके से जांच करायें उच्च से उच्च अधिकारी के द्वारा तभी आप कह सकते हैं जांच के बाद कि खराब पानी और खराब खाने से मौतें हुई हैं या नहीं हुई हैं। केवल एक अधिकारी जो कि जिम्मेदार है राशन के बंटवारे का और जो खाने में लगा हुआ है और जो समय पर वितरित नहीं होता है उसकी बात पर न कहें। माननीय सदस्य वहां गये हैं और उन्होंने देखा है। उनको देखना चाहिए कि किसकी ला परवाही के कारण उनको इस तरह का खराब खाना लेना पड़ रहा है मजबूर होकर और इस गन्दे खाने के लिए और गन्दे पानी के लिए कौन जिम्मेदार है इसकी जांच करवानी चाहिए और उनमें, जो दोषी पाये जाय उनको सजा

Page No 57

(श्री नत्थीसिंह भरतपुर)

देना चाहिए। जौहरी बाजार में आदमी मार दिये जायं और अकाल में मर जायं इन सब को एक हलकेपन से लेना शर्मनाक बात है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : आपने इस बात की जांच करा ली है कि ये जो 15 आदमी मरे हैं वो कोई विशेष प्रकार की बात थी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने मंत्री महोदय का उत्तर सुना नहीं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनमें 25 वर्ष के, 30 वर्ष के, 18 वर्ष के, 15 वर्ष के इस प्रकार के युवक लोग हैं, अधिकांश जवान हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि नौजवान और नवयुवतियां हैं। एक 20 तारीख को मरा है और बाकी 23 तारीख से लगाकर 28 तारीख तक मरे हैं। मैं कहता हूं कि मैं एक तारीख को गया था और आप फर्मा रहे हैं 2 तारीख का तो इन दिनों में और मरे होंगे उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। बीमारों की संख्या जरूर है। मेरे समय में 15 मरे थे अब 17 मर गये हैं। आप बतलाते हैं संख्या बढ़ी है। मरने वाले विभिन्न गांवों के है। वे गांव वहां से कोई 10 मील, कोई 15 मील और कोई 20 मील हैं। कई इस तरह के भी हैं, जैसे मेकूसर, भिलारी-भालेरी तो वही गांव हैं–मेलूसर, लखनवास के हैं, तोगास के हैं, कुछ फागां के हे और खंडवा के हैं, खंडवा के हैं जो काफी दूर हैं सारण के हैं, शिमला के हैं जो कि बहुत दूर है। इस प्रकार अनेक गांवों के लोग हैं। बीमारों की सूची मेरे पास है लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस तरह से इन 5–6 दिनों में और बीमार मरे हों वहां पर सारा स्टाफ लगा हुआ है। रोज आपको प्रोग्रेस जाती है, लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि किसी आदमी ने जाकर यह सूचना नहीं दी कि यहां पर आदमी मर रहे हैं। मेरे पहुंचने के बाद में कलेक्टर साहब वहां पर डाक्टर को लेकर पहुंचे हैं उसके बाद डाक्टर जरूर चक्कर लगा रहे होंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि लोग मर जायं और सात-सात दिन तक मरते रहें और आप कहते हैं कि ठीक व्यवस्था थी। आखिर यह तो मालूम करें कि 7 दिन तक मरने वाले किस बीमारी से मरे। मेरी यह जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय, कि जो मजदूर उनको जलाने के लिए गये उनकी हाजरी काट दी गई है। वहां पर मजदूर रो रहे थे....

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां की व्यवस्था ठीक करने की चेष्टा करें क्योंकि इन्सान की जिन्दगी का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों की जानकारी चाहता हूं–एक तो यह बतायें माननीय मंत्री महोदय कि आप किस कारण से इस जानकारी पर पहुंचे हैं कि मरने वाले आन्त्रशोथ की बीमारी से मरे थे, एक तो इस बात की जानकारी करना चाहूंगा।

Page No 58

(श्री भैरों सिंह)

दूसरी इस बात को जानकारी चाहूंगा कि जब पहला आदमी आन्त्रशोथ की बीमारी से मरा 28 को जैसा कि माननीय दौलतरामजी ने कहा कि 28 तारीख तक मरते रहे तो 7 दिन तक हास्पिटल और डाक्टर की क्या व्यवस्था कराई गई ?

(1 म. प.)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पर यह चार्ज लगाया है कि मैं जोर से नहीं बोलता हूं । जोर से मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बसी का पानी तो नहीं पी लिया है ।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय किसी भी इन्सान की जिन्दगी चाहे छोटी हो या बडी हो, एक बहुत बडी कीमत है । इसलिए राज्य सरकार को उसे हलकेपन से लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि आप व्यवस्था नहीं करते हैं । व्यवस्था हमने अनाज की की है । लेकिन अनाज के जो भाव थे उससे जो का आटा सस्ता मिलता था । जो कि बाजार से लेते थे । मैं दिसम्बर की 30 तारीख को पुष्कर के रास्ते से निकला था । पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूर घर जा रहे थे । मैंने उन्हें रोक कर उनके पास आटा देखा था । हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट आदमी से खरीदा है ।

श्री दौलतराम सारण : 1 रु. 10 पैसा, लेते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में क्यों बोलते हैं । मैं तो बोलता नहीं आपके बीच में ।

श्री दौलतराम सारण : आप गलत कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं गलत हूं और आप सही कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि क्या वह आंत्रशोथ की बीमारी से मरे । जो मेडिकल डाक्टर घूम रहे हैं उनकी यह ओपीनियन है कि खाने पीने से इस बीमारी का सम्बन्ध नहीं । यह मेडिकल डाक्टर्स की राय पर कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : जो मरे हैं, उनको एक एक की जांच कराई है कि आन्त्रशोथ की बीमारी से मरे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : हमारे पास रिपोर्ट आई है । एक एक की जांच का सवाल नहीं है । एक एक की जांच का मतलब तो पोस्टमार्टम है ।

श्री भैरोंसिंह : किसी से यह पूछा है कि क्या खाया है, क्या पाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : और लोग हैं, उनको भी ऐसी बीमारियां हो रही हैं दस्तें और उलटियां हो रही हैं । आज भी कुछ लोग बीमार हैं । उसके आधार पर क्या

(श्री परसराम मदेरणा)

मेडिकल डाक्टर्स ने लगाया है। जो आदमी की डेथ हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपका कयास है कि आन्त्रशोथ से मरे हैं। बाकी का खयाल है कि भूख से मरे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : डाक्टर्स कह रहे हैं कि आन्त्रशोथ की बीमारी से मरे हैं उनको उलटियां और दस्ते लगी हैं। दूसरी बात यह कही है कि इन्हें इन्फार्मेशन नहीं है। इसका मैं पता लगाऊंगा कि यह इन्फार्मेशन कब दी। मैंने पहले भी यह इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये हैं। जहां कहीं लोग बीमार हैं वहां डाक्टर लोग घूम रहे हैं। हमने एक हजार लोगों को इस काम में लगाया है। पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं। इसके अलावा हालांकि हमने आज कलेक्टर को टेलीफोन भी किया। कलेक्टर या दूसरे अधिकारी जो पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स से सम्बन्ध रखने वाले हो लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर सका असेम्बली का समय हो गया था। जहां तक सवाल लोगों की मृत्यु को हलकेपन से लेने का है, राज्य सरकार ने कभी ऐसा नहीं लिया है। बाड़मेर और जैसलमेर में अपेडेमिक फैल गई थी। इमीजिएट वहां गये हैं। बीमारी शिविरों में फैल गयी। गांवों में भी फैल गई है। फ्लू भी हो गया है। अमेरिका के प्रेसीडेंट जिसको कोई कमी नहीं है उसको फ्लू हो गया तो हास्पीटल में एडमिट होना पड़ा। वहां जी डाक्टर काम करते हैं। दूसरे डी. एम. एच. ओ. जो फेमेली प्लानिंग है, उनको देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम की दृष्टि से उनको किया गया है। मैं इस बात का खयाल रखूंगा कि उस क्षेत्र में जो उनको डिवाइड किया है उनमें डाक्टर्स जायें।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री दौलतराम सारण : मेरा आरोप था कि 20 तारीख से 28 तारीख तक मजदूरों को दवाई नहीं दी गई, उसके अभाव में मर गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मंत्री महोदय, ने आश्वासन दे दिया है कि जांच करायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : आन ए पॉइंट ऑफ आर्डर।

बेरी आयोग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई है, इससे पहले भी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई थी तो माननीय सदस्यों ने कहा था कि जब तक इसका हिन्दी में अनुवाद नहीं हो तब तक इस पर कोई विचार नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अरे भाई हमारे कहने पर हुआ है विचार तो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर मिनिस्टर साहब की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि हम जल्दी से जल्दी हिन्दी में अनुवाद कराके प्रस्तुत करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है। अंग्रेजी की प्रतियां आई हैं। शासन को कई बार कहा गया है। हमें हिन्दी की प्रतियां मिलनी चाहिए। शासन ने कई बार कहा है लेकिन गवर्नमेंट ने कोई

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
विचार नहीं किया है। इसके अलावा मैं दूसरी बात यह भी कहूँगा कि अंग्रेजी में पूरे लोग सदन में रिपोर्ट की चर्चा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हम आपका आशय समझ गये हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं पूरी बात कहूँगा फिर आप चाहे जो व्यवस्था दें। सदस्यों का मत है कि जब तक हिन्दी अनुवाद नहीं मिले तब तक इस रिपोर्ट पर विचार नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से और आसन से आग्रह करूंगा कि बेरी आयोग प्रतिवेदन पर जब तक हिन्दी अनुवाद उसका नहीं आये विचार नहीं होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हिन्दी का जो अनुवाद है इसका उसको पेश करने का मैंने वायदा किया था, और मैंने यह अर्ज किया था कि इसका हिन्दी अनुवाद कराना शुरू कर दिया गया है। लेकिन यह इतनी बड़ी रिपोर्ट है इसलिए इसका हिन्दी अनुवाद अभी पूरा नहीं हुआ है। उसमें अभी और समय लगेगा। यही वजह है कि मैं चाहता था कि इस रिपोर्ट पर बहस कुछ दिन बाद हो परन्तु विरोधी दलों के माननीय नेता ने जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में इसरार किया कि बजट के तुरन्त बाद रिपोर्ट को लिया जाय तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि जो रिपोर्ट हमारे पास थी और जो माननीय सदस्यों को सप्लाई की है, उस पर ही बहस की जाय। हिन्दी अनुवाद सप्लाई करके बहस करना जरूरी था लेकिन इस रिपोर्ट के हिन्दी अनुवाद के ऊपर बहस होना मुमकिन नहीं था और तब बजट के बाद ही इस पर बहस हो सकती थी। परन्तु चूंकि माननीय सदस्यों का इसरार था कि बजट के पेश होने के बाद पहला आइटम इसको रखा जाय, इसलिए इसको रख दिया गया है। यह मजबूरी की बात है वरना माननीय सदस्यों को हिन्दी अनुवाद से महरूम रखने की बात नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हमें सन्तुष्ट करने की कोशिश की है कि विरोधी दल के नेताओं ने उनको यह कहा कि इस पर जल्दी से जल्दी विचार होना चाहिए। इसे मैं गलत नहीं कह सकता। कहा होगा अवश्य कहा होगा। परन्तु फिर भी मैं यह अवश्य निवेदन करूंगा कि जितना समय आपसे हमने मांगा था उससे ज्यादा समय आपको मिल गया है। जिस समय पर यह बेरी आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की गई उसको काफी टाइम हो गया है। इस बीच में अगर आप हिन्दी अनुवाद माननीय सदस्यों को वितरित करना चाहते हैं और उस पर सबके विचार जानना चाहते और सब लोगों के विचारों को सुनने की आपकी इच्छा होती तो मैं समझता हूँ कि आप इससे पहले भी हमें यह रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद वितरित कर सकते थे। मगर आपकी या गवर्नमेंट की समझ लीजिए, यह नीति रही है कि सब इस पर अपने विचार व्यक्त न कर सकें। दूसरे, इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि हर प्रान्त में उनकी जो मातृभाषा होती है उसमें ही सारी चीजें वितरित करते हैं, बंगाल में बंगाली में मद्रास में मद्रासी में। जो भी प्रान्त की मातृभाषा होती है उसमें सारी चीजें दी जाती हैं। परन्तु हमारे

Page No 61

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

राजस्थान में, हम लोगों के हक के ऊपर समझ लीजिये, जो हिन्दी जानने वाले हैं, यह एक कुठाराघात समझ लीजिये। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ तबका है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, नौकर हैं, मुलाजिम हैं वह हिन्दी जानने वाले राजस्थान के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा और आरोप लगाना चाहूंगा कि अंग्रेजी रिपोर्ट पर जो बहस की जा रही है उससे हम लोगों···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री डूंगाराम राजोरिया : के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है ताकि हम जो बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, उससे हमें रोकने और बहस में भाग लेने से महरूम किया जाय, जैसे कि गये जमाने में ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ने संस्कृत के अलावा हिन्दी में कभी कुछ नहीं होने दिया··

श्री जयनारायण सालोदिया : अब भी ब्राह्मणों का राज्य है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसी तरह से राजस्थान वालों को इसमें भाग लेने से रोकने की कोशिश करते हैं। राजस्थान सरकार एक तरफ कहती है···

श्री उपाध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हिन्दी में जितनी बातें हैं वह सारी की जायेंगी लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की कार्यवाही करती है। मैं इसका घोर विरोध करूंगा। इस रिपोर्ट पर यदि विचार होता है तो मैं समझता हूं कि यह उन लोगों पर घोर अत्याचार होगा जो हिन्दी जानने वाले हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बात माननीय सदस्य की सही है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह हिन्दी में रिपोर्ट देंगे। लेकिन हम जानते थे कि माननीय मंत्रीजी की नीयत नहीं है कि बेरी आयोग ने जिस तरह से सरकार को अपराधी ठहराया है वह जल्दी से जल्दी जनता के सामने और इस सदन के सामने आये। इसलिए आपद् धर्म के रूप में हमने सोचा, मत धरो हिन्दी में तब भी हम इस पर बहस करेंगे। यह निन्दा की बात है कि सदन का सारा काम काज हिन्दी में हो लेकिन हिन्दी में रिपोर्ट नहीं दी जाय। आप इस अपराध से बच नहीं पायें इसलिए हमने इस बहस को इस रिपोर्ट पर शुरू कराया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं चाहूंगा···

श्री उपाध्यक्ष : आब्जेक्शन ओवर रूल्ड।

श्री मदनसिंह : जो इंगलिश में कहा जाय वह हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाय ताकि हिन्दी जानने वालों की समझ में आ जाय।

श्री लालूराम सुलानियां (फागी सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यहां मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हिन्दी में प्रतियां ज्यों ज्यों छपती जायंगी···

श्री उपाध्यक्ष : यह आपत्ति दूसरे माननीय सदस्य अभी कर चुके हैं। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस पर निर्णय क्या दिया गया ?

श्री लादूराम सुलानियां : वैसे वैसे माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायेंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई....

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने निर्णय दिया है, आपकी आपत्ति को माना नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : लेकिन यदि हिन्दी में कापियां वितरित हो जाती तो जयपुर की जनता और जयपुर के नागरिक उनको पढ़ते और सरकार को कहते कि यह लोग अपराधी हैं। इस बात को दबाने के लिए दरअसल यह कार्यवाही करते हैं। जब हिन्दी राजस्थान में लागू हो गई है, सरकारी काम काज में इसका उपयोग शुरू हो गया है हिन्दी में ही सारा काम काज होता है तो बेरी आयोग की रिपोर्ट हिन्दी में क्यों नहीं प्रस्तुत कराई गई....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानियां : जब कि इसको पेश किये हुए डेढ़ महीना हो गया है। इस प्रकार जो आप निरन्तर हिन्दी की अवहेलना करते हैं इसका हम विरोध करते हैं और भरसक विरोध करते हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक हिन्दी में प्रति नहीं उपलब्ध कराई जाय तब तक इस पर बहस न की जाय। इस पर बहस करने के लिए दूसरा दिन मुकर्रर किया जाय। आज इस पर बहस न करके इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह दांता : इतना काम स्वतंत्र पार्टी करा ले तो मानूंगा बहुत बड़ा काम किया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ऐसी बात नहीं...

श्री लादूराम सुलानियां : ऐसी बात नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वैसे माननीय सदस्य ने कह दिया कि स्वतंत्र पार्टी इस काम को करा ले। यह बात कहना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। यह सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न है। जितने आपके दल में बैठे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : उनके भी विचारने का यह विषय है। यह कोई बात हुई ? मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय इसके बारे में अपनी रूलिंग दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या दे दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका आब्जेक्शन है उसको ओवर रूल किया है। आपने आब्जेक्शन किया उसको ओवर रूल किया है।

श्री लाबूराम सुलानियां : यह बतादें कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप हमारी आपत्ति को स्वीकार न करें इसका मतलब है कि हम लोगों के प्रति आसन भी उपेक्षा बरतता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : हिन्दी में प्रतियां कब तक दे देंगे ?

श्री लाबूराम सुलानियां : कब तक दे देंगे, नहीं, अब तक दी क्यों नहीं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : हम पूछना चाहते हैं कि अब तक दी क्यों नहीं गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री लाबूराम सुलानियां : हम लोगों ने यह बात कही है, वह सदन के अन्दर हमारे अधिकार के बारे में है। उस पर आप का निर्णय चाहिये· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आसन पैरों पर है।

श्री लाबूराम सुलानियां : आसन क्या कहना चाहता है वह कहे।

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जहां रिपोर्ट दी थी उस पर दो दिन पहले वह पेश हुई, उचित यह होता उस समय आप यह मांग करते और यह ऐतराज करते कि हिन्दी में इसकी कापी प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसकी बहस को आगे के लिये रखा जाय। यह उस वक्त तो फर्माया नहीं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं उन सभी दलों के प्रतिनिधियों की यह राय थी कि हिन्दी अनुवाद न होने पर भी इस पर बहस करली जाय जल्दी से जल्दी, इसलिये दिन मुकर्रर कर दिया गया। आज जब रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई है उस वक्त आप ऐतराज कर रहे हैं। यह बहुत ही डिलेड एक्शन है।

श्री लाबूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से जो आदेश हुआ है वह तो सर्वमान्य है लेकिन राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार वही सवाल उठा रहे हैं।

श्री लाबूराम सुलानियां : उस आश्वासन के अनुसार हिन्दी में प्रतियां क्यों नहीं दी गई ? इसके लिये क्या पैनल्टी करते हैं सरकार पर· · · · ·

श्री नत्थी सिंह : सरकार नहीं गृह मन्त्री जी पर।

श्री लादूराम सुलानियां : यह बात· ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार बार वही सवाल उठा रहे हैं।

श्री लाबूराम सुलानियां : आप यह कह दीजिये कि मुझे अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कतई अधिकार नहीं है, चार चार, पांच पांच बार एक ही बात कहने का ।

श्री लाबूराम सुलानियां : हमें बराबर बोलने का अधिकार है।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** : हमें बराबर आपत्ति करने का अधिकार है। आपने यह बात कह कर टाल दिया कि उस समय आपत्ति क्यों नहीं उठाई। यह राज्य सरकार के सोचने की बात थी कि जो आश्वासन उसने दिया उसको पूरा करते। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह निर्णय लिया उस वक्त यह सरकार के सोचने की बात थी और उसको कहना चाहिये था कि हमने सदन में यह आश्वासन दिया है, उसको पहले पूरा करना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप सदन का वक्त खराब कर रहे हैं।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** : सरकार को यह कहना चाहिये था कि हमने सदन में जो आश्वासन दिया है उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। तो जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया गया उस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को पेश करने से पहले यह सरकार के सोचने की बात थी। इस लिये जब तक हिन्दी की प्रतियां नहीं बंटे इस पर तब तक विचार नहीं होना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री **लादूराम सुलानियां** : इसका उत्तर कब मिला उत्तर नहीं मिला है।

श्री **उपाध्यक्ष** : उत्तर मिल गया है। माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें।

श्री **लादूराम सुलानियां** : हमें हिन्दी में प्रतियां क्यों नहीं दिलवाई गई ? आज तक हिन्दी की प्रतियां क्यों नहीं छपीं ? कब तक छपेंगी। आप एक काम करा दीजिये, हम आप पर यह छोड देते है, जितने भी लोगों को जो भी बातें अंग्रेजी में आय, उनका हिन्दी में अनुवाद करवा दीजिये तो हम मान जायेंगे।

श्री **भैरोंसिंह** : यह सब कुछ नहीं। माननीय सदस्य का सुझाव है कि गृह मन्त्री पर पैनल्टी लगादी जाय कि इतने दिन में प्रकाशित नहीं करेंगे वितरित नहीं करेंगे तो इतनी पैनल्टी देंगे।

श्री **दामोदर लाल व्यास** : वह तो आप पर होगी।

श्री **लादूराम सुलानियां** : हम इस पर बराबर आपत्ति उठायेंगे....

श्री **उपाध्यक्ष** : बराबर बोलने नहीं दिया जायगा। आर्डर प्लीज !

श्री **लादूराम सुलानियां** : क्या आसन की यह मन्शा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाय ?

श्री **उपाध्यक्ष** : अब आश्वासन किस बात का चाहते हैं जब चर्चा शुरू होने को है ?

श्री **लादूराम सुलानियां** : हिन्दी की ही प्रतियां बंटे।

श्री **उपाध्यक्ष** : इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री **लादूराम सुलानियां** : तो यह कह दीजिये कि नहीं बंटेंगी।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा** : तो क्या यह मान लिया जाय कि आश्वासन यह दिया था कि हिन्दी की प्रतियां नहीं मिलेंगी जब कि

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
वादविवाद आज शुरु हो गया है ? क्या यह मान कर चला जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्री जी कुछ उत्तर देंगे ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इतना तो स्पष्टीकरण करदें।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं बहुत जल्दी ही हिन्दी ट्रांन्सलेशन होकर ट्रांन्सलेटेड जैसे ही प्रकाशित होगी, डिस्टिब्यूट करदी जाएगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसी सत्र में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी सत्र में।

श्री लादूराम सुलानियां : सत्र तो दो महीनें चलेगा। अगर सत्तर खत्म होने पर देंगे····

एक माननीय सदस्य : सत्तर नहीं सत्र !

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : तो मत करो बहस।

श्री मदन सिंह : यह तो फर्मादें कि माननीय सदस्य जो अंग्रेजी में बोलें उसकी हिन्दी करवा दी जायगी।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं तो खुद चाहता हूं कि हिन्दी में आने पर बहस हो।

श्री नत्थी सिंह : आप तो चाहते हैं कि बहस हो ही नहीं।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कोई निर्णय नहीं दिया। फिर आश्वासन क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। आप एक विषय पर पांच दस दफा कह चुके हैं, मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि हिन्दी में अनुवाद करा कर प्रकाशित कर उसको वितरित कर दिया जायगा। फिर उसके बाद आप क्यों चाहते हैं ? आज बहस नही हो, यह सम्भव नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : तारीख बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह आशा रखते थे कि हिन्दी में इस रिपोर्ट का अनुवाद आयेगा। और हम भी इस पर होने वाली बहस में हिस्सा ले सकेंगे। हमतो यह आशा लगाये बैठे थे पर हिन्दी अनुवाद हमारे पास आया ही नहीं, फिर हम इस बहस में हिस्सा कैसे लेंगे ? हम तो आरोप लगाते हैं राज्य सरकार पर कि वह इस प्रकार की बातें करती है, वह अनुचित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर, जिस की प्रति 25 फरवरी, 1969 को सदन की मेज पर रखी गई थी, उस पर सदन में विचार किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मैं अपने विचार इस सदन में रखूं मैं इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं इस प्रतिवेदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि हिन्दी प्रतिलिपियां प्रकाशित और प्रसारित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार ने कार्यवाही की है, मैं उसकी निन्दा करता हूं और माननीय सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चित्त भी मेरी पुट भी मेरी।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बैरी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार अप्रेल मास तक टालना चाहती थी। इस प्रतिवेदन का हिन्दी में अनुवाद नहीं हो, क्योंकि रिपोर्ट लम्बी है, इसके हिन्दी अनुवाद में समय अधिक लगेगा इन आधारों पर राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विवाद की दृष्टि से अप्रेल मास तक ले जाना चाहती थी। विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों ने अत्यन्त गम्भीरता के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस बात का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि इस पर शीघ्र ही विचार किया जाय और राज्य सरकार को इस बात के लिये झुकना पडा कि इस पर विचार अप्रेल मास में नहीं अभी किया जाय। यद्यपि बैरी आयोग की रिपोर्ट की हिन्दी अनुवाद की कापियां हमको नहीं मिली हैं इसलिये अनेक माननीय सदस्यों को इस रिपोर्ट पर बहस में भाग लेने में विघ्न बाधाएं आयेंगी पर हम उन माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी देकर उस बाधा पर काबू पायेंगे और हमने आग्रह किया कि बजट पर विचार करने से पूर्व ही बैरी आयोग की रिपोर्ट पर इस सदन में विचार किया जाए।

माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होनी चाहिये कि गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, उसको आज उन्होंने दोहराया है पर उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैरी आयोग के प्रतिवेदन पर दो दिन का विवाद होगा, उस विवाद के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान इस बैरी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, कुछ चर्चाएं उठाई गई। उसमें काफी मुद्दे किशनपोल, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य माननीय भैरोंसिहजी ने उठाये थे और कांग्रेस दल की ओर से भी कुछ माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये थे। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता और इस बात की सराहना करता हूं कि श्री पी. के. चौधरी जो प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं, उन्होंने बैरी आयोग के प्रतिवेदन से अपनी थोडी बहुत असहमति जाहिर करते हुए यह कहा कि चाहे डायरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी राज्य सरकार की नहीं हो पर कन्स्ट्रक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी से राज्य सरकार बच नहीं सकती, 7 मार्च, 1967 को जो जौहरी बाजार में गोली काण्ड हुआ, राज्य सरकार ने जो जघन्य कृत्य किया, जो नृशंस अत्याचार किया उन घटनाओं की डायरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी राज्य सरकार की न हो पर कन्स्ट्रक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है। इस प्रकार कह कर उन्होंने साहस का परिचय दिया है, इसके लिये मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं। पर मुझे खेद हुआ, उस चर्चा के सम्बन्ध में कांग्रेस के कई एक माननीय सदस्य और विशेषकर पाली से आने वाले माननीय सदस्य और पाली ज़िले की तरफ से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आने वाले माननीय सदस्य, पाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री मूलचन्दजी डागा ने और पाली जिले की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकरलालजी, जो दोनों माननीय सदस्य एडवोकेट हैं और इस सदन के पुराने सदस्य हैं, उन्होंने जिस प्रकार की चर्चा सदन में उठाई और बेरी आयोग पर जिस प्रकार के कटाक्ष किये, उनसे शायद उनकी यह भावना थी कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया जाय। उन्होंने जो यह बातें कहीं उनके पीछे शायद उनके अन्तरस्थल में यह बात होगी कि जो कान्सप्रेसी के सम्बन्ध में बेरी आयोग ने निश्चित बात नहीं कही, उससे उनकी नाराजगी है। क्योंकि दोनों माननीय सदस्य यंगस्टर्स की केटेगरी में हैं, उनमें से श्री शंकरलालजी ने यह वर्तमान कांग्रेस गुट्ट के खिलाफ असन्तुष्ट होने के कारण सीलिंग के प्रश्न को लेकर कांग्रेस के वर्तमान गुट्ट के खिलाफ बगावत का नारा खडा किया था, और इसी तरह से मूलचन्दजी के दिल में जो अन्तर्वेदना है, उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने समझा एक मात्र रास्ता यहीं हो सकता है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाय. क्योंकि उसमें कान्सिपरेसी पोइन्ट को साफ नहीं किया है, इसलिये उसे और साफ किया जाय। यह कहने का उनका साहस नहीं हुआ कि कांसपिरेसी हुई, राष्ट्रीय लोकतन्त्र के खिलाफ कान्सिपरेसी की। यह तो वे नहीं कह सकते क्योंकि वे पार्टी को छोड नहीं सकते, उनको पार्टी में रहना है और आगे कुछ न कुछ लेना है। इसलिये उन्होंने कहा कि बेरी आयोग ने एकतरफा फैसला किया है, इसलिये उसको कन्सीडरेशन में नहीं लेना चाहिये। राज्य सरकार के संकेत से, शासक दल की ओर के सदस्य बेरी आयोग की रिपोर्ट का कन्डेम्नेशन करें कि यह रिपोर्ट जस्टिफाइड नहीं है, यह एक तरफा रिपोर्ट है इसलिये इस रिपोर्ट को कन्सिडरेशन में नहीं लेना चहियें, आप बेरी साहब को कन्डेम करते हैं, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार जूडिशियरी को कन्डेम करती है, हाई कोर्ट के जज को कन्डेम करती हैं, राजस्थान में हालत पैदा की है इससे ज्यादा खतरा लोकतन्त्र को और नहीं हो सकता कि उस बेरी आयोग की रिपोर्ट को उसके डिसिजन को राज्य सरकार के इशारे से कांग्रेस के लोग राज्य सरकार की ओर के लोग कन्डेम कर रहे हैं। ईन टोटो बेरी आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार करे। 25 तारीख को बेरी आयोग का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया था तो गृह मंत्री ने कहा कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिये राज्य सरकार बाध्य नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा वे बडे जिम्मेदार सदस्य हैं, इस सदन के पुराने सदस्य हैं और पद से बडे जिम्मेदार हैं, मुझे खेद है कि उनका रेंक थर्ड है, क्योंकि सेकिन्ड मथुरादासजी हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिये राज्य सरकार बाध्य नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, वे अपने उत्तर में इसका जवाब दें यह अफसोस की बात है, जो जौहरी बाजार में हुआ, उसके लिये मैं जानकारी चाहूंगा, उसके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करेंगे कि जो कुछ जौहरी बाजार में हुआ उसके सम्बन्ध में बेरी आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया, वह कोई पोलिटिकल डोक्यूमेंट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं है, यह कोई जनसंघ पार्टी के मेम्बर ने नहीं दिया है, या बी.के.डी के मेम्बर ने नहीं दिया है, कोम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर ने नहीं दिया है, स्वतन्त्र पार्टी के किसी मेम्बर ने नहीं दिया है। यह ऐसे व्यक्ति ने नहीं दिया जिसकी भूतकाल की भूमिका भी विरोधी दलों के साथ रही हो, जिससे कि उनके पुराने भाव जागृत हो जांय। बल्कि जस्टिस बैरी जज होने से पूर्व कांग्रेस के मेम्बर थे, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, अजमेर म्युनिसि-पैलिटी के चैअरमैन थे। उन जस्टिस बैरी साहब के आयोग की रिपोर्ट को कन्डेम कर के क्या राज्य सरकार यह कहना चाहती है कि हाई कोर्ट के जज होने के बाद वे पोली-टिक्ली मोटिवेटेड हैं इसलिये उन्होंने इस तरह का जुडिशियल जजमेंट दिया है।

राज्य सरकार के इस रवैये की मैं निन्दा करता हूं। हाईकोर्ट के जज ने जो सारी स्थिति सामने रखी है, 9 जनवरी, 1969 को वह राज्य सरकार के पास आगई...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह बात अभी तक नहीं कही कि बैरी आयोग की रिपोर्ट को कन्डेम कर दिया जाय। गवर्नमेंट क्या फैसला करेगी इसको एन्टीसिपेट कर के माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के इशारे से गवर्नमेंट पक्ष की ओर के सदस्यों ने यह बात कही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सदन के सदस्य हैं उनका अपने विचार सदन में रखने का पूरा अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि वह गवर्नमेंट की ओर से बोलते है, वे जो बोलते हैं वह गवर्नमेंट ही बोलती है।

श्री भैरोंसिंह: हमें यह जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया...

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिलकुल गलत सूचना है।

हमारा भी उतना ही अधिकार है बोलने का जितना आपका अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन नहीं हुआ ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई डिस्कशन नहीं हुआ बिल्कुल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आंका कांग्रेस पार्टी के जब कई सीनियर सदस्य इस सदन में बोले और आपने 25 तारीख को जिस समय प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा था तब आपसे कैटेगोरीकली पूछा गया था। उस समय आपने इंकार किया था कि आपको इस बात की जानकारी नहीं। मुझे खेद है कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को इन टोटो एक्सेप्ट करने के बारे में एक हवा और फिजां बना रही है। मैं समझता हूं कि क्योंकि रिपोर्ट आपके खिलाफ चली गई, क्योंकि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया इसलिए...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो सदन में कहा था उसको फिर दोहराने को तैयार हूं कि राज्य सरकार का कोई कमिटमेंट

(श्री दामोदर लाल व्यास)
इस फैक्ट फाइंडिंग पर वैसे के वैसे मन्जूर करने का सरकारी कागजात के अन्दर कहीं नजर नहीं आया। यह कमीशन राष्ट्रपति शासन काल में नियुक्त हुआ था। मैंने यह कहा था कि कमीशन आफ इनक्वायरीज एक्ट के प्रोवीजन्स, माननीय सदस्य, जो एक योग्य वकील हैं, खुद देख लें कि राज्य सरकार पर कितनी जिम्मेदारी आती है और उस रिपोर्ट की क्या वैल्यू है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मुझे खेद इस बात का है कि गृह मंत्री ने अभी सदन में यह कहा और जहां तक आपके कहने का मतलब समझ पाया हूं, आपका जो भी स्टैंड है वह यही है कि राज्य सरकार बेरी आयोग की रिपोर्ट एज इटीज स्वीकार करने को बाध्य नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा स्टैंड यह है कि कोई भी कमीशन हो, वह रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए गाइड लाइन्स बन सकती है।

It can not be a final word for the Government.

यह मेरी राय नहीं, यह कानून की राय है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज की राय है और कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट की राय है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न इस बात का है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई कमिटमेंट दिया या नहीं या आप कोई कानून की आड लेकर बचना चाहते हैं लेकिन यह बात तो इससे साफ हो गई कि राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं। जिस समय बेरी आयोग की नियुक्ति की गई, जिस समय 7 मार्च को ये घटनायें हुई और उसके बाद राज्य सरकार ने ...

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी भी यह मानकर बोलते हैं कि बेरी आयोग की रिपोर्ट रिजेक्ट करने का सरकार ने फैसला कर दिया है? अभी मामला साफ नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: बार बार आपने कहा है कि सरकार कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार पर पाबन्दी नहीं है। हम अपने विचार व्यक्त करते हैं सेक्शन 3 आफ दी कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह: मैं समझता हूं कि डिबेट भी अपनी बदल ले अगर गृह मंत्री घोषणा कर दें कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट इन टोटो एक्सेप्ट करती है तो बाकी की डिबेट उसके बाद में चलेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मुझे कहना था कह दिया। आप मेरी जबान से कहलवाना चाहते हैं और मेरी तरफ से आप कहते हैं तो मुझे तो जो कहना था कह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भैरोंसिंहजी ने जो सुझाव दिया और बाकी सदस्यों ने कहा तो सरकार अगर बेरी आयोग की रिपोर्ट इन टोटो एक्ससेप्ट करती है तो डिबेट का दायरा छोटा रह जायगा शायद एक दिन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी लेकिन गृह मंत्री जी मैं आपकी दिली ख्वाहिश जानता हूं। आपके श्री मुकुटबिहारीलाल ने जिस तरह से बेरी आयोग के सामने मार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खाई आप बरी साहब की थू थू करवाना चाहते हैं, यह आपकी दिली ख्वाहिश है। इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय 7 मार्च को गोलीकांड हुआ। राज्य सरकार ने उसको इतना महत्व दिया जिस सरकार के कहने से नौ व्यक्ति मारे गए और सैंकडों घायल हुए जनता के पक्ष के अनुसार 9 से ज्यादा मारे गए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन उस समय सरकार ने इसको इतना महत्व दिया कि इसकी जांच करने के लिए जयपुर के ए.डी.एम. श्री डेविड को मुकर्रर किया इन्क्वायरी के लिए, इससे ज्यादा महत्व आपने इसको नहीं दिया। यह तो उसके बाद जब 13 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 15 मार्च को सारे विरोधी दलों के विधायक राष्ट्रपति से दिल्ली में मिले तो इस बात की जोरदार शब्दों में मांग की कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, 7 मार्च को धारा 144 हटने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल महोदय से और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से साजिश करके राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की परिस्थितियां पैदा करके जयपुर में गोली कांड करवाया और सारी घटनाओं की जुडीशियल जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने उस समय हमारी मांग को मंजूर किया और आश्वासन दिया कि जयपुर के जौहरी बाजार में और दूसरी जगह जो फायरिंग हुआ है उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जायगी। उसकी क्रेडिट आपको नहीं। आपकी उस समय की सरकार जो केयरटेकर सरकार थी वह भी गलत तरीके से चल रही थी। उसने सारे कांड पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। यह इस बात से साबित है कि आपने ए. डी. एम. से इन्क्वायरी करवाने का फैसला किया। इसलिये हाई कोर्ट जज की नियुक्ति का जब सवाल खडा हुआ, तो राजस्थान के हाई कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस ने कहा, भारत के सारे मुख्य न्यायाधीशों की कान्फरेंस में फैसला लिया गया कि जितनी कमीशन्स बैठती हैं, जिनमें हाई कोर्ट जजेज की नियुक्ति होती है, उनकी रिपोर्ट सरकार को दिए जाने के पश्चात् उस रिपोर्ट पर नुक्ताचीनी, उस पर कमेंट्स, उसकी स्क्रूटिनी, क्या स्वीकार किया जाय क्या न किया जाय, चाहे आप उसको एग्जीक्यूटिव इन्क्वायरी कहें चाहे अधिकार हो स्वीकार करने का या नहीं लेकिन उस कान्फरेंस में जो आल इंडिया की थी उसमें फैसला हुआ कि जब कभी भी हाई कोर्ट जज की नियुक्ति का सवाल आए तो ऐसे कमीशन्स के मामले में सरकार से वचन लिया जाय, वायदा लिया जाय कि जो रिपोर्ट दी जायगी उसकी 500) या 1500) वेतन पाने वाले आर. ए. एस. के अधिकारी के द्वारा काटा छांटी राज्य सरकार के विचारों के अनुसार उस रिपोर्ट को स्वीकार करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की जायंगी। लेकिन 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हाई कोर्ट जज की नियुक्ति नहीं हो सकी, फैसला नहीं हो सका और अंततोगत्वा मुख्य न्यायाधीश श्री दवे ने राज्य सरकार से कहा, एडवोकेट जनरल से कहा कि जब तक राज्य सरकार इस बात की कमिटमेंट नहीं देगी, जब तक राज्यपाल महोदय कमिटमेंट नहीं देंगे, जो उस समय गृह विभाग, जी. ए. डी. और नियुक्ति विभाग की चार्ज में थे, कि सरकार उस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रिपोर्ट को इन टोटो एक्सेप्ट करेगी तब तक हाई कोर्ट इस कमीशन पर कमिट करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिये राज्यपाल महोदय ने श्री दवे को कन्वे किया, सूचित किया कि इस रिपोर्ट को सरकार इन टोटो स्वीकार करेगी और सदन की जानकारी के लिये मैं आपको एक प्रेस स्टेटमेंट पढकर सुनाता हूं हिन्दुस्तान टाइम्स का 1-4-67 का:

"The Governor of Rajasthan has conveyed to the Chief Justice of the State High Court an assurance that the report of Mr. Bhagwati Prasad Beri in regard to the police firing in Jaipur on March 7 would be accepted in toto by the Government."

फिर सदन में बैठकर आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा आश्वासन मुख्य न्यायाधीश को दिया हो राष्ट्रपति शासन में और सदन में खडे होकर कहते हैं कि सरकार बाध्य नहीं इस रिपोर्ट पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो अखबार की खबर है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो अखबार की खबर है लेकिन आपके पास तो राजेन्द्र शंकर मट्ट काम कर रहे थे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने कान्ट्रैडिक्ट क्यों नहीं निकाला ?

श्री मदनसिंह : बेरी आयोग ने अखबारों को झूठा नहीं माना है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अखबार आपने भी पढा और राज्यपाल महोदय ने भी पढा आज आप कहते हैं कि अखबार नहीं पढा।

श्री उपाध्यक्ष :आर्डर प्लीज। कृपया बीच में न बोलें। वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This assurance was demanded by the Chief Justice when the Government approached him for appointing a Judge of the High Court to conduct an enquiry और भी छपा है अखबारों में कटिंग में दे दूंगा।

"... an enquiry in the firing. The Chief Justice had sought this assurance in accordance with a decision taken at a conference of the Chief Justices of the Supreme Court and all the State High Courts in the country, with a view to maintaining honour and prestige of the judiciary.

ज्युडिशियरी की यह प्रेस्टिज आप मेन्टेन कर रहे हैं श्रीमान्! मैं कहना चाहता हूं। बडे हल्के तरीके से कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने कह दिया कि यह तो अखबारों में नहीं छपा है। कितना कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड है उनका अखबारों के प्रति।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप कैसे कह रहे हैं ....

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आॅर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई दो पैसे के अखबार नहीं हैं। बडे जिम्मेदार अखबार हैं। यह हिन्दुस्तान टाइम्स है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको · · ·
(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई आसींद का लाल दुपट्टा प्रोड्यूस नहीं किया हैं । मैं सरकार को चैलेन्ज देना चाहता हूं राजस्थान के उस समय के गवर्नर और उस समय की गवर्नमेन्ट की तरफ से उस समय के चीफ जस्टिस श्री दवे को इन राइटिंग में एश्योरेन्स दिया गया था जो आज भी मौजूद है । एडवोकेट जनरल ने एश्योरेन्स जोधपुर में दिया था । टेलीफोन से बात हुई थी । कहा कि एश्योरेन्स दे दो । On behalf of the Government, the Advocate General gave in writing an undertaking that the Government will accept the report in toto, आप खडे होकर कहते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं । हमारी मर्जी है । आपकी मर्जी है । लेकिन हम इस रिपोर्ट को आपको स्वीकार करवा कर छोडेंगे । आपको इसको स्वीकार करना पडेगा । आज राजस्थान की ज्युडिशियरी में कन्डेम हो रहे हैं । आपको यही शोभा देता है ।

25 जनवरी को यह रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश हुई । चाहिये तो यह था कि रिपोर्ट की प्रति लेकर सब अखबार वालों को देते, जनता को जानकारी देते । कमीशन आपने विठाया था । बेरी साहब का अपोइन्टमेन्ट सरकार ने किया था जन संघ पार्टी ने नहीं किया था और न किसी अन्य दल ने किया था । केन्द्रीय सरकार के निर्देश से राजस्थान की सरकार ने किया था । सरकार को रिपोर्ट मिल गयी और रिपोर्ट मिलने के बाद दाब कर बैठ गये क्योंकि सरकार को लगा कि रिपोर्ट अपशकुनी है । 10 जनवरी को राजस्थान के झंडे झुक गये । 9 जनवरी को डा. सम्पूर्णानन्द रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स सुन कर मुछित हो गये और 10 जनवरी को सुबह वे इस संसार से कूच कर गये । अन्दाज लगाइये । 24-25 जनवरी को राजस्थान सरकार के फिर झंडे झुक गये । हम निश्चिंत हो गये । 3 फरवरी को फिर झंडे झुके । हमने कहा कि भयंकर रिपोर्ट है और यह सरकार का पर्दा फाश करके ही छोडेगी । 7 मार्च को कांग्रेस ने सरकार बनायी तो यह फायरिंग रिपोर्ट कांग्रेस सरकार का पतन का कारण बनेगी । 9 जनवरी को रिपोर्ट मिली आप उसको दाब कर बैठ गये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वाह, वाह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गिरधारीलाल जी व्यास, आप कितनी ही वाह वाह करो आपको मोटर और बंगला नहीं मिलने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । बीच में न बोलें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 9 जनवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद 13 जनवरी को चीफ मिनिस्टर को भैरोंसिंहजी के मकान से फोन किया । आपके पास कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है । 20 महीने जनता की ओर से पैरवी की है । आखिर उसका क्या फल निकला यह देखना चाहते हैं । जनता उसको देखना चाहती है और सब लोग उसको देखना चाहते हैं । चूंकि सरकार ने यह एश्योरेन्स दिया था कि सरकार कमीशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की रिपोर्ट को इन टोटो एक्सेप्ट करेगी अब सरकार के विचार का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। मुख्य मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी को मीटिंग करेंगे और बातचीत की झलक यह थी कि एक्शन लेने के बाद रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। 15 जनवरी निकल गयी और सारा महीना निकल गया। बाद में सारे मध्यावधि चुनाव में चले गये। पत्रकार सम्मेलन में, प्रेस कान्फ्रेन्स में मांग की गयी और उसका भी नतीजा नहीं निकला तो फिर राज्यपाल से मिले। हमने कहा कि 20 महीने जनता की पैरवी की, कम से कम जनता के सामने रखिये कि कमीशन ने क्या कहा है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि सरकार को लिखूंगा। महसूस तो करता हूं लेकिन कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान के राज्यपाल शराफत में रह गये। धर्मवीरजी नहीं थे। जो कुछ कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। यह राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। 24 फरवरी को बजट सेशन शुरू होने वाला है विधान सभा में तो ये आवेंगे और यह सरकार इनको जैसे बिल्ली के सामने कबूतर को खड़ा कर दिया जाता है उसी प्रकार खड़ा कर देगी। उनको 24 फरवरी को ऐसा हो सकता है यह लगा, तीन दिन पहले ही मुख्य मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि 25 फरवरी को वेरी कमीशन की रिपोर्ट सदन के अन्दर रखी जावेगी। सरकार को यह भय था कि 24 फरवरी के दिन राज्यपाल का भाषण शान्त वातावरण में नहीं हो सकेगा और अशान्त वातावरण रहेगा तो भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। यह जनमत का प्रेशर था, करना वरना कुछ नहीं, केवल रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी। सदन की मेज पर रखने का जहां तक सवाल है राजस्थान सरकार से यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि 9 जनवरी को कमीशन की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी, जिसको उसने पढ लिया और डिस्कस कर लिया और यह बात मान ली गयी कि 7 मार्च 1967 को जौहरी बाजार में जिन लोगों के साथ खून की होली खेली गयी, जिन लोगों को जान से मारा गया, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, वह गोलीकान्ड गैर-वाजिब था, उन पर सरकार मुकदमा चलाती, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो महीने गुजरने के बाद भी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ? किस लिये बैठे हो ? किसी थानेदार को मालूम पड जाय कि अमुक अमुक जगह पर अमुक अमुक थाने में जुर्म कमिट हो गया है तो क्या वह चुप बैठ सकता है ? अफसोस इस बात का है, उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे सरकमस्टान्सेज वेरी कमीशन के सामने थे, उसको टर्म्स आफ रेफरेन्स दिये गये थे, उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट उस हद में है, यदि टर्म्स ग्रोफ रेफरेन्स नहीं होते तो उनकी रिपोर्ट उस हद में न रह कर और भी विशाल और कई मुद्दों पर स्पष्ट होती और इसी लिये उन मुद्दों पर वे अपना निर्णय नहीं दे सके।

चतुर्थ आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बहुमत नहीं मिला था। 3 मार्च 1967 को राज्यपाल अपना निर्णय घोषित करने वाले थे उस समय कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या 91 थी तोड फोड के बाद भी और संयुक्त दल की सदस्य संख्या 92 थी। उस समय राज्यपाल और केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री श्री चौहान की साजिश से उस निर्णय को टलवाया। अलोक-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

त्रिक, संविधान के खिलाफ और पक्षपातपूर्ण निर्णय 4 मार्च को दिलवाया और इस प्रकार सरकार को बनाने का मौका मिला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हू कि ज्यों 2 शहादतें आवेंगी, कांग्रेसी मित्रों से कहा गया तुम्हारा बहुमत था कांग्रेस भाई कहने लगे कि बहुमत हमारा था, सुखाड़िया जी कहने लगे कि बहुमत हमारे साथ है। बहुमत किसके साथ था ? 4 मार्च को सरकार को आमन्त्रित किया। बेरी कमीशन अपनी रिपोर्ट में स्वयं लिखता है कि 4 मार्च को कांग्रेस पार्टी के साथ 91 और संयुक्त दल के साथ 92 सदस्य संख्या थी। यह फैसला उन्होंने कर दिया। आप अल्पमत में थे। कितनी बड़ी साजिश की ? उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट यह साबित करती है कि सरकार, राज्यपाल और केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री श्री चौहान ने मिल कर साजिश करके राजस्थान में एक भयंकर घोटाला किया। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्या सबूत है ? सबूत तो बोलेगा, आवेगा। धीरे 2 आवेगा और यह मत समझ कर चलो कि यह इन्क्वायरी हो गयी, जहां तक इस कान्स्प्रेसी का आस्पेक्ट है जैसे 2 सबूत मिलते जावेंगे दस वर्ष के बाद भी दूसरा कमीशन बैठ सकता है जैसा गांधी मर्डर के सम्बन्ध में इतने वर्षों के बाद कमीशन बैठा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक एवीडेन्स आयी है और मजेदार एवीडेन्स आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेसी बन्धु, कभी यह मानते नहीं थे इस बात को, कुछ ऐसा लगता है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं और जब अन्दर की आत्मा जोर मारती है, और जब उन्होंने इन कुर्सियों पर बीस साल तक बैठने के बाद नापाक कर दिया है और जब वह इससे धीरे धीरे हटता है तो उसको महसूस होता है और उसकी अन्तरात्मा बोलती है। जब वह मौत के अधिक निकट पहुचने लगता है तो वह सच बोलने की कोशिश करता है। यही हालत आपकी होगी। परन्तु आप आज सच नहीं बोलेंगे। आप सच बोलेंगे तो लाखों वर्ष जीयेंगे। इसलिये आप सच बोलना सीखें। 55 वर्ष आपने क्रास कर लिये हैं और 60 के नजदीक पहुच रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ट मन्त्री, राजस्थान कांग्रेस के वयवृद्ध नेता, जिनकी तारीफ सुखाड़िया साहब ने कई बार इस सदन में दुहराई है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वे हैं श्री हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और राजस्थान में सुखाड़िया शासन की शोभा बढाने वाले, सभ्य समाज में और साधारण जनता में 'दा साहब' के नाम से कहलाने वाले, उन्हीं दा साहब हरिभाऊजी उपाध्याय के शब्द में इस सदन में दोहराऊंगा और आपको बताऊंगा कि सरकार को बनाने में विरोधी दलों ने साजिश की है या आपने की है। आप सबूत चाहते हैं ? हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। कहने लगे कि उनका टेम्परामेंट खराब हो गया। वे कोई नई नवेली वधु थीं, जिसको छेड़ने से टेम्परामेंट खराब हो गया। 65 वर्ष के बूढ़े को असन्तुलन कैसे हो गया ? वे क्यों नाराज हो गये ? मेरा दिमाग खराब हो गया है इसलिये मैं अपना निर्णय कर दूंगा। उनका दिमाग खराब हो गया, मैं बताऊ, प्रधान मन्त्री के टेलीफोन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से, कानपुर के उद्योगपति श्री सिंघानियां के टेलिफोन से । उनके कहने से कहा कि मैं 4 को निर्णय दूंगा । सरकार कैसे बने कांग्रेस की इसकी साजिश के लिये यह किया। यह निर्णय किया है, डा. सम्पूर्णानन्द ने उन्होंने अन्याय किया है । भगवान ने इसका फल दिया है जिस आदमी ने यहां रह कर गोली चलवाई, उसी आदमी के दूसरे दिन बनारस पहुंचने पर गोली चली। झूठ बोलने का फल मिला व्यासजी, आप तो व्यास मंडली के हो आपको भरोसा रखना चाहिए समय रहते अच्छे कर्म करो। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : वाह वैद जी! यहां क्या कुरान की आयतें पढ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो लेख लिखा है, वह 9 मार्च के राष्ट्रदूत में रविवारीय परिशिष्ट में निकला है। कल ही निकला है। बड़े मौके से निकला है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है "राजस्थान के राज्यपाल" –यह अखबार की कटिंग है–भारत की सात्विक ज्योति । उन्होंने डा. सम्पूर्णानन्द के गुणों का वर्णन किया है और उनका जो असली रूप है उनको निखारा है। उसको निखारते निखारते राजस्थान के राज्यपाल का जो वर्णन किया है, उसमें दा साहब लिखते हैं : 'राजस्थान के राज्यपाल रहते हुए, खास कर पिछले चुनावों के अन्त में नई सरकार बनाने के समय जो कांग्रेस निष्ठा का परिचय उन्होंने दिया, उसी के फलस्वरूप आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाई है" उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस निष्ठा का परिचय दिया है। संविधान की शपथ खाई है, राज्यपाल को संविधान के प्रति निष्टावान होना चाहिये । इस तरह उन्होंने संविधान के प्रति विश्वासघात किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठा व्यक्त की है । इसकी, उस व्यक्ति की, जितनी निन्दा की जाय वह कम है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा है उपाध्यक्ष महोदय, "उन्होंने उन्हीं दिनों इसका भीतरी रहस्य मुझे बता दिया था" क्योंकि बूढा बूढे से ही बात करता है, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने उन्हीं को इसका रहस्य बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, दा साहब और लिखते हैं, "वे यदि इतनी दृढ़ता नहीं दिखाते तो कांग्रेसी शासन राजस्थान में समाप्त हो गया होता । राजस्थान के कांग्रेसी भाई, इस अन्तिम कांग्रेस की सेवा को नहीं भुला सकते। उन्होंने प्राण-प्रण से अपनी कांग्रेस निष्ठा को सिद्ध कर दिया है।" यह बात दा साहब ने लिखी है । यह शत-प्रतिशत सच है । आखिरी जीवन में, जिन्दगी को पार करने वाले होते हैं तो उनके मुख से राम राम का नाम निकलता है। यह दा साहब के मुख से राम राम निकला है। आपके मुंह से भी ऐसे सत्य वचन आवें। मैं दा साहब को सच बोलने के लिये धन्यवाद देता हूं। और उनकी उम्र 5,10 वर्ष और बढे। राजस्थान की जनता पर गत दो सालों से किस तरह से कांग्रेस पार्टी हुकूमत कर रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं। जनता ने आपको ठुकरा दिया है । परन्तु आपने राज्यपाल से साजिश करके, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री चव्हाण से साजिश करके राज्यपाल को निर्देश दिया और तब कांग्रेस की सरकार ने चार विधायकों को तोड कर के, अपने में मिला कर के, यहां पर राजस्थान में हुकूमत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कायम की। इस संवैधानिक पक्षपातपूर्ण निर्णय के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई और आम सभा की संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कतिपय निर्णय के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये 5 तारीख को। उपाध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को, 7 तारीख को यह घटना है। हम अधिकांश नेता जेलों में बन्द थे। सिटी मजिस्ट्रेट हमसे जेल में मिले। हमने कहा कि हमें अफसोस है कि धारा 144 नहीं हटा रहे हैं। शहर में शान्ति है फिर भी शहर में पुलिस का राज कायम है। महारानी गायत्री देवी केन्द्र में जाकर मिलीं। गृह मंत्री चौहान से मिलीं। सूचना हमारे सुखाडिया जी को की कि यह तय हो गया है कि विधान सभा की बैठक 20 मार्च के बजाय 14 मार्च को बुलाई जाय। सुखाडिया जी ने सोचा महारानी जी का इतना असर केन्द्र पर! केन्द्र हम पर निर्णय थोपना चाहता है। 14 मार्च को असेम्बली बुलाना वाजिब था। लेकिन नहीं, 6 दिन आपको और मिल गये। और दल-बदलू विधायकों के जनक, श्री सुखाडिया, दल-बदलू और खरीद-फरोख्त के सरदार, ईरान के जो सौदागर आते हैं, वैसे ही मेवाड के ये सौदागर श्री मोहनलाल सुखाडिया हैं। तामिलनाडू में, मद्रास में, मैं पूछना चाहता हूं, वहां एक फिल्म बनाई है, जिसमें मेवाडियों, को एक लुटेरा दिखाया गया है और उसमें दिखाया गया है लुटेरों का सरदार सुखाडिया को। उसमें दिखाया है यह आगया लुटेरों का सरदार सुखाडिया। यह फिल्म वहां बनायी गयी है। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वे निवेदन कर दें कि ऐसे दल बदलू विधायकों के, खरीद फरोख्त में होशियार हैं श्री सुखाडिया जी।

श्री भैरोंसिंह : जो फिल्म बनी है, उसकी क्या सरकार को सूचना है ?

गृह मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि यह फिल्म निकली है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : ऐसी बे-बुनियाद बातें आपके यहां ही हैं। जितनी बेबुनियाद बातें हैं, वे आपके यहां हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जितने नेतागण हैं, मंत्री हैं, उनमें से कई फिल्म में काम करने लायक भी हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय दिल्ली में यह बातचीत हुई, मुख्य मंत्री जी ने अपने पक्ष में फौरन बैठक बुलाई इसके बाद आई. जी., चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। कलेक्टर को बुलाया और आगे के लिये विचार किया। महारानी ने इतना दबाव डाला है कि हमारे पूछे बिना ही धारा 144 हटायी जा रही है, नेताओं को छोड़ने के लिये कह रहे हैं।

(2 म. प.)

राजस्थान में महारानी का नहीं, चव्हाण का नहीं, सुखाडिया का राज्य है। उन्होंने महारानी गायत्री देवी के कहने पर किस प्रकार 144 धारा तोडने की आज्ञा दे दी? जयपुर महारानी गायत्री देवी को मत आने दो, नेताओं को जेल से मत आने दो, धारा 144 हटा ली लेकिन उन्होंने पुलिस को हटाने की जरूरत नहीं समझी। रेडियो पर 144 धारा हटाने की घोषणा कर दी गई। उस पर लोग गलियों से निकलने लगे, वे बाजारों में आना चाहते थे, पुलिस डटी हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, माणकचौक से सांगानेरी गेट तीन फर्लांग से अधिक दूर नहीं होगा, इस तीन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फर्लांग के रास्ते में पुलिस की जो पोस्टिंग्स थीं उनकी संख्या 1400 की थी यानि 1400 पुलिस जवानों की इस तीन फर्लांग के रास्ते में तैनात की हुई थी। धारा 144 के हटने के बाद फिर किस लिये पुलिस को इतनी भारी संख्या में रखा गया ? जो लोगों को बाजारों में घुसने न दे अपनी आवश्यकता की सामग्री परचेज न करने दे जो कि उनका अधिकार है फिर भी उन पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस को तैनात रखा गया। फिर गोली चलने की नौबत आयी। पर सरकार की तरफ से कमीशन के सामने पैरवी की गई। नहीं की गई ? फिर यह कहना कि एक तरफ फैसला कर दिया हमारी शहादत नहीं ली। आपकी शहादत किस प्रकार से हो ? आपके द्वारा तैनात डी वाई. एस. पी. श्री जी. एल. त्रिवेदी वहीं पर थे जिनके लिये कहा गया कि उनके ऊपर किसी ने बीस किलो का पत्थर फेंका ? इस तरह की तो आपकी बातें हैं फिर आप एवीडेन्स की बात कहते हैं। गवर्नमेंट ने केस सेट अप किया उस सिलसिले में मैं दो चार इन्स्टान्सेज देता हूं।

गोली चलाने से पहले उनको यह इत्तला होती है कि दस हजार की भीड पत्थरों से लैस होकर बरामदों में बैठे हुए पुलिस वालों पर फेंक रही थी जिसके कारण बरामदे में से सिपाही लोग सिकुड कर खडे हो गये। दस हजार की भीड द्वारा पत्थर फेंकना और उस पर जनता के किसी आदमी को पत्थर का नहीं लगना और डी वाई. एस. पी.–जो गोपालजी के रास्ते में थे–उन पर किसी ने बीस किलो का पत्थर मारा। यह शहादतें कमीशन के सामने आपके द्वारा रखी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिस व्यक्ति पर बीस किलो का पत्थर फेंका जाय उसका असर क्या होगा ? जनाब वह पत्थर सिर से घुसकर सीधा पैर तक आ जायगा। कितना झूंठा केस ? किस प्रकार से फर्जी मनगढन्त बातें घडी गईं। और यह भी कहा गया कि तीन पुलिस की टुकडियों को जनता ने घेर लिया और बारह बोर की बन्दूक की गोली भंवरसिंह और उम्मीदसिंह की छाती में जाकर लगी। डॉ. से पूछा गया टुकडे निकले, उसने कहा निकले। क्या यह सही है कि छाती पर तेल लगाकर उस पर बुरादा चिपकाया गया और बाद में फोटो में ले ली ? और उसको कह दिया गया कि छर्रे लगे ! हद्द तुम्हारी झूंठ की भी। इस पर बैरी कमीशन ने कह दिया पुलिस टुकडी पर किसी ने गोली नहीं चलायी। बेरी कमीशन के सामने यह भी कहा गया कि गोली केवल बीस मिनिट ही चली और वह भी आत्म रक्षा के लिये चलाई गई। उपाध्यक्ष महोदय, जिन से लोग हथियार छीन लें बन्दूक छीन लें और यह भी कहें कि केवल बीस मिनिट ही गोली चली, पुलिस पर जनता चढने लगी तो फिर पुलिस ने गोली चलाई फिर भी जनता उन पर चढती रही फिर पुलिस ने गोली चलाई। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस की गोली चलती रहे और जनता उन पर चढती रहे क्या यह मानने लायक बात है, क्या वे गोलियां लेमन ड्रापस थीं या गोलियां थीं ? गोलियां लगें और लोग ऊपर चढते रहें ! कितना झूंठा और मनगढन्त आरोप ! लाइफ मेगजिन में जो फोटो छपे हैं उनको भी नहीं देखा। 39 राउन्ड गोली चलाई उसने माना है उसको भी नहीं देखा और केवल यही मानते रहे कि केवल बीस मिनिट ही गोली चलाई।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग को जो टर्म्स आफ रेफरेन्स दिया था उसमें यह था कि बेरी कमिशन को जांच इस बात की करानी थी कि क्या गोली केवल बीस मिनिट ही चली? पुलिस ने यह बात कही थी कि 12 बोर की बन्दूक से गोली दागी गई, और पुलिस पर भीड द्वारा पत्थर फेंके गये और आत्म रक्षा के लिये पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस से हथियार छीने गये उनकी जांच कमिशन को करनी थी। इस पर बेरी आयोग ने फैसला केवल दो चार पन्ने में नहीं दिया, दामोदरजी आपके वक्तव्य की तरह दो पेज का कोई वक्तव्य नहीं था और न डी. पी. आर. का कोई स्टेटमेन्ट ही था। बेरी कमीशन की 21 महीने कार्यवाही चली इसके सामने 1058 डोक्यूमेन्टस पेश किये गये। 67 आर्टिकल्स पेश किये गये जिसमें बन्दूकें आदि भी हैं। 428 फोटोग्राफ्स पेश किये गये। 92 दरख्वास्तें पेश हुई, 188 फैसले किये गये। कमीशन के पास सारा रेकार्ड आया वह 7500 पेज का रेकार्ड है जिसकी रिपोर्ट 906 पेज में है। कमीशन के सामने 43 दिन तक 215 घन्टे बहस हुई। इतने बडे रेकार्ड को देखना कोई सरल काम नहीं था काफी लम्बे समय तक बहस करने के बाद जिस मेहनत और मुस्तैदी के साथ बेरी साहब ने रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में हमारे खिलाफ भी कहा गया बेरी कमीशन ने रिपोर्ट में खास तौर से आन्दोलनों के सिलसिले में जो देश में पनपते जा रहे हैं उनके बारे में जो कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र है उनसे सबक लेना चाहिये। यह नहीं कि इसमें हमारे लिये ही सबक दिया बल्कि जो बातें कही है वे हमारे लिये भी हैं लेकिन हम इस पर यह नहीं कहते कि यह गलत है। जिस अथक परिश्रम से बेरी साहब ने 21 महिने तक इतना भागीरथ काम किया और उस पर 906 पेज की रिपोर्ट लिखाई और एक एक तथ्य के बारे में अपना निर्णय जिस खूबी और कानूनी ढंग से दिया है उसके लिये इस सदन को उनको धन्यवाद देना चाहिये उसके बजाय उनकी इस रिपोर्ट की निन्दा की जाती है वह भी सरकार की तरफ से! बहुत ही निन्दनीय बात है।

बेरी साहब ने सरकार के सारे झूठे दस्तावेजों को उधेडकर रख दिया सारी बातों में उनको झूठ माना है। आखिर उन्होंने कोतवाली में जो भीड ने हमला किया उसको उन्होंने गलत माना नहीं, उसको सही कहा है इस पर भी आप सारी रिपोर्ट को कन्डेम कर रहे हो? कोतवाली में हुए आक्रमण को उन्होंने जस्टिफाइड नहीं कहा है लेकिन आपने रिपोर्ट को पढी हो तब पता चले आपके तो कानों में दामोदर जी ने कह दिया उसको आपने निकाल दिया शंकर लालजी सिलिंग के मसले को लेकर आप कांग्रेस से लडने की ठान रहे हो कांग्रेस की गलत नीतियों से आप लडना चाहते हो? आप भी हिम्मत रखो सुब्रहृमण्यम की तरह, के. डी. मालवीय की तरह, जिन्होंने निजलिंगप्पा और इन्दिराजी तक को कह दिया आप इस तरह का गठबन्धन करोगे तो हम वर्किंग कमेटी में नहीं रहेंगे। आपकी कांग्रेस में इस प्रकार से ढोल ढमाका हो रहा है। आप जैसे इस हाउस के सीनियर मेम्बर एक जुडिशियल आफिसर द्वारा की हुई एन्क्वायरी के बारे में इस प्रकार की बातें कहें और उसको कन्डेम करें यह शोभा नहीं देता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के मेम्बरों से निवेदन करना चाहता हूं वे बैर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कमीशन की रिपोर्ट पर बोलें उससे पहले एक बार यह सोच लें, अपने मन में यह सोच लें कि मेरे लडके का नाम ज्ञानचन्द गोधा है। घी वालों के रास्ते में खडे हुए जो स्कूल की किताबें लिये हुए हैं, जिसका आन्दोलन से कोई सरोकार नहीं, वह घर जा रहा था उस सोलह सत्रह साल के बच्चे पर महिपाल सिंह एण्ड पार्टी ने उस पर पीछे से गोली चलाई। उस बेचारे की पीठ में गोली लगी वह धरती पर गिर पडा। उसको किस बेरहमी से गोली से उसके शरीर को छलनी कर दिया गया। जब उसका शव धरती पर पडा हुआ जो मरा नहीं था, उसके साथ किस प्रकार का बरताव किया गया जिसका वर्णन इसमें है। शंकरलाल जी आपसे पूछना चाहता हूं वह लडका आन्दोलन में नहीं था न वह किसी पार्टी का मेम्बर था। एक गरीब बाप का लडका था। उस पर गोली दागी गई जब वह घर की तरफ गली में मुड रहा था, गोली लगते ही वह नीचे गिर पडा, उसका सिर लहू लुहान हो गया एक के बाद दूसरी गोली चलायी है सारा शरीर लहूलुहान हो गया। जब वह जमीन पर गिर पडा अधमरी हालत में तो आपको पता है उसका क्या किया ? यदि सभ्य सरकार होती तो उसको फर्स्टएड दी जाती, उसको मेडीकल एड दी जाती। उसकी जान बचाने की कोशिश करते। पर उसकी जान नहीं बचाई गई। उपाध्यक्ष महोदय, घर वालों को ऐसे उठाने नहीं दिया गया। घर वालों ने सोचा था अस्पताल ले जावेंगे, तो बच जावेगा। पर आपने नहीं उठाने दिया, ज्ञानचन्द गोधा दो घंटे तक घी वालों के रास्ते पर पडा रहा लोगों ने उसे उठाना चाहा। पर उठाने नहीं दिया। पुलिस ने उसे उठाया, घसीटा, अधमरी हालत में, पुलिस के एक सिपाही ने घसीटा और घसीटते हुए एक हाथ से ले जा रहा है, खून वह रहा है लकीर बन रही है, और एक हाथ में बन्दूक। इसी तरह एक हाथ से पकड कर घसीटते हुए गोपीचन्द टिक्कीवाल की तस्वीर वेरी कमीशन के सामने पेश की। वह आप भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लडाई में, चीन की लडाई में भी ऐसा निकम्मा, बर्बर, जंगली व्यवहार शासन या प्रशासन ने नहीं किया, तो यहां ऐसा करेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह यह सब यहां किया गया। इसलिये बेरी साहब ने इस सबकी निन्दा की।

एम्बुलेन्स पर गोली चली। जौहरी बाजार में एम्बुलेन्स आई उस पर भी गोली मारी पुलिस ने। गोली के निशान उस पर, और आपके डाक्टर ने आकर उस बात को स्वीकार किया। डाक्टर भटनागर की शहादत है। उसने अपने बयान में स्वीकार किया कि एम्बुलेन्स को गोली लगी। एम्बुलेन्स को गोली मारी, कितना गैर वाजिब जंगली और बेहूदा फायरिंग हुआ होगा। एम्बुलेन्स को भी नहीं छोडा। घायलों को उठाने आई थी, वह आन्दोलन का भाग नहीं थी। नीली पीली झंडी उस पर नहीं लगी थी। क्रास का निशान था जो एम्बुलेन्स का निशान होता है। गोपाल जी के रास्ते पर आई डाक्टर और ड्राईवर गवाही में आये। गवाही में आने के बाद, आपने कहा था कि गोली ढाई बजे तक चली, पर उन्होंने कहा गोलियां पांच बजे तक चलती रहीं। तो फायरिंग के टाइम को कैसे ठीक किया जावे, इसके लिये अस्पताल के रेकार्ड में लॉग बुक में काटा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फांसी की गई एम्बुलेन्स के जाने का टाइम जहां 3॥ बजे का था। डाक्टर ने उसे काट कर 2॥ बजे कर दिया। कमीशन ने कहा कि यह निन्दनीय है। काट छांट और रद्दोबदल की जावे अस्पताल के रिकार्डों में भी तो क्यों नहीं उस डाक्टर को और जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेण्ड करके केस चलाया जावे उस पर। सारे अन्य रिकार्डों में काटा फांसी की गई। उपाध्यक्ष महोदय, ड्राइवर को दस बार पूछा गया तुमने कितनी बार जौहरी बाजार में राउन्ड लगाये? उसने कहा, उसने 5॥ बजे तक मरीजों को ढोया वह आदमी कोई जनसंघ का या स्वतन्त्र पार्टी का या किसी अन्य पार्टी का नहीं था। वह केवल सरकारी नौकर था। पर इनको यह कल्पना नहीं थी किसी को कि यह जज इतना निर्भीक निकलेगा, इतना निष्पक्ष होगा। हमारे कई भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री ड्यूटी पर लगा दिये गये। राम प्रसादजी लढ्ढा को खड़ा कर दिया गया। बी.डी. मुद्गल साहब को हाजरी में लगा दिया। एडवोकेट जनरल को हाजरी में खड़ा कर दिया बड़ों 2 को खड़ा कर दिया उनकी हाजरी में और समझ लिया कि ये सब उस जूडीसियल अफसर को खरीद लेंगे। यह शायद इनको कल्पना थी और इसलिये परवाह नहीं की उन्होंने।

उपाध्यक्ष महोदय, ये साजिश पर साजिश करते चले गये। सारी शहादतें पेश कीं, सारी शाहादतों के सिलसिले में बैरी साहब ने यह कहा है, दामोदर जी! आपके माणक चौक के थाने के रजिस्टर के बारे में बैरी साहब ने कहा है, एफ. आई. आर. दर्ज होती है, तीन बजे की है। पुलिस की पार्टी माणक चौक थाने पर गई तीन बजे आई. एफ. दर्ज करा दी। गोली चली करीब 3॥ बजे त्रिपाठी मौके पर आ गये। मजिस्ट्रेट आ गये। मैं पूछना चाहता हूं कि जौहरी बाजार में जिस समय गोली चली कोई गवाह नहीं था? कोई गवाह मौजूद नहीं था? तारा प्रकाशजी जोशी जो मन्दिर में छिपे हुए थे? तिवारी जी चले गये, मजिस्ट्रेट साहब मन्दिर में घुसकर बैठ गये थे गोलियों के डर से। एक मजिस्ट्रेट जौहरी बाजार में मन्दिर में जाकर छिप गया ऐसी भयंकर गोली बारी थी। वह ताराप्रकाश जोशी। वह कहता है ऐसी गोली चली कि मैं तो डर के मारे बाहर नहीं आया। वह मेरा भाई नहीं है। उन्होंने गवाही दी है। वह कहते हैं डर के मारे मैं जौहरी बाजार में नहीं गया। ऐसी भयंकर गोली वर्षा! एक मजिस्ट्रेट का बयान। 3॥ बजे त्रिपाठी जौहरी बाजार में आये। क्यों नहीं आपने इन में से किसी को कमीशन के सामने गवाही देने पेश किया? क्यों नहीं पेश किया हनुमान शर्मा को, त्रिपाठी को एडीशनल आई. जी. को सुल्तान सिंह जी को और बाकी पुलिस अधिकारियों को क्यों नहीं पेश किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रेसीडेण्ट श्रीमान राम किशोर जी व्यास को नोटिस गया था। जन संघ के प्रेसीडेण्ड के नाते मुझे भी नोटिस आया था। मैंने अपना दावा पेश किया कमीशन के सामने। मुझे जो कहना था कहा। भारतीय क्रान्तिदल के रामकरणजी जोशी ने अपना दावा पेश किया। संसोपा की तरफ से किया गया। बाकी लोगों ने भी किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पार्टी के अध्यक्ष रामकिशोर जी व्यास से कि उन्होंने क्यों नहीं अपना दावा पेश किया? पर यह तो तथ्य है कि सत्ता के बिना कांग्रेस कुछ है नहीं। बिना गवर्नमेन्ट कांग्रेस पार्टी केवल जीरो है, अण्डा है। जौहरी बाजार में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, डी. सी. सी. का और सिटी कांग्रेस का आफिस है। गोलियां जहां चली वहां ऊपर ही उनका दफ्तर है। आपको तो कोर्ट में स्टेटमेन्ट पेश करना चाहिये था कहना चाहिये था बेरी साहब से कि बेरी साहब पांच बजे तक गोली नहीं चली, वहां तो जनता की बड़ी भीड़ थी, पुलिस पर हमला बोल दिया था उसने, जनता का ही कसूर था उनके हथियार छीन लिये थे इसलिये पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली चलाई थी। गोली बीस मिनिट चली थी, ज्यादा नहीं। पर कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टेटमेन्ट नहीं किया इसलिये कि वह जानती थी कि सत्य क्या है। गवाही देने के भी नोटिस गये थे। पर वह गवाही में भी आई नहीं। अब कहते हैं अदालत ने बड़ा पक्षपात किया। एक तरफा फैसला कर दिया। शहादत और जवाबदावा पेश न करें तो कानून के अनुसार तो एक तरफा फैसला होता ही है। यह तो कानून में लिखा है और आप कानून के जानकार होकर यह कहते हैं बाद में कि एक तरफा फैसला कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चाहिये था कि वे गवाही में आते। बालचन्द जी वैद, सरदार मल जी सिंघी, महेश चन्द जी शर्मा। महेशचन्द जी शर्मा गोपीनाथ जी के मंदिर के मालिक हैं। वह तारा प्रसाद जी जोशी जहां छिपे थे और जिस में मजिस्ट्रेट साहब छिपे थे जो दरवाजा बन्द करके बैठ गये थे और खिडकी खोल कर देख रहे थे। उनको तो आना चाहिये था गवाही में। वे क्यों नहीं आये? आपके भूतपूर्व गृह मंत्री के वे रिश्तेदार हैं डा. तारा शंकर जी जोशी। श्री राम जी गोटे वाला, जिन्होंने काफी प्लाट बेचे और पैसा खाया वे प्लाट बेचकर पैसा खाने वाले गवाही में नहीं आये। आप कहते हैं महारानी गायत्री देवी गवाही में क्यों नहीं आई? आपको क्या अधिकार है यह कहने का? आप चाहते तो आप गवाही में आते दर्खास्तें जवाबदावे पेश करते। हमने दरख्वास्तें पेश कीं। हमने कहा सम्पूर्णानन्द जी को तलब किया जावे, इन्दिरा गांधी को, चव्हाण साहब को, सुखाडियाजी को तलब किया जावे होम सेक्रेटरी शिवशंकर, हनुमान शर्मा, सुलतान सिंह को तलब किया जावे। आपने छोड़ दिया त्रिपाठी को। हमने कहा उसको भी तलब किया जावे। सारे इन लोगों को तलब किया जावे। इसकी दर्खास्त हमने पेश की। अब अगर किसी को शिकायत हो सकती है तो हमें हो सकती है कि क्यों नहीं बुलाया गया सम्पूर्णानन्द जी को, सुखाडिया जी को, आई. जी. पी. हनुमान जी को जो कि उस दिन सुखाडिया जी के रेजीडेन्स पर मौजूद थे। वह आई. जी. पी. कह सकते थे, चीफ सेक्रेटरी कह सकते थे। इनके अभाव में किससे पूछा जाता? सुखाडिया जी आकर कह देते कि कोई साजिश नहीं थी। गांधी मर्डर केस में आज मुरारजी भाई देसाई की गवाही हो रही है। इतने अरसे बाद इतने सालों बाद भी। पर यहां इस आयोग को तो सुखाडिया जी ने अपना ही चवन्नी का मेम्बर समझा। जैसा इसको कहेंगे वैसा कर देगा। यह तुम्हारी बात

Page No 82

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

है, तुम्हारे दिमाग से बातें निकलती नही। तुमने तो इसे अपना चवन्नी का मेम्बर समझा। जैसा चाहेंगे वैसा इससे करा लेंगे। इसलिये तो यह सरकार की साजिश थी। क्या थी ? कि बेरी सहाब के सामने एडवोकेट जनरल साहब को 1100) रोज में खडा किया। औरों को खडा किया। भार्गव साहब को खडा किया। कइयों को खडा किया। पूरी फौज खडी की। किस लिए ? केवल अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, बेगुनाहों के साथ किये गए पाशविक अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए, बेरी आयोग को गुमराह करने के लिए, उसे अपने तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए, उसको अपना चवन्नी मेम्बर समझ कर अपनी मनमानी कराने के लिये। पर बेरी साहब निर्भीक निकले। आपके चवन्नी मेम्बर नहीं बन सके। डेमोक्रेसी में कहते है गवर्नमेंट आफ दी पीपुल बाई दी पिपुल एण्ड फोर दी पिपुल। जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिये। पर यहां मामला इससे उलटा है। सात तारीख को गोलियां चलीं, जांच हो रही हैं कि किसका कसूर था। 9 आदमी मारे गये, कई घायल हो गये। इसमें किसका हाथ था ? आपके दिमाग में यह बात नहीं आई कि साजिश अगर नहीं है किसी की तो जो मारे गये उनकी पैरवी का हम इन्तजाम करेंगे। घायल जो हो गये उनके परिवार वालों की तरफ से पैरवी करने का प्रबन्ध हम करेंगे। अपाहिजों की तरफ से पैरवी करने के लिये वकील हम देंगे। जिला प्रशासन को वकील देंगे। जो मारे गये उनके परिवार वालों को वकील देंगे। दो वकील तुम्हारे लिये, दो तुम्हारे लिये। जनता हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा। अगर आपकी पार्टी का हित नहीं था, साजिश नहीं थी तो आपको जनता की तरफ से वकील खडा करना चाहिये था आपने तो उल्टे कहा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से चटर्जी है पर वे कम रहेंगे, नाथूलाल जी को बना दिया। चुनाव में वे बेचारे हार गये थे उनको कुछ काम देना था। तो यह अच्छा अवसर आपको हाथ आया। गोयल साहब से हार गये तो उनको रिहैबिलिटेट करना था। रोडवेज भर गई, बाकी और सब जगहें भर गई तो चलो बेरी कमीशन में ही उनको लगा दो। तुमने तो इसे पिंजरापोल समझा पिंजरापोल। नाथू लाल जैन को बिठा दिया और फिर ऐडवोकेट जनरल को लगा दिया, उससे नहीं चला कहते हैं जनता की तरफ से बडे बडे वकील हैं। भरत खैतान जैसे वकील वह तो ग्रेजुएट भी नहीं हैं लेकिन अक्ल बहुत तेज है। सरकारी वकीलों के चना लगाया है, नाकों में दम कर दिया। वह तगडा वकील ही नहीं है, उसकी मूछें भी तगडी हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को टालमटोल किया जा रहा है। मैं कहता हूं ग्यारह-ग्यारह सौ रुपये रोज के वकीलों को दिये गये जिस समय दफ्तरी और शीतलवाड गोडसे के केस में पैरवी की और फाईनल डिसिजन किया फांसी का उसमें भी उनको एक हजार रुपये रोज के मिलते थे। यहां पर 1100) रु.। जिनको दीखे न भाले साथ में एक लाठी और चाहिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सख्त ऐतराज करता हू 1100) रु देने का क्या जस्टीफिकेशन था ? साढे तीन लाख रुपये दिये, कहते हैं इससे भी ज्यादा होंगे. 5-5 हजार का खर्चा बाकी के लोगों को, कोई कहता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है 22 लाख दिये हैं, कोई कहता है 32 लाख दिये हैं और कोई कहता है 35 लाख दिये हैं सरकार बताती नहीं है, कितना खर्च हुआ है, फिर किस को कितना 2 दिया है। पिछली विधान सभा में सवाल पूछा गया लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं।

कोई क्रिमिनल केस होता है सरकार कोई मुस्तगीस होती है उसका वकील खडा होता है, जो डाका डालता है उसका वकील खडा नहीं होता है। सरकार का वकील सरकार की पैरवी करे। जो कम्प्लेनेन्ट होता है-मार लिया लूट लिया, गोली चला दी उसका वकील होता है-होता है न? यहां पर क्या हुआ, यहां सब काम आवे होते हैं गोली चलाकर राज्य बनाया यही सरकमस्टान्सेज और परिस्थितियां थी। उन लोगों का वकील खडा नहीं होता, कातिल ने वकील खडा किया है इसमें आपका हाथ है और कमीशन के सामने उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय न लेता हुआ यह निवेदन करूंगा आपने सारा केस झूठा रखा है और यहां पर दामोदर जी जब विधान सभा में बोल रहे थे हमने इनको बहुतेरा समझाया कि आप झूठ बोल रहे हैं उस समय सुना नहीं। अब मैं एक मिनट के लिये सुस्ताऊंगा और सरकार की झूठ और गप्प के लिये एक छोटी सी घटना है उसको सुनाना चाहूंगा —–

एक मित्र थे वे गप्प बहुत हांका करते थे। किसी दोस्त ने कहा गप मत हांका करो। तुम जब झूठ बोलोगे तो मैं खखार दूंगा तो तुम समझ जाना कि झूठ है या सच है। एक बार वे शिकार को गये तो एक शेर को एक मील से देखा तो कहने लगे शेर 200 गज लम्बा है पास में दोस्त ने खखारा तब उसने सोचा झूठ है तो थोडा पास गया तो कहने लगा 50 गज लम्बा है फिर दोस्त ने खखारा तो और थोडा पास जाने पर कहने लगा 20 गज लम्बा है। इस पर दोस्त ने फिर खखारा तो वह कहने लगा फीते के नाप से पूरे 20 गज लम्बा है अब तुम कितने ही खखारते रहो मैंने तो नाप दिया है। इसी प्रकार व्यास जी झूठ बोल रहे थे। हमने बहुतेरा कहा लेकिन जिस प्रकार मित्र ने जवाब दे दिया कि मैंने तो उसे फीते से नाप दिया उसी प्रकार व्यास जी का कहना है कि मैंने तो कह दिया अब तुम कितने ही कहते रहो झूठ की भी हद है। आपने श्रीमानजी 9 मई 67 को विधान सभा में जो भाषण दिया उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसे को सुनाना चाहूंगा। आपको पता था कि खतरा है समिति को आपने कहा है फिर जवाब दीजिये आप क्या कहते हैं। यहां तो कमीशन बैठा है नहीं किताब में जो आपने लिखा है उसी का राम नाम हो जाता है। कमीशन को बताया गया है कि पुलिस की तीन टुकडियां थी और 10 हजार की भीड थी, उनके हथियार छीन लिये गये और उन्हें आत्म रक्षा हेतु गोली चलानी पडी वह 20 मिनट तक गोली चलानी पडी। यही भाषण आपने दिया है ऐसे ही एक दल को जिसमें लगभग 10 पुलिस के सिपाही थे एक 5,000 व्यक्तियों की बहुत बडी उपद्रवी भीड द्वारा जौहरी बाजार में सांय 3 और 4 के बीच घेर लिया गया तथा मारपीट की गई। भीड में से किसी के द्वारा सिपाही के सीने में एक बारह बोर की बन्दूक चलाने से एक चोट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आयी और सात व्यक्ति जिसमें एक उप-अधीक्षक भी था, बुरी तरह घायल हो गये । आगे फिर आपने कहा कि गोली कान्ड के सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था कि धारा 144 को हटा लिया जाय 1-30 पर घोषणा कर दी गई । यह निर्णय भी लिया था कि गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया जायगा । वही केस आपने सदन में रखा है और वही केस आपने, आपकी सरकार ने कमीशन के सामने कहा और उस पर कमीशन ने कहा है:-

'The case set up by the district police and district administration is false in its entirety."

शत प्रतिशत-सेन्ट परसेन्ट झूठा है । इससे काम नहीं चलेगा दामोदर जी····

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आपकी ······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्ञान चन्द गोधा मत समझो, टिक्कीवाल मत समझो कमीशन के सामने चार इन्डिपेंडेंट विटनेसेज आई. नन्द लाल अनसूयाप्रसाद शर्मा पिलिया जो नव ज्योति के पत्रकार थे । यह उनकी आत्मा थी जो कमीशन के सामने विटनेस बन कर आये उन्होंने हिम्मत की । क्या नतीजा मिला, उनका सच्चा बयान था जो जान की बाजी लगा कर जहां जहां गोलियां चली वहां वहां गये और फोटू ली कांग्रेस के अखबारों में श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी जिसका हाई कोर्ट ने फैसला लिखा है, दुर्गा प्रसाद मालिक हैं झूट है और इसका नतीजा क्या रहा नौकरी से निकाल दिये गये । तीसरे आपकी अम्बुलेन्स के ड्राइवर जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते थे जनता की ओर से गवाह में गये ।

यू. पी. की पुलिस की टुकड़ी 6 हफ्ते तक मुफ्त में यहां रोटी खाते रहे, उनमें से किसी को बरखास्त के लिये नहीं कहा गया सारा गडबड घोटाला है । इस सारे केस को आपने झूठा माना है । अगर इसमें आपकी साजिश नहीं होती तो आप उन पर कार्यवाही करने में लवादा में केस हुआ आपने कहा हम उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे । यहां गैर वाजिब गोली कान्ड हुआ, अनजस्टिफाइड फायरिंग हुआ । आपने क्या ऐक्शन लिया ? अगर आप एक्शन लेते तो हम मानते कि आपकी साजिश नहीं थी लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया और कहते हैं कि राज्यपाल महोदय की कोई साजिश नहीं थी ।

कमीशन के सामने झूठ बोलने की साजिश है । कहते हैं एक्शन लेने वाले तो हम हैं । तुम हमको बचाओ हम तुमको बचायेंगे । इसलिये दो महीने हो गये किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई-फर्जी कार्यवाही करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं । होम सेक्रेटरी साहब गवाही में नहीं आये ताकि सत्य का पता नहीं लगे । हुकुम उनका, पुलिस उन्होंने बुलाई, गोली चलवाई आपका राज्य बन गया । अब उनको कैसे पुरस्कार दिया जाय 58 साल पूरे हो गये क्या किया जाय उन्होंने कहा प्रमोशन चाहिये तो उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बना दिया उन्होंने कहा इससे कोई काम नहीं चलेगा नकदी इनाम चाहिये तो आपने उनको 1700 के बजाय साढ़े बाईस सौ कर दिये 500 रु.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का नकद पुरस्कार आपने उनको दे दिया। इसी प्रकार कलेक्टर ने कहा मुझे भी पुरस्कार मिलना चाहिये उनके भी पद का प्रमोशन कर दिया। 1750 के बजाय 2200 कर दिये होम सेक्रेटरी के पद को होम कमिश्नर बना दिया। इसी प्रकार शिव शंकर जी को 500 रु.का नकदी लाभ दे दिया। दामोदर लाल जी जरा सोचो आपने उनके लिये होम कमिश्नर की पोस्ट क्रियेट करदी जिन्होंने गोली चलाने में हाथ बटाया उसी को नकद पुरस्कार दे दिया। उस समय कमिश्नर की पोस्ट केवल कलेक्टर जयपुर, जिसने गोली चलवाई उनके लिये क्रियेट की और बिना उसके 1600 से 2200 तनख्वाह नहीं दे सकते थे। बताइये यह पोस्ट उनको किस ने दी ? आपने दी है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम रीएम्प्लोयमेंट किसी को भी नहीं देंगे। राजस्थान सरकार के कर्मचारी आर. ए. एस. और आर. पी. एस. आफिसर शायद आपके सौतेले बेटे हैं उनको 55 के बाद एम्पलायमेन्ट नहीं देंगे और इन आई. ए. एस. आफिसर्स को आपके लिए पालना जरूरी है। 58 के बाद भी श्री हनुमान शर्मा जिन्होंने हाई कोर्ट आन्दोलन को दबाया, जनता को जिन्होंने खूब मारा, खूब पीटा–बहुत अच्छे, उनको सिविल डिफेन्स का डाइरेक्टर बना दिया। आपने एक एक को प्रमोशन दिया है। सब को प्रमोशन देकर बैठाया हुआ है। जो एस. पी. थे उनको डी. आई. जी. जो डी. आई. जी. थे उनको एडीशनल आई. जी. और जो एडीशनल आई. जी. थे उनको आई. जी. जो एस. डी. एम. थे उनको ए.डी. एम. और जो ए. डी. एम. थे उनको डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया। इसके अलावा बाबूलाल रिवाल्वर लेकर घूमने वाला, सबसे ज्यादा बदमाश कोई हो सकता है, सबसे लुच्चा कोई हो सकता है तो वह बाबूलाल था। उसको भी आपने प्रमोशन दिया है लुच्चों को प्रमोशन देने वालों के लिये मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं फिर आप कहते हैं कि हमारी साजिश नहीं थी। कहते हैं कि विधान सभा में शक्ति परीक्षण कर लेते। अरे, किस बात का शक्ति परीक्षण करते ? 14 मार्च को विधान सभा की बैठक होने वाली थी और 13 तारीख को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 13 तारीख का जुलूस देखकर सुखाडिया जी का दिल दहल गया और उन्होंने कह दिया कि मैं सरकार नहीं बना सकता। सुखाडिया जी का दिल 8 तारीख को क्यों नहीं दहला, 9 तारीख को क्यों नहीं दहला, 10 तारीख को क्यों नहीं दहला, और 11 तारीख को क्यों नहीं दहला ? 12 मार्च को मथुरादास जी माथुर भरतपुर गये और उन्होंने कोशिश की ससोपा के साथियों को मिलाने की ताकि उनकी सरकार बन जाये लेकिन मैं मेरे ससोपा के साथियों को मुबारक बाद देता हूं कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। 12 तारीख को मथुरादास जी माथुर ने रिपोर्ट दी कि मेरा मिशन फेल हो गया। तब सुखाडिया जी ने चिट्ठी लिखी और तब राज्यपाल ने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि सुखाडिया जी ने इन्कार कर दिया है।

and in my opinion the opposition is not fit to rule.

वह करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं ? जनता ने वोट देकर हमको भेजा है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Even if all the members of the Congress P. rty are scoundrels the Governor has no business to say that you cannot form the Government because you are all scoundrels. Can he say He cannot say, even if you are all scoundrels.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गवर्नर साहब करेक्टर सर्टीफिकेट देने वाले कौन हैं कि मैं विरोधी दल को सरकार बनाने का मौका नहीं देना चाहता हूं ? उपाध्यक्ष महोदय, यह उनका कोई बिजनेस नहीं था और 13 तारीख को झूठी रिपोर्ट की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चव्हाण साहब ने कह दिया कि 14 तारीख को मास रेवोल्यूशन होने वाला था, कैसे होता मास रेवोल्यूशन ? हमारे साथ कम्युनिस्ट तो एक ही थे फिर मास रेवोल्यूशन कैसे होता ? यह स्वतन्त्र पार्टी के 49 कोई मास रेवोल्यूशन करने वाले थे ? चव्हाण साहब ने कहा कि विधान सभा में 14 तारीख को खून खच्चर हो जाता। इस तरह से यह झूठ और बेईमानी से काम लिया। इसलिए केन्द्रीय सरकार से कहता हूं कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस का दिवाला निकल रहा है, कांग्रेस जा रही है। अब तो कांग्रेस पर ऐसी चोटें पड रही हैं कि अब तो बेईमानी करनी छोडें झूठ बोलना छोडें ...।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : यही भाषा होनी चाहिए– झूठ और बेईमान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस का दीवाला नहीं निकल रहा है तो क्या कांग्रेस हिन्दुस्तान में बहुत पापुलर हो रही है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : भारतीय संस्कृति के ठेकेदारों की यही भाषा होनी चाहिए कि झूठा और बेईमान कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे सुन तो लो।

श्री **गिरधारी लाल व्यास**: बेरी कमीशन में बयान दिया उसमें भी उसी तरह से बात आपने कही है। 144 धारा को तोडने की बात आपने वहां कही है। वहां जाकर मना कर दिया यह आपकी सत्यता है।

श्री **विजयसिंह**: सच्चाई छिपी नहीं रहती।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: जैसे शादी ब्याह में बैंड बाजा होता है आगे आगे और उसमें एक बाजा बोलता है पूं पूं उसी तरह से आपका भी भोंपू बोलता है।

(व्यवधान)

इन्होंने (श्री दामोदरलाल व्यास) कोई आपत्ति की वह तो मैं समझ सकता हूं। सब ने सबक सीखा है। उन्होंने जो कहा मैं समझ रहा हूं। सबक आपने और हमने सबने लिया। मैं कहूंगा कि इस तरह से जनता के साथ विश्वासघात नहीं करें। आप दिल पर हाथ रखकर कहें कि वकील उनके लिए होता है जो कि कम्प्लेनेन्ट होता है। कभी आपने सुना है कि जिसकी कम्पलेन्ट की गयी हो और उसके लिए वकील की सहूलियत दी गयी हो। यहां कम्प्लेनेन्ट जनता थी और वकील उनको दिया जाना चाहिए था मगर यहां तो सरकार ने अपनी पैरवी करने के लिए वकील दिया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सिरह ड्योढी में गोलियां चलाई गई। उसकी प्रशासन में रिपोर्ट हो गयी। सरकार दो साल के बाद आज तक नहीं कह सकती कि सिरह ड्योढी बाजार में गोली किस ने चलाई? गोली काण्ड को छुपाया गया यह शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि सिरह ड्योढी में भी गोलीकाण्ड हुआ है उसके बारे में कमीशन ने मांग की है और मैं भी सरकार से चाहता हू कि आप उसकी जांच करायें और मैं यहां तक जांच के लिए तैयार हूं और मैं चेलेन्ज देता हूं कि 14 मार्च को राजस्थान की विधान सभा के सामने जो खून खच्चर की बात सरकार कहती है आप एक पेम्फलेट पब्लिक मीटिंग का, जुलूस का 14 मार्च का और 13 मार्च को संयुक्त विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय कर दिया था। 13 मार्च को बैठक हुई और उसमें स्पीकर के इलेक्शन के लिए तय हुआ। उसके तुरन्त बाद मुझसे एक-पत्रकार मिले और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। हमने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो लेकिन वह कहने लगे सचमुच राष्ट्रपति शासन हो गया। इतना झूठ बोले कि खून खच्चर होने वाला था और मुझे अफसोस है देश के चोटी के नेता इस प्रकार की असत्य बात कहें। क्योंकि कांग्रेस राज्य नहीं बन सकता है इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया है। लेकिन यह कहना कि वहां पर कोई खून खच्चर हो जाता बिलकुल असत्य है। खून खच्चर क्या हो जाता? झूठ बात बोलते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कहते हैं।

अंत में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में बेरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में चाहे वह अपोजीशन के खिलाफ है उस बेरी कमीशन की रिपोर्ट प्रोपराइटी के आधार पर, कमिटमेन्ट के आधार पर, मोरल के आधार पर इन टोटो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए और उसके आधार पर जो उसमें की गयी सिफारिशें हैं उनके अनुसार 7 मार्च को जहां जौहरी बाजार में अन्यायपूर्ण तरीके से गोली चली उन सारे पुलिस कर्मचारियों को 302 में गिरफ्तार करके और उन पर मुकदमें बनाकर उनके खिलाफ चालान पेश करना चाहिए, जिन पुलिस के आफिसर्स ने सारे रेकार्ड में तब्दीलियां की हैं, फेब्रीकेट किया है ऐसे पुलिस के आफिसर्स के खिलाफ मुकदमें रजिस्टर किये जाकर उन पर मुकद्दमें चलाये जाने चाहिए और उनको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए। जिन सारे सरकारी अधिकारियों ने झूठी गवाही दी हैं उनके ऊपर दफा 193 के तहत मुकद्दमे चलने चाहिए। घायलों के प्रति एक बात कहना चाहता हूं। वह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार ने उनको मुआवजा देने के लिए पहले ही घोषणा की है। मैं आशा करता हूं कि आप उनको अच्छा मुआवजा देंगे। एक वकील को 3½ लाख और वह भी झूठी पैरवी करने के लिए देते हैं और फिर वह झूठ को सच साबित भी नहीं कर सका। तो फिर वह बड़े वकील किस बात के जो झूठ को सच साबित नहीं कर सकते? यहां आपने किसी को 30 रुपये दिये हैं, किसी को 15 दिये हैं, किसी को हजार दिया है, किसी को दो हजार। मोटर एक्सीडेन्ट्स क्लेम्स में आप कम से कम 40 हजार तक देते हैं, वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत आप किसी को 10 हजार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देते है, किसी को 20 हजार देते हैं। किसी की बांह कटी और किसी का पैर कट। उनको समुचित मुआवजा वर्कमैन कम्पेन्सेशन के आधार पर, मोटर एक्सीडेन्ट्स क्लेम्स के आधार पर और इन दोनों को भी छोड दो आप तो पोलीटिकल सफरर के रूप में जो मुआवजा देते हैं, जो सहायता देते हैं उन 7 मार्च के शहीदों को पोलीटिकल सफरर रूल्स के तहत मुआवजा दिया जाये और उनको शहीद माना ही जाय और शहीद के आधार पर ही इस सरकार ने कुछ शर्म करके विरोधी दल के दबाव में आकर 7 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष में छुट्टी की है। हमारी मांग है कि इसको सार्वजनिक छुट्टी की जाय और उनका स्मारक बनाया जाय और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को और जनता को इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि वे मांग करें कि सुखाडिया मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त किया जाय और उस समय के क्रिटिक्स शंकरलालजी इससे अच्छा मौका नहीं है राज्य में आने का कि यह मांग की जाय कि सुखाडिया मंत्री मण्डल को बर्खास्त किया जाय, और यह तभी कर सकते हैं जब कि खुले में चार्ज लगाये जाय, क्योंकि यह जो हुकूमत बनी हुई है वह गोलीकाण्ड के बूते पर बनी हुई है जनता का खून पीकर बनी हुई है सरकार, लोगों का खून इस सरकार के मंत्रियों के हाथों में लगा हुआ है। इसलिए हम केन्द्रीय सरकार से मांग करते हैं कि सुखाडिया सरकार और सुखाडिया मत्री मण्डल को जो कि खूनी और हत्यारा है उसको बर्खास्त किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन के ... सतीशचन्द्रजी सुन लें मैं आपके स्वय के सम्बन्ध में कहूंगा। बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में माननीय सतीशचन्द्रजी ने अभी एक प्रस्ताव रखा है और 7 मार्च के गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में आपने विस्तृत ब्यौरा यहां पर दिया। बेरी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कुछ कहने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किन किन लोगों ने इस 7 मार्च की परिस्थितियां पैदा की, उनमें सबसे बडा हाथ किस का था कि जिनको हम जिम्मेदार ठहराये कि यहां 7 मार्च का गोलीकाण्ड करवाने की किन किन लोगों की कान्सपीरेसी थी, और किन किन लोगों ने जनता को गुमराह करके इस प्रकार का 7 मार्च का अवसर दिया?

मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 26 फरवरी को संयुक्त विधायक दल की एक मीटिंग हुई और संयुक्त विधायक दल के लोगों ने इस प्रकार का अखबार में एक अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर कांग्रेस वालों ने राजस्थान के अन्दर अपनी सरकार बनाई तो यहां पर ला एण्ड आर्डर कायम नहीं रह सकता, और विरोधी दल के लोग उसको उखाड कर फेंक देंगे। इस आशय का एक स्टेटमेंट विरोधी दल के लोगों ने अपना दिया और उसके सम्बन्ध में उसी रोज से राजस्थान में इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा करने की कोशिश की गई जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है 1967 के अन्दर जयपुर के चुनाव हुए और देश में जिस प्रकार का वातावरण विरोधी दल के लोगों ने पैदा किया कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी डेमोक्रेटिक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

देश में इस प्रकार का वातावरण जो है पैदा नहीं होता हैं। लोगबाग अपनी अपनी पार्टियों के कुछ उसूलों पर चुनाव लडते हैं और उसूलों के आधार पर ही अपनी पार्टी के तहत वे कार्य करते हैं, मगर 1967 के चुनावों के बाद में, यह देखने में आया कि क्या कम्युनिस्ट, क्या सोशियेलिस्ट, क्या जनसंघ, क्या स्वतन्त्र पार्टी, क्या बी.के.डी. या अन्य किसी प्रकार की पार्टी हो उन्होंने अपने उसूलों को छोडकर गाय और बैलों की मांग लाकर सत्ता लेने की कोशिश की। जो पार्टियां राजा महाराजाओं और सेठों के अन्दर विश्वास नहीं करती हैं · ·

(2.45 म.प.)

(श्री केदारनाथ, समापति पदासीन)

व लोग सेठों की गोद में जाकर बैठे और किसी प्रकार से वोट प्राप्त करने की कोशिश की यह छिपी हुई बात नहीं है। उदाहरण आपके सामने है। जयपुर का उदाहरण आपके सामने है जो कि बढ बढकर बोलते हैं कि हमने यों कर दिया, हमने यों कर दिया। जयपुर की जनता ने आज तक कभी प्रजातन्त्र के उसूलों पर ध्यान नहीं रखा और राजा महाराजा पर अन्ध विश्वास रखकर आपकी पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं। सतीशचन्द्र जी जो आप 2–3 चुनावों में यहां पर बैठे हुए हैं वह आपकी स्वयं की देन नहीं है वह महारानी साहब की कृपा है जिनकी वजह से आप 2–3 चुनावों से यहां आ रहे हैं · · ·

श्री लादूराम सुलानियां: माननीय समापति महोदय · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपके मुख्य मंत्रीजी से कहें (कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास: इस जनसंघ (कोलाहल एवं अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानियां: यह आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान का जो सबसे पहला मुख्य मंत्री बना वह जयपुर जिले का है · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं ·

श्री समापति: (श्री लादूराम के साथ बोलते रहने पर) माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास: किस प्रकार का इस देश में वातावरण इन पार्टियों ने पैदा किया। कल माननीय केदारनाथ जी शोशियेलिस्ट पार्टी के · · ·

श्री समापति: आर्डर प्लीज, आपस में बात मत कीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: समापति महोदय, कल हमारे केदारनाथ जी प्रोफेसर साहब जो सोशियेलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि यहां पर अपोजिशन के अन्दर कितनी निराशा है और उस निराशा का क्या कारण है? 3 तारीख को जब हमारे गवर्नर महोदय ने इस प्रकार से निर्देश दिया कि इसके सम्बन्ध में निर्णय लेंगे कि जिस पार्टी का बहुमत है उसकी पार्टी को शासन बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अन्दर तेजी आई और गर्मी आई है, और यह स्वाभाविक था कि हरेक आदमी

(श्री गिधारीलाल व्यास)

चाहता था कि मेरी सरकार यहां बने । अपोजिशन पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया और उन्होंने प्रयास किया हालांकि मुखतलिफ राय रखने वाले लोग थे और खास तौर से मैं कम्युनिस्ट भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंघ और उनके विचार पूर्व और पश्चिम की तरह से हैं लेकिन राज्य की कुर्सी पर बैठने के लिए पता नहीं किस तरह से एक साथ आकर राजस्थान में हुकूमत कायम करने का प्रयास करने लगे···

श्री **जयनारायण सालोविया**: जैसा कि बिहार में आपने किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह इस प्रकार का प्रयास था जिसका हिन्दुस्तान के अलावा मिसाल नहीं है। आज एक अखबार में मैंने देखा है कि जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी को साथ लेकर अगर कोई भी गवर्नमेंट बनायेगा–समाजवादी भाइयों का जयपुर में अधिवेशन हो रहा है उन्होंने कहा है अपने एक स्टेटमेंट में कि अगर जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी गवर्नमेन्ट में आजायेंगे तो देश का बिगाड हुए बिना नहीं रह सकता। मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि दो मुखतलिफ राय रखने वाले–एक पूर्व में जाता है और एक पश्चिम में जाता–है अगर किसी गवर्नमेंट में शामिल में बैठ जायेंगे तो वह गवनमेन्ट नहीं चल सकेगी, वह राष्ट्र नहीं चल सकता है, वह देश नहीं चल सकता है, वह प्रदेश नहीं चल सकता है, क्योंकि इस तरह से मुखतलिफ राय रखने वाले लोग कभी भी एक साथ बैठकर जनता की भलाई की बात नहीं सोच सकते और आपस में ही लडाई झगडे की बात करेंगे और अपनी अपनी पार्टी का ही काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तीन तारीख को जब गवर्नर महोदय ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि इसके बारे में निर्णय करेंगे तो हमारे माननीय सतीशचन्द्रजो एक अखबार पढ रहे थे कि गवर्नर महोदय की बहुत बडी साजिश थी जिसके कारण से यह स्थिति पैदा हो गई तो क्या माननीय सतीशचन्द्र जी, कान्स्टीट्यूशन पढा है ? कान्स्टीट्यूशन में इस प्रकार का प्रावधान है कि गवर्नर सबसे बडी पार्टी को चाहे बहुमत वाली हो या नहीं हो तो सबसे बडी पार्टी को इन्वाइट करके गवर्नमेंट बनाने का अवसर दे सकता है । अगर सम्पूर्णानन्दजी ने सबसे बडी पार्टी को इन्वाइट कर गवर्नमेंट बनाने का निर्णय किया तो कान्सटीट्यूशन के तहत वाजिब था और उसके मुताबिक था और उसकी कद्र करते हुए निर्णय लिया था और वह स्वागत करने योग्य है। आज बिहार में उसी प्रकार की स्थिति है । कांग्रेस के 118 सदस्य हैं और उसके साथ कई पार्टियों ने मिल कर गवर्नटमेंट बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस ही एक सिंगल पार्टी है जिसकी 118 सीटें हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों की तरह से आन्दोलन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस वालों को गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे, मरेंगे और मारेंगे और जनता का खून खच्चर कर देंगे। प्रजातान्त्रिक तरीका यही है। आपके सामने जब यह निश्चय हो गया था कि 14 तारीख को असेम्बली बुलाई जायगी और असेम्बली में जिसका बहुमत है वह यहां आकर प्रदर्शित करे। आप लोग जो इस प्रकार से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे उनका यह कर्तव्य हो जाता है–मानलें कि आप अफेक्टेड भी हों, निराश भी हों–कि आप

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जनता को इस प्रकार से विचलित नहीं होने दें। क्या आप इस प्रकार जनता को आन्दोलित नहीं करना चाहते थे? अगर वह कुछ करती है तो जो डेमोक्रेसी का तरीका है, उस तरीके से होना चाहिए था। मगर मुझे अफसोस ह कि आप के दिल में न तो हौसला है, न आप के दिल में उसके लिए जगह है। आप चाहते थे किसी प्रकार, येनकेन प्रकारेण राज्य. की कुर्सी जो भागी जा रही है, उसको पकड कर बैठ जायें। उन दिनों में हवाइयां सुन रहे थे। पार्टियों के कई लोगों ने अपने को मिनिस्टर बना लिया था। कोई होम मिनिस्टर बन गये। कोई कुछ बन गये। कुछ लोगों ने शेरवानी भी बनवा ली। मगर वह शेरवानियां खूंटी पर टंगी रह गई। क्योंकि जनता ने आपका साथ नहीं दिया। 3 तारीख को किसका बहुमत था। माननीय सतीशचन्द्र जी ने कहा कि हमारा बहुमत था। मगर कमीशन के सामने जो बयान हुए हैं, जो गवाहियां आयीं हैं, उनसे यह बात साफ हो गई है कि 92 सदस्य के बजाय 91 सदस्य उपस्थित हुए। जो आपने दलील दी है वह दलील गलत दी है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार से जनता को गुमराह किया है। 4 तारीख को गवर्नर ने यह निर्णय लिया कि यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट बने। इसका निर्णय लिया तो शाम को माणकचौक चौपड पर माननीय मदनसिंह दांता और कुम्भाराम आर्य के जिस प्रकार के भाषण हुए वह आप से छुपे हुए नहीं हैं। मैं माननीय मदनसिंह दांता को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप का विश्वास डेमोक्रेसी में है तो जो बातें आपने वहां चौपड पर कहीं हैं, वह नहीं कहनी चाहिए थीं। आज तलवार के बल पर नहीं वोट के बल पर राज्य किया जाता है। अगर आप तलवार के बलपर राज्य करना चाहते हैं तो आप को फ्रन्ट पर जाना चाहिए। हमने भी मरना सीखा है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। कांग्रेस ने इस देश को आगे बढाने का प्रयत्न किया है। लाखों आदमियों ने अपनी कुर्बानियां प्रजातन्त्र को स्थापित करने में दी हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हमने भी आप की तलवार और बन्दूकों का सामना शुरू से किया है। अगर जनता आपको पसन्द करे तो आप को शासन में बैठा दे। तब हम भी विरोधी दल में बैठकर प्रजातन्त्र को आगे बढाने में सहयोग देंगे। लेकिन आप ने जोर, जुल्म, तलवार और बन्दूक से राज्य को हथियाने की कोशिश की है। माननीय दांता साहब, आप का बयान जो दूसरे दिन अखबारों में छपा, उस सभा में आप ने कहा कि महारानी साहब के चरणों की सौगन्ध खाकर कहता हूं, आप आज्ञा दें तो सुखाडिया को बल पूर्वक उडा लाऊंगा। (शेम-शेम की आवाज) यह जितना गोली-काण्ड हुआ है, अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ था तो महारानी गायत्रीदेवी का था। उनको राज्य लेने की बहुत बडी ख्वाहिश थी उनकी बडी ख्वाहिश थी की शासन उनके हाथ में आना चाहिए। इससे यह मालूम होता था स्वतन्त्र पार्टी या एस.बी.डी. के हाथ में शासन आ जाये तो उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आन्दोलित करने की कोशिश की है। हालांकि महारानी जी भारत सरकार से बात करती थीं कुछ और राजस्थान के अधिकारियों के सामने बातें करती थीं कुछ। उनके सामने और बातें करती थीं। जनता के सामने और बातें किया करती थीं। उन्होंने जनता के सामने यह बात की, 144 धारा

Page No 92

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तोड़ने चलोगे ? तैयार हो ? तो जनता ने कहा तैयार हैं। दूसरे दिन माणक चौक पर इकट्ठे हुए तो जुलूस के साथ में चलीं । पांच बत्ती पर महारानी साहब ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा था कि हम 144 धारा तोड़ने के लिए इन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगी। लेकिन उन्होंने खिलाफ वर्जी की है । कमीशन ने इस बात को सही तौर से माना है। मगर महारानी साहब ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि हमने जनता को 4 तारीख को और 5 तारीख को रोकने का प्रयास किया। हमने कहा आप शान्त रहें। वहां तो यह कहें । जनता को भड़का कर ज्यादा से ज्यादा आन्दोलित करने का प्रयास किया। इसका नतीजा हुआ, 4,5,6 तारीख को जो हालत हुई । पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों को मारा गया। दूध की दुकानों को जलाया गया, सार्वजनिक चीजों को जलाया गया। सूचना केन्द्र में आग लगा दी गई। लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की गई। जनता सारी की सारी महारानी के पीछे थी। बेरी कमीशन ने भी इस बात को माना है कि महारानी साहिबा का काफी असर है।

श्री पृथ्वीसिंह : बेरी कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा नहीं है।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल व्यास: पुलिस के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सताया गया। इस प्रकार से अशान्ति पैदा की है कि प्रेसीडेंट रूल कायम हो जाय। माननीय सतीशचन्द्र जी कह रहे थे कि सुखाडिया जी ने देखा कि उनका शासन होने वाला नहीं है तो उन्होंने गवर्नर से साजिश करके प्रेसीडेंट रूल का निर्णय लिखवा लिया। मैं इस बारे में कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं कि सुखाडिया जी ने प्रेसीडेंट रूल के लिए लिखा था या आप के दल ने लिखा था। तार की कापी जो कि आप के दल ने दिया है, मैं यहां पर पढ़कर सुनाऊंगा। आप को पता होगा कि किस तरीके से आपने लोगों को मारने का प्रयास किया है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तार की कापी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रेजीडेंट को भेजी गई है। आप ने यह टेलीग्राम दिया है:—

"Nearly 30 casualties caused due to unnecessary brutal police firing this afternoon after lull in the city people came out rejoicing on the news of their leaders' release from Jail after withdrawal of Sec. 144 and suddenly without prior warning police indiscriminately opened fire. We apprehend well planned conspiracy between Chief Minister Sukhadia and Police bent upon keeping power on the point of bayonet and started indiscriminate firing with 303 rifles and pistols and soon after this imposed curfew and are removing stealthily and Chief Minister has accepted less number of casualties. Nearly 150 persons admitted in emergency ward in hospital. We may persuade the

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

Central Govt. to impose Presidential Rule in the State rather than handing over the power to Non-Congress Sanyukt Dal in clear majority in Rajasthan. It most humbly prayed that the citizens of the State be saved from massacre at the hands of the Sukhadia Government by dismissing it and immediately directing non-interference in the life of the citizens. The leader of the Sanyukt Dal be immediately ordered to be released to remove possible tension."

श्री विजय सिंह : अंग्रेजी कौन से स्कूल में पढी थी ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस प्रकार आपकी तरफ से, संयुक्त विधायक दल की ओर से टेलीग्राम प्रेसीडेंट को दिया गया, जो सात तारीख का दिया हुआ है । जब कि आपका यह कहना है कि प्रेसीडेंट रूल लागू करने के बारे में कांग्रेस दल के माननीय नेता ने सम्पूर्णानन्द जी से साजिश करके प्रेसीडेंट रूल लागू करवाया, उन्होंने प्रेसीडेंट रूल कायम कराने की कोशिश की । मैंने जो यह टेलीग्राम की भाषा आपके सामने पढी, उसको पढने का मेरा मकसद यह है कि कभी भी कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया कि यहां पर प्रेसीडेंट रूल हो, बल्कि आपने ही सारा खेल बिगाडा, प्रेसीडेंट रूल के लिए सबसे पहले प्रार्थना-पत्र प्रेसीडेंट को, होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को आपकी तरफ से भेजा गया, आपने यहां प्रेसीडेंट रूल कायम कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा आग्रह किया ।

(3 म. प.)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चार तारीख को, पांच तारीख को, छः तारीख को जिस प्रकार की आपकी हरकतें रहीं, यह आपसे खुद से छिपी हुई नहीं हैं । जब कि आप पांच तारीख को जुलूस लेकर पांच बत्ती पर पहुंचे तो चार पांच नेताओं को पुलिस गाडियों में गिरफ्तार करके बैठाया गया । उस समय वहां पर उस गाडी को तोड दिया गया, उसकी हवा निकाल दी गई और पांच विरोधी दल के नेताओं को, जिनको वहां गिरफ्तार किया गया था, वहां पर रिहा कर दिया गया । इस सम्बन्ध में माननीय सतीशचन्द्र जी ने जो बयान दिया बेरी आयोग के सामने जाकर उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सतीशचन्द्रजी वहां पर कितना असत्य बोलते हैं । आपने बयान दिया है कि हमने किसी गाडी के तोडने के बारे में नहीं सुना । हम किसी गाडी में बैठे नहीं इस प्रकार का असत्य स्टेटमेंट आपने बेरी कमीशन के सामने दिया । जब कि आप जैसे आदमी से, जिस पर हम विश्वास करते हैं, कि राजस्थान को आगे बढाने में आप बराबर सहयोग देंगे आपने बेरी आयोग के सामने इस प्रकार की गलत बात कही । जब आपने इस प्रकार की गलत बात कही तो आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप राजस्थान को आगे बढाने में सहयोग दे सकते हैं, या कि आप राजस्थान को ज्यादा ताकत दे सकते हैं आगे ।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

(3.01 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

बढ़ने के लिए, या इसकी तरक्की के लिए कोई सहयोग दे सकते हैं, या यहां पर व्यवस्था कायम करने में आपकी क्या मदद रह सकती है ? जिस प्रकार आपने गुमराह करने का प्रयास किया है, हाउस के सामने जिस प्रकार की बातें कही हैं, उनके सम्बन्ध में अलग अलग कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने एक ड्राइवर के बारे में कहा, हास्पीटल के ड्राइवर देव नारायण के बारे में। मैंने बेरी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा है, मैंने उसमें देखा है कि देव नारायण ने लाग बुक भरी, उसमें पहले ढाई लिखा हुआ था, उसको ओवर राइट करके साढ़े तीन कर दिया। इस सम्बन्ध में बेरी कमीशन के समक्ष चर्चा आई, इस सम्बन्ध में आर्गूमेंट आये और कहा गया कि पुलिस वालों ने इसकी सर्टीफाइड कापी पहले ले ली थी। उन्होंने बताया कि सर्टीफाइड कापी तो है, उसमें ढाई लिखा हुआ है, जिसको बाद में साढ़े तीन कर दिया गया है। इसमें किसी न किसी की साजिश है और वह साजिश किसी और की नहीं हो सकती है, साजिश उन लोगों की हो सकती है, जो लोग राज्य हथियाने में इन्ट्रेस्टेड थे, जिनकी कान्सप्रेसी थी, जो राज्य छीनना चाहते थे, जिनकी कान्सप्रेसी थी, उन्होंने मिल जुल कर फेब्रीकेटेड फैक्ट्स तैयार किये···

श्री विजय सिंह : वह आप लोग हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की बात हुई, जिन लोगों ने तथ्यों को फेब्रीकेट करने का प्रयास किया, जैसी कि आपने मांग की, मैं स्वयं मांग करूंगा कि जिन्होंने इस प्रकार फेब्रीकेशन किया है, उनको सरकार सख्त से सख्त सजा दे और उनके खिलाफ तेजी से कार्यवाही करे ताकि जो इन्साफ पाने से महरूम रखना चाहते हैं, जो किसी कमीशन के किसी जजमेंट को गलत तौर तरीके से बताना चाहते हैं वैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिये जो दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। यह ऐसे लोग हैं कि जो किसी के साथ भी सही इन्साफ नहीं कर सकते हैं।

दूसरा जो आर्गूमेंट सतीश चन्द्र जी ने रखा है, मैं कम से कम उससे इत्तिफाक नहीं रखता, वह इसलिये नहीं रखता कि लॉग बुक के अन्दर आठ चक्कर लगाने की बात कही है। उसने बताया कि डेढ़ से छः बजे तक हास्पीटल से लेकर जौहरी बाजार के चक्कर लगाये। आप अन्दाज लगाइये, एक चक्कर में आधा घन्टा लगता है तो उसने कितने चक्कर लगाये। आप कहते हैं कि सात चक्कर लगाये, आठ नहीं लगाये। जब आधे घन्टे में एक चक्कर लगाया तो डेढ़ बजे से छः बजे तक, जो टाइम बताया है, उसमें सात चक्कर लगाये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : साढ़े तीन घन्टे में।

श्री गिरधारी लाल व्यास: इससे अन्दाज आप लगा सकते हैं अच्छी तरह से, और

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
यह साफ तौर से साबित है कि डेढ से साढे तीन करने में किसी न किसी आदमी का हाथ है। और वह हाथ किसी और का हाथ नहीं है, वह उन लोगों का हाथ है जो लोग जबर्दस्ती कुर्सी पर काबू करना चाहते थे, जो जबर्दस्ती कुर्सी पर बैठना चाहते थे। यह उन लोगों की साजिश है। उन लोगों ने ही इस प्रकार की बात की है।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, बेरी कमीशन ने जो सबसे बडी गलती की है वह यह की है कि बेरी कमीशन ने कानून, कायदे सबको ताक में रख दिया और जो एक बडे जज पर इत्मिनान कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज होने के नाते सारे कानून कायदों का पूरी तरह से पालन करेंगे और पूरा इन्साफ दने में ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे, मगर हमने देखा है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट में तो दूसरी स्थिति मालूम होती है। जब कि आम कायदा यह है कि जब कोई मुकदमा पेश करे और कोई डाकमेंटस पेश करे या कोई चीज प्रस्तुत करे तो उसके विरोधी को भी वह स्टेटमेंट या डाकूमेंट दिखाने पडते हैं। लेकिन बेरी कमीशन ने ऐसा किया कि उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो यह आँर्डर दिया कि जितने डाकूमेंट उसके पास हैं वह सारे पेश करे और उन डाकूमेंट्स को, जिन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देने के पहले उन्होंने देखा और उसके आधार पर ही अपने स्टेटमेंट पेश किये। यह सबसे बडा लेकूना है जो बेरी कमीशन की रिपोर्ट में है। जिसके आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा· · · · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनट !

श्री गिरधारीलाल व्यास : बेरी कमीशन की रिपोर्ट है यह मिसगाइडेड है, यह इन लोगों से प्रभावित है जिन लोगों ने राज्य को जबर्दस्ती और साजिश के द्वारा खोसने का प्रयास किया है। इन लोगों की साजिश की वजह से बेरी कमीशन इनके प्रभाव से अलग नहीं रह सका है। बेरी कमीशन के ऊपर इनके नाजायज प्रभाव ने काम किया है। पहले के एडवोकेट जनरल सलाह देते हैं· · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका मतलब यह है कि बेरी कमीशन षडयंत्र में सम्मिलित था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह रस्तोगी साहब एडवाइजर बन गए और बेरी आयोग के सामने यह आर्गूमेंट देते हैं कि यह बेचारे जो हैं, यह लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों के पास साधन नहीं हैं और यह कौनसी समिति है, गोली काण्ड समिति बनाई थी या कौनसी समिति थी, इसके पास साधन नहीं है, यह किस प्रकार से कायदे कानून का पालन करे और कानून का पालन करके सारे डाकूमेंट, सारे गवाह और सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें यह सारी बातें बेरी कमीशन में इस प्रकार प्रस्तुत की हैं जो कि मेरा जैसा आदमी, जो कि कानून कायदों को नहीं समझता है वह नहीं कह सकता कि कानून कायदों के विरुद्ध काम होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि यह सबसे बडा लेकूना है बेरी कमीशन की रिपोर्ट में, और इस प्रकार जो प्रश्रय दिया है, जो गोली काण्ड सहायता समिति है या क्या है, उसको किस समिति के नाम से पुकारा जाय और जिसकी महारानी गायत्री देवी सदस्या हैं, या क्या हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
हेल्प करने के लिए इस प्रकार का अपना गलत वक्तव्य प्रस्तुत करने में सारी मदद और सारी डिटेल्स मिली हैं। एक तरफ तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत सारे डाकूमेंट्स को देखने की पहले इजाजत दे दी, दूसरी तरफ जो इन्होंने डाकूमेंट पेश किये हैं उनको सील बन्द करके, एक लिफाफे में बन्द करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको देखने का मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार की दो बातें एक साथ किस प्रकार कर सकते हैं ? एक तरफ तो डाकूमेंट और दूसरी चीजों को दिखा कर स्टेटमेंट्स तैयार करवाये, कलेम तैयार करवाये और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को डाकूमेंट्स भी नहीं दिखाये और उनको सील बन्द कर दिया गया। यह कहां का न्याय है ? क्या आप यह कह सकते हैं कि यह न्याय संगत है ? (व्यवधान) माननीय भैरोंसिह जी, यह कानून की बात है इसको गहराई से समझने की बात है..................

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक मिनिट ! इन्ट्रप्शन के लिए माफ करें.........

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : इस पर आप गहराई के साथ विचार करें.......

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: हस्तक्षेप के लिए आप माफ करना। आपको यह जानकारी नहीं है कि डाकूमेंट के इन्सपेक्शन के मामले को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट हाई कोर्ट में रिट में गई थी और हाई कोर्ट का उस रिट पर निर्णय हो चुका है कि बेरी कमीशन ने जो डिसीजन दिया है वह ठीक है और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की रिट को खारिज कर दिया है। उसके बाद भी आप सारे राजस्थान के हाई कोर्ट को कन्डेम करें तो करिये। आप राजस्थान के हाई कोर्ट को कन्डेम करें तो फिर क्या स्टेंडर्ड रह जायगा जुडिशियरी का ?

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आप मुझे कहने दें। मैंने भी बेरी कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ा है। आपने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट हाई कोर्ट में रिट लेकर गई। गई जरूर लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। उसको आप तोड मरोड कर कहना चाहते हैं उसने कहा है कि जो बेरी कमीशन ने आज्ञा दी है उसमें कोई दखल करने का हाई कोर्ट का इरादा नहीं है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बस तो फिर क्या है। साफ हो गया।

श्री **गिरधारीलाल व्याल** : उसने यह जजमेंट नहीं दिया है कि गलत कहा है या सही कहा है...........

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट को मिस कोट करने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट का जजमेंट इतना ही है कि हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। इन्क्वायरी कमीशन पर हमारा प्रोसीजर और रूल्स वगैरह एप्लाई नहीं होते हैं, कमीशन खुद अपना प्रोसीजर बनाता है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : रूल्स आफ प्रोसीजर बनाये वह......

श्री **दामोदरलाल व्यास**: यह बात आपने कही कि "हाई कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल सही है" दिस इज ए मिसकोटिंग आफ हाई कोर्ट जजमेंट।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : रूल्स आफ प्रोसीजर, एडवोकेट जनरल की राय से बनाये गये।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: आप अपनी बात को किसी तरह से कह सकते हैं और आप कहते आये हैं। आप कुछ भी कहें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि बेरी आयोग के इस प्रकार के लेकूना हैं····

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: आप भी खूब कहिये, मक्खन लगाइये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: आप सुन लीजिये।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल:** बोलिये, बोलिये, सुन रहे हैं लिख रहे हैं, कल जवाब दे देंगे।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: मैं भी जवाब दे दूंगा।

श्री **लादूराम सुलानियां** : आप बेरी रिपोर्ट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: मैं यह निवेदन कर रहा था कि बेरी आयोग ने निर्णय लिया और सतीशचन्द्रजी और गोली काण्ड विमोचन समिति मुझे तो नाम नहीं आता, इस समिति ने इन्फ्लुएन्स कर के और मिसगाइड कर के कमीशन के यह डोक्यूमेंट देखने का प्रयास किया, गलत प्रयास किया है। एक तरफा इसलिये कहता हूं कि गोलीकाण्ड विमोचन समिति को वे डोक्यूमेंट्स कैसे दिखाये, उनके डोक्यूमेंट्स सरकारी पक्ष को भी दिखाये जाते तो कह सकता था कि फैक्ट फाइन्डिग कमिशन है। उसका काम पलडा देखने का नहीं था कि कौनसा पलडा भारी है, कौनसा पलडा हल्का है। उसे तो सिर्फ वही बातें देखनी थीं कि कौनसे फैक्ट्स सही हैं, जिसमें सत्यता है, जिसमें तथ्य है, कौनसी बात सही और मानने लायक है, ताकि जिसकी गलती है उसकी गलती बताई जाय। इस प्रकार की बातें सामने लाई जातीं तो ज्यादा अच्छा रहता और हमें भी सन्देह नहीं होता कि इस रिपोर्ट में कुछ गलती है, या लेकूना रह गया है।

इस सम्बन्ध में 5 तारीख को जिस प्रकार का जुलूस निकाला गया, 5 बत्ती पर माननीय भैरोंसिहजी भी मौजूद थे, उनकी डिस्ट्रिक्ट मजिसट्रेट से बात हुई और उन्होंने कहा कि माइक मुझे दे दो मैं जनता को समझाता हूं। मैं मानता हूं कि माननीय भैरोंसिहजी ने जनता को समझाने की कोशिश की पर इनमें कई लोग ऐसे थ जो जनता को गुमराह करने में लगे हुए थे, उन्होंने जहां से धारा 144 लगती है वहां लोगों को ले जा कर धारा 144 तोडने का प्रयास किया और रेल्वे ब्रिज की ओर बढे। महारानी साहिबा ने भी जनता को समझाने का प्रयास किया पर वह किस प्रकार का प्रयास था, यह सब जानते हैं। 10 हजार की भीड का जूलूस आगे बढा और महारानी साहिबा गाडी ले कर वहां पहुंचती हैं, आखिरी सिरे पर कहती हैं कि शान्ति रखो अगला सिरा बाइजी लाल के बंगले के पास पहुंच गया, ईसरदा ठाकुर साहब के बंगले के पास पहुंच गया, बरवाडा ठाकुर साहब के बंगले में घुस गया, उनका इरादा था कि 5 तारीख को केबिनेट की मीटिंग मुखाडिया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
साहब के बंगले में हो रही थी, वहां सुखाडिया साहब के बंगले पर धावा बोल दिया जाय और केबिनेट के मेम्बरों को सब को खत्म कर दिया जाय ...

(विरोधी पक्ष की ओर से वाह वाह की ध्वनि)

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : इसमें कोई शक नहीं है। यह आप लोगों का इरादा था इसी लिये आपने ऐसा काम किया सुखाडिया साहब के बंगले को घेर कर पत्थर फैंके। अगर आप लोगों का नेक इरादा होता और आप चाहते कि जनता को ठीक प्रकार से समझा दें तो आप 5 बत्ती पर ही लोगों को समझा सकते थे और अपने आपको गिरफ्तार करवा कर सिविल डिस्ओबिडियेंस के तरीके से अगर आप काम करते तो इससे डेमोक्रेसी को ताकत मिलती पर आपने शुरू से ही गलत परम्पराएं कायम की हैं, आपका सारा बेस ही गलत परम्पराओं पर है। सोसलिस्ट पार्टी के भाई लोग हैं उनके सिद्धान्तों में और हमारे सिद्धान्तों में कोई फरक नहीं है ...

श्री **सत्यीसिंह** : आपको गलत फहमी हो गई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको गलत फहमी हो गई है जो उन लोगों के साथ में बैठे हैं। आपने यदि डेमोक्रेसी को बचाने का प्रयास नहीं किया तो यहां हिन्दुस्तान में भी डेमोक्रेसी बच नहीं सकेगी, और और देशों में डेमोक्रेसी का जो हाल हो रहा है वही हाल हमारे देश में भी डेमोक्रेसी का हो जायगा। यह हर पार्टी का कर्तव्य है कि डेमोक्रेसी को कायम रखने का पूरा प्रयास करे, चाहे जन संघ हो, चाहे सोसलिस्ट पार्टी हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो हर एक पार्टी जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है, उसका कर्तव्य है, कि प्रजातन्त्र की रक्षा करे। जो पार्टी प्रजातन्त्र में विश्वास ही नहीं करती, उसके लिये तो क्या कहें। जिनको प्रजातन्त्र में विश्वास है उन्हें सही प्रयास कर के अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को चलाना होगा। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि 5 तारीख को जिस प्रकार का यह हुआ, जिसमें सभी पार्टियों ने इस प्रकार की कोशिश की कि केबिनेट मीटिंग हो रही थी वहां हमला बोल दिया जाय वहां पत्थर फैंके। यदि पुलिस नहीं आती तो पता नहीं किस प्रकार की परिस्थिति होती। यह अन्दाज उस भीड से लगाया जा सकता है कि लीडर लोगों ने देखा कि राज्य बटोरना है तो आज ही बटोर लो, इस प्रकार का मौका फिर नहीं आ सकता और आपने प्रयास किया कि इस प्रकार कांग्रेस के हाथों से राज्य छीन लिया जाय, इसी के पीछे ज्यादा ताकत लगा कर आपने वह काम किया जिसका नतीजा यह है कि वह दिन देखने को मिला, जिसके लिये सतीशचन्द्रजी कह रहे थे कि जयपुर की जनता पर अत्याचार किया गया, गोलियां चलाई गई, फोटो में गोधा की लाश सिपाही लटकाये, हम भी कहते हैं हमारा भाई है, किसी का सम्बन्धी हो सकता है, मरने वाले के लिये हमें सबको पूरी तरह हमदर्दी है। आपकी तरह क्रोकोडाइल टीयर बहाने की हमारी आदत नहीं है कि आपकी तरह मगर मच्छ के आंसू बहा दें। हम जिस बात में विश्वास करते हैं उस पर बराबर चलने का प्रयास करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने बराबर घोषणा की है, चाहे फैसला कुछ भी हो, मृतकों के गार्जियन्स को मुआवजा दिया जायगा, जितना दिया उसको एडहोक बेसिस

Page No 99

(श्री गिरधारी लाल व्यास)
पर मान लिया जायगा, हमने प्रयास किया है, हम सब को उनसे सहानुभूति है। पर माननीय सतीशचन्द्रजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि, इस सबका जिम्मेदार कौन है?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सुखाडिया।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आप हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ×××

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आपने जयपुर की··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सुखाडिया ××××× लोकतंत्र का समझे। साजिश की तुमने।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आपने देखा कि कांग्रेस के हाथ से ताकत छीन ली जाय। आपके जोर जुल्मों से यह राज्य छीना जाने वाला नहीं है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसको जनता चाहेगी वही इस कुर्सी पर बैठेगा। जोर आजमाने का जमाना चला गया जब हम कह सकते थे कि एक आदमी सारे हिन्दुस्तान का, सारी दुनियां का बादशाह बन जायगा, अकबर दी ग्रेट। अब वह नहीं होने वाला है, अब तो हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र है। अगर माननीय सतीशचन्द्रजी कल आपको जनता पसंद करेगी तो आप भी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं।····

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : चीफ विप आपको बनाऊंगा।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : गलत प्रयास मत कीजिये, इस प्रकार के प्रयास मत कीजिये जिससे लोगों में प्रजातन्त्र के प्रति इस प्रकार की धारणा, प्रवृत्ति फैले कि लोग प्रजातन्त्र से नफरत करने लग जायं। मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य जो विधान सभा के सदस्य बन कर आये हैं सबका कर्त्तव्य है कि लोगों में प्रजातन्त्र के प्रति आस्था पैदा करें और जो लोग प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते उनमें भी प्रजातन्त्र के प्रति आस्था पैदा करें।

जो लोग हिंदुस्तान के बाहर दूसरे देशों में अपना वर्चस्व देखते हैं, दूसरे देशों के साथ इन लोगों का लगाव है, उनको दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हुए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप भारत की अच्छी पार्टी बनकर काम करें जिससे भारत का लोकतंत्र पनप सके।

6 तारीख को हमारी संसद् सदस्या महारानी गयात्री देवी दिल्ली जाती हैं और इस प्रकार का प्रयास करती है कि हम शान्ति स्थापित कर देंगे और 144 धारा हटा दो। उनको मालूम था कि 20 तारीख को विधान सभा का अधिवेशन मुकर्रर था जहां ट्रायल आफ स्ट्रेंथ होने वाला था लेकिन उन्होंने तो राष्ट्रपति और गृहमंत्री को आश्वासन दिया कि जयपुर में किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी। उन लोगों ने इनकी बात पर विश्वास करके मुख्य मंत्री महोदय से वार्ता की और मुख्यमंत्री पर इस बात का दबाव डाला कि 7 तारीख को 144 धारा हटा दें। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति और गृहमंत्री के कहने में आकर 144 धारा को उस दिन हटाने की स्वीकृति दे दी और पौने दो बजे रेडियो पर घोषणा हुई कि 144 धारा हटा दी गई। उसके बाद किस प्रकार जयपुर की जनता को उकसाया जबकि महारानी गायत्री देवी को चाहिए था

××××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कि 144 धारा हटाने से पहले अपनी पार्टी को, संयुक्त विधायक दल के सदस्यों को और अलग अलग पार्टीज के नेताओं को, सब को विश्वास में लेकर घोषणा करनी चाहिए थी और जयपुर की जनता जो आंदोलित थी और आप चाहते थे कि महारानी गायत्री को मुख्य मंत्री बना दिया जाय, सतीशचन्द्रजी को गृह मंत्री बनाया जाय•••

(3.22 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए था कि कोई अप्रिय घटना जयपुर शहर में न घटे लेकिन इस प्रकार का प्रयास नहीं किया और राष्ट्रपति और गृहमंत्री से कह दिया कि 144 धारा हटा दो और उसके बाद में कोई इंतजाम नहीं किया। जयपुर की जनता नहीं चाहती थी कि महारानी गायत्री देवी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाई जायं। जनता को गलतफहमी में रखा कि आपके पास 99 सदस्य हैं। आपने जनता को गुमराह किया जनता को धोखे में रख कर जिस प्रकार से प्रयास किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है और जब 7 तारीख को 144 धारा हटी तब किस प्रकार से लोग जो अलग अलग गलियों में छिपे हुए थे एकदम 4–5 हजार का जुलूस लेकर वहां पर आए और आर.ए.सी. और यू.पी. की तीन टुकडियां थीं उन पर पत्थर फेंके और उनके बिस्तर जला दिए और कई वारदातें कीं।

सतीशचन्द्रजी आपने ड्राईवर के लिए कहा, उसने लाग बुक में ढाई के बजाय साढे तीन कर दिया, वह भी अच्छी तरह से मालूम है। मैं गृहमंत्री से मांग करता हूं कि जिन्होंने फैब्रीकेशन किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस आदमी ने विरोधी दलों से मिलकर फैब्रीकेट किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके उसको दंड दिया जाय। क्योंकि उसने इन लोगों से मिलकर ढाई बजे के बजाय साढे तीन करने का प्रयास किया है। एक तरफ ढाई के बजाय साढे तीन किया है और लॉग बुक में 9 लिखा है और 7 के लिए कहते हैं। अगर आधे घंटे की भी ट्रिप की हो तो उस समय तो ज्यादा भीड थी सिपाही खडे थे, पत्थर पडे हुए थे और गोलियां का भय था। उसने स्टेटमेंट दिया है ढाई बजे रवाना हुए और बेरी आयोग ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया। इस बात पर जो गवाहियां प्रस्तुत हुई, जिन्होंने स्टेटमेंट दिये हैं और जिनको इस गोलीकांड विमोचन समिति द्वारा बेरी आयोग से कहकर जो सरकारी डाक्यूमेंट्स पहले बताए जाते हैं जिनके कारण ढाई के बजाय साढे तीन और साढे चार का लिखा यह इसलिये किया गया है कि इन्होंने जान लिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपने पार्टी बनाया है उसके विपरीत हम चलेंगे तो गोलीकांड के जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ठहरा सकते और आपने इसलिए सारा फैब्रीकेशन किया है, जान बूझकर बनाया है। इसमें तथ्य नहीं है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं, बार काऊंसिल के मेम्बर्स ने जो घायल हुए थे और अस्पताल में पडे हुए थे, उन लोगों के बयान लिए हैं और उनसे साफ तौर से साबित है कि पौने तीन और तीन से पहले चोटें आई हैं मगर बार काऊंसिल सदस्य जो दूसरों को इन्साफ दिलाते हैं, उन्होंने स्वयं ने इन्साफ का गला घोंटा है और

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इन्साफ का साथ नहीं दिया। इस प्रकार बार काउंसिल के मेम्बर्स जिनका कर्तव्य है सरकार को और हरेक आदमी को इन्साफ दिलाना और इन्साफ दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना, उन्होंने ऐसा न किया। मगर अफसोस की बात है बेरी आयोग, जिनको अधिकार था कि सारे के सारे डाक्यूमेंट्स कानून के तहत बार काउंसिल के सदस्यों से, जिन्होंने अस्पताल में जाकर घायल लोगों के बयान लिए, उनके बयान मंगाए जा सकते थे। तो ऐसे डाक्यूमेंट्स जिन पर सारी बात आधारित थी कि गोलीकांड का समय कौनसा है और जो केस आपने बनाया है, गोलीकांड विमोचन समिति ने बनाया है, वह कितना फैब्रीकेटेड केस था और किस तरीके से जालसाजी करके सारा केस बनाया गया। इसके पीछे कन्सपायरेसी थी, आप चाहते थे कि किसी प्रकार राज को हथियाना और इसके लिए आंदोलन खड़ा करके गड़बड़ी पैदा करें जिससे सुखाडियाजी, जो 14 वर्ष से बराबर अच्छी तरह से ठीक शासन राजस्थान को दे रहे हैं, उसको बदनाम करें और यहां पर हमारा शासन हो जाय। मगर इस प्रकार की बातें होने वाली नहीं। सब लोग आपको जानते हैं। आपकी कलई तो यू.पी. में खुल गई, पंजाब में और बिहार में खुल गई है। आप स्वयं जानते हैं कि कितने पानी के अन्दर हैं और हम भी जानते हैं कि हम कितने पानी के अन्दर हैं····

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यहां (नाक) तक डूब गए हो।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : सतीशचन्द्रजी आपने तो बड़े गर्व से यू.पी. में कहा था कि 425 सीटों में से कम से कम आधे से ज्यादा हमारे लोग आयेंगे। लेकिन वहां पर 48 सीटें लेकर आए, आपने जनता का विश्वास खो दिया है। जिन बातों में आप आस्था रखते हैं, भारत की गरीब जनता उन चीजों में आस्था नहीं रखती। भारत की जनता रोटी रोजी चाहती है न कि प्रचार करके गायों की दुहाई देकर हम जनता का वोट प्राप्त कर सकें। हमें रोटी रोजी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारे समाजवादी भाई आपके साथ गुमराह हो रहे हैं, वे अगर सही रास्ते पर आ जायं तो हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा समाजवादी तरीके से शासन स्थापित हो सकता है और यहां पर हिन्दुस्तान में रोजी और रोटी का अधिक प्रबन्ध कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाजवादी भाई, विश्वास में जिनके गड़बड़ है, सही तरीके से सोचते नहीं और गलत लोगों के साथ बैठ कर गलत धारणायें बना बैठे हैं।

श्री **रामकिशन** (बैर) : हमारे दिमाग में गड़बड़ है? आगरा भिजवाओगे या कहां भिजवाओगे?

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : माननीय रामकिशनजी, मैं निवेदन कर रहा था कि आप समझदार आदमी हैं, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी में ज्यादा विश्वास करते हैं।

श्री **लादूराम सुलानियां** : स्वतन्त्र पार्टी पसन्द नहीं आयी।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : स्वतन्त्र पार्टी कोई पार्टी है?

मैं निवेदन कर रहा था आप माननीय रामकिशनजी सही विचारधारा रखने वाले

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आदमी हैं। आपकी पार्टी का एक गलत तरीका था लोहियाजी का तोड फोड का कि कांग्रेस को किसी तरह से हटाओ और चाहे किसी को बिठाओ उससे डेमोक्रेसी नही चलने वाली है। उससे बंगाल में जो नतीजा हुआ उसको उनको भी भुगतना पड़ेगा। केरल में उनका साथ दिया इसलिये यहां भी नतीजा भुगतना पडेगा। हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को इन लोगों से बडा खतरा है और यदि इन लोगों के साथ मिल कर काम किया तो विदेशी लोगों के साथ मिल कर प्रजातन्त्र को खतरा पैदा करोगे। हमारा दिमाग ठिकाने है। हम सही तौर तरीके से सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि समाजवादी भाई सही तरीके से आवें और मिल कर काम कर सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिला प्रशासन पर बेरी आयोग ने चार्जेज लगाये हैं 4.5 व 6 मार्च को देख सकते हैं कि पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, लाठी चार्ज नहीं हुआ और अश्रुगैस नहीं छोडी। इस प्रकार की बात होते हुए भी बेरी कमीशन ने निश्चित रूप से कहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोसा गया है। बेरी कमीशन के दिमाग में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शुरू से ही नफरत थी इसलिये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात कहता, कोई डोक्यूमेन्ट पेश करता गवाहियों को इस प्रकार से देखा जाता जैसे शक उसमें आता हो और दुर्गन्ध निकलती हो। न्याय का फैसला यह है कि उसको फैसला नहीं सुनाया जाय जब तक कि उसको गुनाहगार नहीं समझ लेते। बेरी कमीशन ने तो शुरू से ही गुनहगार समझा इसलिये उस पर ऐतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक्सेसिव व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया और तंग किया। इसलिये इस प्रकार की धारणा बेरी कमीशन की शुरू से ही बन गयी थी इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि बेरी कमीशन ने इन्साफ दिया है और यह 900 पेज की किताब लिखी है, जजमेन्ट दिया है इतना समय नहीं खराब करना चाहिये था। 21 लाख रुपया इस कमीशन पर खराब हुआ। माननीय सतीश चन्द्रजी आप क्या मैं स्वयम् भी अफसोस करता हूं कि इस छोटी सी एक बात के लिये जो एक महीने में हो सकती थी, इतना समय लगाया और 21 लाख रुपया खराब हुआ। यह इस प्रकार का कमीशन था। हम चाहते तो जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते थे और कमीशन की जिम्मेदारी थी। इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो बाहर के देशों की तरफ देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लिये कह रहा था। स्वतन्त्र पार्टी के भाई है जो बाहर की तरफ देखते हैं। 7 तारीख को फोटो खींचे गये। अमेरिका के फोटोग्राफर को बुलाया गया। और लाइफ मेगजीन में ऐसी खबरें छपवायीं गयीं कि हिन्दुस्तान के लोग जाहिल लोग हैं और इन जाहिल लोगों में काबलियत नहीं है और डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। हिन्दुस्तान के बाहर इस प्रकार का देश का चित्र खींचा गया। जो सदैव से बाहर के लोगों को आका मानते थे, पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं वे कभी प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं कर सकते और जयपुर की जनता जिन्होंने उनको इस तख्ते ताऊस पर बिठाने का प्रयत्न किया उन्हें सोचना चाहिये कि पहले अमेरिका और पूंजीपतियों के गुलाम थे यहां उनको बुलाकर फोटो खिंचवाते हैं और हिन्दुस्तान

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की डेमोक्रेसी के प्रति किस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है। उनको शर्म आनी चाहिये। हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी जिसके लिये सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा उसके लिये कुछ माननीय सदस्य इस प्रकार की पब्लिसिटी करने का प्रयास करें और हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें उससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? बेरी कमीशन को चाहिये था कि ऐसा फोटोग्राफर जिसने डेमोक्रेसी का मखौल उडाने की कोशिश की है उसको बुलाकर उसके बयान लेता।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): यह डेमोक्रेसी की सरकार है या ढकोसला है?

श्री गिरधारीलाल व्यास: उसने कतई प्रयास नहीं किया। यह इतनी बडी बात है। इतनी बडी साजिश थी जिसको भुलाया नहीं जा सकता। कुछ व्यक्ति ने फोटो खींचा उसके कुछ गवाह होते। महारानी साहिबा ने बडी तारीफ बतायी। बडे मालदार लोग हैं और पार्लियामेन्ट की सदस्या हैं इसलिये बेरी कमीशन ने सहानुभूति बतायी।

श्री भैरोंसिंह: ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर सर उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम सदस्य महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब उन्होंने यह कहा कि महारानी साहिबा बडी मालदार हैं, बहुत सम्पत्ति है और पार्लियामेन्ट की सदस्या हैं कहीं उनका यह आशय तो नहीं है कि बेरी साहब को सम्पत्ति दे दी और इसलिये यह रिपोर्ट आयी?

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह नहीं है। उनके बडप्पन की वजह से पैसे वाले आदमी हैं उससे इन्फ्लुएन्स में आकर सहानुभूति प्रकट की।

श्री भैरोंसिंह: आपके खयाल से, आप एक बात बता दीजिये, आप सुखाडियाजी का इन्फ्ल्युएन्स ज्यादा समझते हैं या महारानी का ज्यादा समझते हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरा समझना दूसरी बात है और आपका समझना दूसरी बात है। मेरा खयाल है आप महारानी को ज्यादा समझते हैं . . .

श्री भैरोंसिंह: आप बताइये कि किसका ज्यादा इन्फ्लुएन्स है?

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह अलग अलग बातें हैं। मैं सुखाडियाजी का इन्फ्लुएंस ज्यादा समझता हूं तो आप महारानी का ज्यादा समझते हैं। यह बात सही है कि सुखाडिया ने हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिटिकल क्षेत्र में कार्य करने के लिये सक्रिय कार्यकर्ता बनाया और अपने जीवन में उन्होंने कई कार्यकर्ता पैदा किये।

श्री जयनारायण सानोदिया: कई जमूरे पैदा किये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: और आपका महारानी का ताल्लुक उस तरह का नहीं है। मेरा तो कार्यकर्ता और लीडर का सम्बन्ध है। आप तो चुनावों के समय महारानी के साथ और चुनाव निकले और महारानी का साथ छूटा। इसलिये चुनाव के समय साथ हो जाते हैं क्योंकि जयपुर की जनता महारानी गायत्री देवी के कहने से वोट देती है।

एक माननीय सदस्य: पीढियों का ताल्लुक है

श्री गिरधारीलाल व्यास: इसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हालांकि मैं भी पीढियों से आपका गुरु हूं। इसलिये यह बात दूसरी है, पीढियों का ताल्लुक दूसरा है। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हमारे लोगों की बात है ...

एक माननीय सदस्य: बहुतेरे गुरु हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: आप जैसे जमूरे पैदा किये हैं या बनाये है?

श्री गिरधारीलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात निवेदन कर रहा था। यह प्रश्न हमारे गुरु चेले का है। आप तो मेरे चेले बनना नहीं चाहते

श्री मदनसिंह: मैं आपका शिष्य हूं। हरिजनों को पीटना और मारना यह आपने मुझे सिखाया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: हरिजन मेरे चेले बनना चाहते ह तो ठीक है आप तो मेरे चेले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह जो बेरी कमीशन था, उसको इन एवीडेंस को बुलाना था। उसने उनको नहीं बुलाया है। यह मेरा एतराज है।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गिरधारीलाल जी ने हमारे संविधान के विपरीत यहां बात कही है। उन्होंने जाति की बात यहां पैदा की है, इस तरह से संविधान की भावना को तोड रहे हैं उन्होंने राजपूत और ब्राह्मणों का सवाल उठाया है। इस तरह वे धर्म और जाति को बढावा दे रहे हैं। जन्म से कोई गुरु नहीं हो जाता और न कोई दास होता है यह बात संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, इसलिये इन शब्दों को, प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास: इसको कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। आप भी गुरु हैं और जो गुरु हैं वे गुरु रहेंगे।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने बाल्मिकी और वशिष्ठ की परम्परा यहां कायम की है। इसलिये इस प्रकार की चर्चा सदन में हो सकती है।

श्री **रामकिशन**: वह जाति तोडने के लिये थी।

श्री **मदनसिंह**: मैं गुरु को पीट दूंगा।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: अगर आपके यहां परम्परा है गुरु को ठोकने की तो आप ठोकें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा थोडी देर पहले मैंने निवेदन किया है, उन एवीडेन्स को बैरी कमीशन ने भुला दिया।

इन एवीडेन्सेज को उसने बुलाने का प्रयास नहीं किया और उन फोटोग्राफ्स को जो कि यहां पर खींचे गये थे, जौहरी बाजार के गोली कांड के थे, उस फोटोग्राफर को बुलाकर पूछना चाहिये था तो ज्यादा फैक्ट्स मालूम किये जा सकते थे। इसका प्रयास नहीं किया गया कि फोटोग्राफर को बुलाकर यह जानकारी ले कि यह किस समय का था, कहां पर खींचा गया था, कौन लोग उसमें अपराधी थे और किन लोगों ने ज्यादा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ज्यादती की है। उन लोगों को बुलाया जाता। यह विरोधी दलों की साजिश थी। इनको बुलाने पर मालूम हो जाता कि जयपुर की जनता को आन्दोलित करने में विरोधी दलों का ज्यादा से ज्यादा हाथ था। लोगों को भडकाया। जयपुर की जनता को आन्दोलन करने के लिये हर प्रकार की कार्यवाही करके प्रेरित किया इन लोगों ने जनता को मारा, पीटा और पत्थर चलवाये, दुकानें लूटी गई, आग लगवाई। इस प्रकार की हरकतों से उनको आन्दोलित किया गया। यह कब जाहिर होता जब एवीडेंस बुलाई जाती।

संघर्ष समिति के लीडरों को जो अपने आपको इस आन्दोलन का सर्वेसर्वा कहते हैं श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल कहते हैं, सुखाडिया जी को नहीं बुलवाया, डी. आई. जी. को नहीं बुलवाया, फलां को नहीं बुलवाया मैं कहना चाहता हूं कि भैरोंसिह जी को नहीं बुलवाया गया, गायत्री देवी को नहीं बुलवाया गया, कुम्भाराम जी को नहीं बुलाया गया और श्री रामकिशन जी को नहीं बुलाया गया। इस प्रकार से विरोधी दल के नेताओं को, जिन्होंने यह संघर्ष चलाया है, वे एवीडेंस में आते तो और ज्यादा फैक्ट्स सामने आते और उनको इसलिये नहीं बुलवाया गया कि अगर वे वहां जाते तो सौगंध खाकर उनको बयान दने पडते और वे जो बात नहीं कहना चाहते वह बात कहनी पडती और डाक्यूमेंट्स के आधार पर उनको क्रास किया जाता। उनसे वे सब बातें पूछी जातीं इसलिये इन सब चीजों से बचने के लिये ये विरोधी दल के नेता एवीडेन्स में नहीं आये। आप लोग कहते हैं। रामकिशोर जी व्यास के पास बेरी कमीशन को स्टेटमेंट पेश करने के लिये आया। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपको कोई स्टेटमेन्ट नहीं आया था। क्या आप लोग स्टेटमेंट, गवाहियां देने के लिये नहीं जा सकते थे ? जान बूझकर अपने आपको बचाने के लिये आपने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया बच निकले क्योंकि बयान देना पडता था। आप लोगों ने प्रजातन्त्र को, डेमोक्रेसी को जबरदस्ती हथियाने का प्रयास किया था। प्रजातन्त्र को पकड कर ले जाने का प्रयास किया था। 7 तारीख के संघर्ष के बारे में आपने कहा कि यहां की जनता ने किसी प्रकार की बात नहीं की। उसके ऊपर, निरीह बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई। इसका आन्दोलन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक इतिहास में जहां पर राइट्स होते हैं, उन लोगों में राइटर्स के गोली लग जाय ? सम्भव है कि उसमें हर प्रकार के आदमी हों, 18-20 एसे आदमियों के गोली लग जाय। 18-20 आदमियों के गोली लगी है और 45 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी मरे नहीं हैं। वे सब के सब बेगुनाह थे ? और उनका राइटर्स से क्या कोई ताल्लुक नहीं था। इस बात का ख्याल नहीं किया गया, इस बात का सपोज नहीं किया गया, यह सब ख्याली पुलाव था कि जिनके गोली लगी वे निरपराध थे।

श्री भैरोंसिह : इनमें कितने बेगुनाह थे सब के सब ? यह तो आप बता दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह आपका कर्तव्य था, यह साबित करने का उनमें से कितने राइटर्स थे और कितने निरपराध। मैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
बेरी कमीशन के सम्बन्ध में कह रहा हूं। जो बात मैंने कही है वह बिल्कुल मानने लायक है। हिन्दुस्तान में कई जगह राइट्स होते हैं और उनको आप अच्छी तरह से देखें। आपको मालूम हो जायेगा कि जो राइट्स में हिस्सा लेते हैं, वे ही ज्यादातर मारे जाते हैं। इधर उधर देखने वाले, गली से लुक छिप कर निकलने वाले नहीं मारे जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे लोग भी नहीं होते हैं। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि राइटर्स ऐसी जगहों पर नहीं मारे जाते हैं। राइट्स में हिस्सा लेने वालों को ही गोली लगती है। यहां यह कह दिया–मैं तो फलां गली से आ रहा था और मैं उस गली में था और गोली लग गई। हिन्दुस्तान के अन्दर जालिम से जालिम लोग भी ऐसे इन्सानों के ऊपर गोली नहीं चलाते। यह आपका कहना मैं नहीं मान सकता कि बेकसूरों के ऊपर गोली चलाई गई है। यह आपका ख्याली पुलाव है। आपने अपने दिमाग में इस तरह की शंकाएं पैदा कर ली हैं जो सत्यता से परे हैं, यह मनगढन्त बात है। आप जैसे वकील लोग, बेरी कमीशन के सामने, जो फेक्ट फाइन्डिंग बॉडी है इस तरह जाकर गलत तरीके अपना सकते हैं, यह गलत तरीका है।

आप जैसे योग्य वकील फेक्ट्स की तरफ न जाकर गलत तरीके अपना सकते हैं, यह गलत है। वकीलों का तकाजा है वह इन्साफ दिलावें। एक तरफा पैरवी न करें। ऐसे बड़े एसोसिएशन का, बार कौन्सिल का यह फर्ज है कि एक तरफा लोगों की पैरवी न करके इन्साफ दिलावें। आप एक तरफा ही इमदाद करना चाहते हैं। अस्पताल के अन्दर जिन लोगों को स्टेटमेन्ट के लिये बुलाया गया .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वकीलों की जो संस्था होती है, क्या वह बार कौन्सिल होती है, उसे क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वह इस बे-पंडित को समझा दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : 7 तारीख को धारा 144 खत्म हुई तो चार, पांच हजार आदमी जुलूस बनाते हैं और इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। वैसी हालत में हर इन्सान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अनुसूया प्रसाद की गवाही को सब से ज्यादा महत्व दिया गया उसने एक एक गोली पर निशानात लगाये लेकिन उन्होंने भी अपने बयान में यह कहा है कि दो तीन हजार की भीड का जुलूस निकला था। अगर बेरी साहब न्याय ही करना चाहते तो उसके इस पोर्शन को गायब नहीं करते जिसको इस रिपोर्ट से बिल्कुल गायब कर दिया गया। दो तीन हजार की भीड के बारे में अनुसूया प्रसाद कहता है लेकिन उसको नजर अन्दाज किया गया और उसका भी फायदा अपोजीशन को दिया गया। जो जो भी चीजें अपोजीशन के खिलाफ मिलती गई उनको एक तरफ रखा गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिसका फायदा मिलना चाहिये वह भी उसको नहीं दिया गया।

नन्द लाल माथुर सेशन्स जज (रिटायर्ड) की गवाही का हवाला दिया गया। हम भी जानते हैं कि जिसने कहा कि मैं बैंक से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चार बजे निकला उसके बाद में कोई गोली नहीं चली। पांच बजे तक गोली चलती रही यह किस आधार पर लिया गया। इस गवाह के इस खास पोशन को भी बेरी साहब ने उडा दिया। यह साफ तौर से विदित है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में जो भी बात अनुकूल थी उनको बिलकुल लोप कर दिया गया। मैं इस सब की जिम्मेदारी सतीशचन्द्रजी पर डालता हूं, योग्य वकील होते हुए भी इन्साफ दिलाने में इन्होंने साजिश की है, उसमें इनकी कोन्सपीरेसी है। इन्होंने ही जयपुर की जनता को बहका कर यह आन्दोलन चलाया। मैं इस सब काण्ड की जिम्मेदारी इन्हीं पर ठहराता हूं। यह इनका ही गुनाह है। आप एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण जनता इतनी आन्दोलित हुई और गोली चलाने की नौबत आयी। इन्होंने ही गलत तौर से जनता को मिस्गाइड किया। जब गलत वातावरण बनता है तो जनता आन्दोलित हो जाती है।

मैं वैसे कानून का जानकार नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह तो आपके इस भाषण से मालूम होता ही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: जितना कानून को मैं समझता हूं बेरी कमीशन की रिपोर्ट एक तरफ है उसने सही तरीके से न्याय देने की कोशिश नहीं की। वह तो केवल फेक्ट फाइन्डिग ही करती तो ठीक रहता। वह तो एक प्रकार से जुडिशियल कोर्ट की तरह कोर्ट बैठ गया और इसने इस प्रकार का प्रयास किया कि इन लोगों को मुजरिम करार दे दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुजरिम करार देने के बाद भी मौका नहीं दिया गया, उनको अवसर नहीं दिया गया जो कि मुल्जिमान को डिफेण्ड करने के लिये दिया जाना चाहिये था। ऐसी हालत में जो एक फेक्ट फाइंडिंग बोडी है, यह कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं, उसके निर्णय को मानने के लिये सरकार बाध्य नहीं है जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: खूब पढाया है। गवर्नमेन्ट का डिसीशन भी बतला दिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह सरकार के सोचन की बात है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप जल्दबाजी में, अपोजीशन के लोगों की बातों से गुमराह होकर कोई कदम न उठायें। यदि आप न्याय ही करना चाहते हैं तो आप इन सारी बातों को एक्सपर्ट्स के जरिये जांच करवायें उसके बाद ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय कि गवर्नमेन्ट को क्या करना है? इस रिपोर्ट के इम्पलीमेण्टेशन का सवाल है सरकार उसके लिये बाध्य नहीं है।

जहां तक सात तारीख के फायरिंग का प्रश्न है उस संबन्ध में बेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा जो विटनेसेज देखी हैं उसमें साफ तौर से सबूत है कि चार पांच हजार की भीड पुलिस वालों को मारने के लिय एकत्रित हुई थी। उन्होंने डी.वाई. एस. पी. और पुलिस के लोगों को पत्थरों से मारने की हिमाकत की। जहां तक स्टेनगन की बात है उसके लिये भूरसिंह जो कोन्सटेबल था वह स्टेनगन के बारे में जानता नहीं था लेकिन भंवर सिंह जिसने कहा कि स्टेनगन को लोगों ने छीनने की कोशिश की। जब उससे जिरह में पूछा गया तो उसने सारी बातों को अच्छी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
तरह से समझाया। उसने इस कथन को झूंठा बताया कि स्टेनगन नहीं छीनी गई। इस पर बेरी कमीशन ने भूर सिंह के अच्छी तरह न बताने का तो कोगनीजेन्स लिया लेकिन भंवर सिंह की बात को नजर अन्दाज कर दिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव जो आपके स्थानीय जन संघ के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है जब मैं ट्रक में बैठकर गया तो उस समय भारी पथराव हो रहा था इसलिये मैं बडी मुश्किल से ट्रक में बैठा। एक आप का आदमी कहता है उसकी बात भी आप नहीं मानते। यह किस प्रकार से न्याय संगत कहा जा सकता है। उनकी इस बात को भी बेरी साहब ने नहीं माना।

श्री एस. एन. शर्मा जो हिन्दुस्तान टाइम्स के कोरेस्पोन्डेण्ट हैं जिन्होंने सारे चुनाव में यहां काम किया जो बिडलाजी के एजेन्ट हैं। उन्होंने बिडला साहब की बडी भारी पैरवी की। जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को चिट पहुंचाने का काम करते थे ...

श्री **भैरोंसिंह**: पोइन्ट आफ आर्डर सर, एक पत्रकार के सम्बन्ध में आरोप लगाना कि वह बिडला साहब के एजेन्ट हैं। मैं समझता हूं अपने रूल्स के तहत ऐसे आदमी के खिलाफ आरोप नहीं लगाये जा सकते जो यहां आकर उत्तर नहीं दे सकता। अतः इनको इस प्रकार के आरोप लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष**: कमीशन के सामने इनको विटनेस की तौर पर पेश किया गया इस संदर्भ में कहा है।

श्री **नत्थीसिंह**: कमीशन ने नहीं कहा है गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने कहा है कि वे बिडला जी के एजेन्ट हैं।

श्री **भैरोंसिंह**: यह जो आरोप है पत्रकारों की इण्डिपेंडेन्स के खिलाफ है। क्या यह कहने का इनको अधिकार है?

श्री **उपाध्यक्ष**: कहने का अधिकार है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: मैं जो बात कह रहा हूं समझ बूझ कर ही बात कह रहा हूं।

श्री **भैरोंसिंह**: मैं समझता हूं कि यह शब्द किसी पत्रकार के लिये कहना गैर-वाजिब है अतः इनको कार्यवाही से निकालने के आदेश दिये जायं।

श्री **उपाध्यक्ष**: एक्सपन्ज वे ही शब्द हो सकते हैं जो अनपार्लियामेन्टरी हों, जो मान हानिकारक हों जिस से मुकदमा चल सकता है। वे यहां पर नहीं कहे जा सकते।

श्री **भैरोंसिंह**: क्या इनका यह कहना वाजिब है क्या कि ये एजेन्ट हैं?

श्री **उपाध्यक्ष**: जी हां।

श्री **विजय सिंह**: और कांग्रेस साहू जैन की एजेन्ट है?

श्री **उपाध्यक्ष**: यह भी आपको कहने का अधिकार है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: श्री एस. एन. शर्मा ने बेरी कमीशन में बडी दिलचस्पी दिखाई है ...

श्री **भैरोंसिंह**: गिरधारीलालजी मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेरी कमीशन ने

Page No 109

(श्री भैरोंसिंह)
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आरोप लगाये हैं क्या उन में एक भी आरोप आप सही नहीं मानते ?

श्री उपाध्यक्ष: सही हैं उनका तो ये जिक्र ही नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप यह साइकीलं जिकल सवाल कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : जिसका आपके हृदय से से कोई ताल्लुक नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। बेरी कमीशन के सम्बन्ध में एस. एन. शर्मा साहब ने जो हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं, क्या बोलते हैं करेस्पोन्डेन्ट।

श्री भैरोंसिंह : एम. एल. ए. हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : करेस्पोन्डेन्ट हैं और बिडला सहाब का है हिन्दुस्तान टाइम्स और बिडला साहब की पैरवी करने में जो अभी थोडी देर पहले माननीय सतीशचन्द्रजी का भाषण हो रहा था तो उन्होंने बताया कि बडे बडे पूंजीपतियों से कांग्रेस मिली हुई है और उन्होंने . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरासर झूठ है। एक शब्द नहीं कहा इस बारे में मैंने अभी।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : व्यासजी आपकी सरकार तो बिडला की एजेन्ट है। और मुख्य मन्त्री ने बिडला से पैसा खाया है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : कांग्रेस के एम.पी. श्री चन्द्रशेखर ने साबित कर दिया है कि बिडलाजी की एजेण्ट यह कांग्रेस है। खुद आपके एम. पी. चन्द्र शेखर ने यह बात कही है कि बिडलाजी के एजेण्ट ये कांग्रेस मैन हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूंजीपतियों में विश्वास रखने वाले लोग पूंजीपतियों के पैसे का सहारा लेकर कांग्रेस का मुकाबला करना चाहते हैं। आपको अपनी ताकत पर चलना चाहिये। आपको अपने उसूलों पर चलना चाहिये। मैं रामानन्दजी से कहना चाहता हूं कि आप कम्युनिस्ट होकर सेठों की गोद में, राजाओं-महाराजाओं की गोद में जाकर बैठते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो अपने नेता से पूछिये कि महाराजा भगवत सिंहजी की जूतियां क्यों उठाये फिर रहे हैं।

श्री विजयसिंह मकराना : आप साहू जैन के थैले में बैठे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि उस थैले को फाडकर बाहर निकल जावें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप लोग कौन हैं ? आप जन संघ का झण्डा लेकर राजा महाराजाओं की सत्ता फिर लाना चाहते हैं आज भी जनता गरीबी में मायूसी में पडी है वह आपकी वजह से पडी है। इसके लिये गरीबी के लिये आप जिम्मेदार हैं, हिन्दुस्तान की गरीबी, उसकी मुफलिसी के लिये आप जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार ये राजे महाराजे, जागीरदार और इनके इशारों पर चलने वाले ये जन संघ वाले हैं।

(शोरगुल–लगातार शोरगुल, अश्रव्य)

श्री **विजयसिंह** : आप क्यों चक्कर लगाते हैं, आप क्यों उनके पैरों पड़ते हैं ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आप चाहें कि जुल्म ज्यादती से आपका राज्य कायम किया जावे यह कभी नहीं बन सकता इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बेरी कमीशन ने जो बात कही है जो सुझाव बताये हैं, खामियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार पूरी तरह से विचार करे और जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले जो बेचारे बेगुनाह हैं पुलिस वाले जो ला और आँर्डर मेन्टेन करने वाले हैं उनके सम्बन्ध में अगर कोई गलत निर्णय लिया गया तो उनके हौंसले पस्त हो जावेंगे और भविष्य में डेमोक्रेसी कायम रहे या न रह सके इस प्रकार की संदिग्ध स्थिति भी आ जावेगी पुलिस लाँ, आर्डर मेन्टेन करने के लिये होती है अगर इस काम में हमने उसकी इमदाद नहीं की और गलत निर्णय लेकर उनको दबाने की कोशिश की तो उनकी आस्था उठ जावेगी डेमोक्रेसी पर से । उनके पास कोई सही तरीका नहीं रहेगा । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री **विजयसिंह** : थैला फट जाता है, तब भी अन्दर घुस जाते हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री नत्थीसिंह !

श्री **नत्थी सिंह** (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन में कांग्रेस पक्ष के चीफ व्हिप साहब का भीषण भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई शिकार में शिकारी लोग जाते हैं और हाका करते हैं, वैसा हाका हो रहा है । 'जादू वह जो सिर चढ बोले' मन का चोर उन्होंने प्रकट कर ही दिया ।

अभी हमारे गृह मंत्री महोदय सुबह से अपने को बचा रहे थे कि कोई कमिटमेन्ट करूं या नहीं करूं । यह कहूं या नहीं कहूं । कहीं कोई बुरा तो नहीं मान जावेगा कि इसको रद्दी की टोकरी में उठा कर फैंक देंगे । पर मंत्रिमण्डल के सदस्य के अलावा इस कांग्रेस पार्टी के सब से जिम्मेदार सदस्य हैं मुख्य सचेतक । उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेरी आयोग की रिपोर्ट नहीं मानी जावेगी। इस कांग्रेस के राज में कई बार गोलियां चलीं पर पहली बार हाई कोर्ट के जज का एक आयोग नियुक्त हुआ जिन्होंने उनको अपराधी पाया और इसी पर वे तिलमिला उठे । उसे मन्जूर न कर सके । आज उनकी कोशिश यह है कि सारी रिपोर्ट को उठा कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जावे पर मैं पूछना चाहता हूं कि अभी थोडी देर पहले जब व्यास जी कह रहे थे कि राजा महाराजा और दूसरी पार्टियां हिन्दुस्तान में गरीबी लाने के लिये जिम्मेदार हैं तब उस समय वे दल बदल और हेराफेरी की बात कर रहे थे । और आपकी कांग्रेस के ही अध्यक्ष ने इजाजत दी है स्वतन्त्र पार्टी को गद्दी में बिठाने के लिये, तो अगर हिन्दुस्तान में आज सिद्धान्त हीन पार्टी है तो वह केवल कांग्रेस है और कोई नहीं और उसके मुख्य सचेतकजी इसलिये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस गरीबी के लिये जिम्मेदार स्वतन्त्र पार्टी नहीं है । सचेतकजी, जिम्मेदार तो आप हैं, इसकी जिम्मेदार दूसरी विरोधी पार्टियां भी नहीं हैं ।

(श्री नत्थीसिंह)

जन संघर्ष समिति जो बनी थी, वह भी नहीं है। इसकी एक मात्र जिम्मेदार आपकी यह अवसर वादी मनोवृत्ति है, सिद्धान्त हीनता है, कुर्सी के लिये कुछ भी कर डालने की वृत्ति है, आज सत्ता के मोह में आप पडे हैं, सत्ता के लिये आप कुछ भी सौदा कर सकते हैं। आपकी इस अवसरवादी मनो–वृत्ति के कारण आपने सागर मल गोपा के खून करने वाले को गद्दियों पर लाकर बिठाया है। सुमनजी के कत्ल करने वाले को भी कांग्रेस में गद्दी बक्सी। यह जिम्मेदार है कांग्रेस इस सब के लिये। जिसने रमेशचन्द्र स्वामी की हत्या करने वाले को भरतपुर की पुलिस के अधिकारियों को कांग्रेस ने तरक्कियां दीं। वह परम्परा जो आपने चलाई थी वह परम्परा नवाब लोहारू तक आई। नवाब लोहारू की बात कह रहा हूं जो आज गद्दी पर बैठे हैं और आपने बिठाया है। वही परम्परा जिसका विरोध करते करते व्यासजी चले गये। पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। वह परम्परा चलती चलती सात मार्च 67 को राजस्थान में जौहरी बाजार में और रंग लाई यह सब आपकी दकियानूसी प्रतिक्रियावादी अवसरवादी नीति का नतीजा था कि यहां पर आप ने अपनी गद्दियों को सुरक्षित रखन के लिये निरपराध लोगों के खून से होली खेली और इसके कारण यह रिपोर्ट सामने है। मैं भी इसके पैरा से जो नतीजा इस ने निकाले हैं उनमें से सब से सहमत नहीं हूं। जिन पर मतभद है मेरा वह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अधिकांशतः जो इन्होंने नतीजे निकाले हैं वे साफ तौर पर से इस बात को कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो राज कर रहे थे उनकी थी। एक बात।

अब रहा सवाल कान्सपिरेसी का। कान्सपिरेसी को लेकर कहता हूं मैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जौहरी बाजार में इतनी पुलिस की क्या जरूरत थी। आप कहते हैं लोगों ने सूचना केन्द्र को जला दिया। अभी हमारे गिरधारीलाल जी व्यास कह रहे थे कि सूचना केन्द्र को जला दिया। पर मैं पूछता हूं आपकी पुलिस ने कौन सी अहतियात बरती थी। आपके आदमी ही बयान देते हैं कहते हैं पेट्रोल मांगा गया था विद्यार्थियों के द्वारा। अजमेरी गेट की पुलिस को सूचना दी पर सूचना पाने के बाद आपने कौनसा इन्तजाम किया। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। वह साजिश का ही एक तरीका था।

आप रवीन्द्र मंच की बात कहते हैं, वहां का बयान हुआ है। राघवन साहब ने सूचना दी, आपने इन्तजाम किया? नहीं किया। दर्द तो इस बात का है आपको कि यह महारानी गायत्री देवी दिल्ली चली कैसे गई पहुंच कैसे गई दिल्ली में और पहुंच भी गई तो उसने चव्हाण साहब से और अन्य लोगों से बात कैसे कर ली और यह 144 धारा हटाने की बात क्यों करा ली। मजबूरन यह 144 धारा आपको उठानी पडी। इसमें भी आपकी साजिश रही। रेडियो से घोषणा कर दी कि 144 धारा उठ गई और चव्हाण को दिल्ली में सुना दिया। पर पुलिस को आपने नहीं हटाया। उसका हुजूम आपने और भी अधिक बढा दिया। यह आपकी साजिश थी कि 144 धारा हटने पर लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे उसको भूनने का काम पुलिस बखूबी कर सकेगी यह आपकी साजिश थी जिसके कारण आपने ये सारी हरकतें कीं।

(श्री नत्थीसिंह)

मैं पूछना चाहता हूं गिरधारी लाल व्यास से, जो कह रहे थे कि पुलिस ने कोई गुनाह नहीं किया। जनता ने पत्थर फेंके थे पर जब सात तारीख की रात को शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था तो पांच बत्ती पर लक्ष्मी किराना स्टोर में आदमी नहीं थे, जनता के कोई आदमी वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस गश्त लगा रही थी, तो कैसे आग लगी ? कैसे दुकान जली ? उनके सामने कौन चला गया ? बेरी आयोग ने माना है, साफ कहा है कि इस बारे में जनता पर आरोप लगाना बिल्कुल झूंठी बात है। जनता ने कोई आग नहीं लगाई अपनी तरफ से इसे उसने अनट्रू कहा है। पर पुलिस को दोषी न मान सकने की उनकी राय से मेरी सहमति नहीं है। आपके साथ तो बहुत मुलायमियत बरती है। पहले पहले आप कठघरे में खड़े थे। लापरवाह थी पुलिस। पुलिस की गलती थी और कोई तर्क हो नहीं सकता। बेरी सा. ने कहा है पर मैं यह नहीं कह सकता कि पुलिस वालों ने ही लूट की और आग लगाई। बचाया है आपको, जितना बचाया जा सकता है। आखिर इस सारी साजिश में आप लगे हुए थे और यह कब शुरू हुई यह भी बताता हूं।

तीन तारीख को जिस दिन राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि हमें तो किसी तरह से आज फैसला नहीं करना है। कल फैसला करना है। वह क्यों टाला गया। फैसला केवल इसलिये टाला गया कि राजा मान ने कहा था कि निष्पक्षता से काम करना। इससे उनके दिमाग का सन्तुलन बिगड गया। राज्यपाल महोदय को कहा कि निष्पक्षता से काम करना है। अभी मुख्य सचेतक कह रहे थे जस्टिस बेरी ने पक्षपात से काम किया है। इसलिये विरोधी दलों की इस तरह की बात आज सदन में कही जा रही है। कांग्रेस के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आखिर तीन तारीख को कामराज का टेलीफोन नहीं आया तब तक फैसला नहीं करूंगा। बाद में कामराज का टेलीफोन आ जाता है, सुखाडिया साहब को बुला लिया जाता है। बुढापे में हरिभाऊजी कह गये वह तो ठीक है ही लेकिन माथुर साहब से पूछना चाहता हूं गोली चलाने के बाद, हत्या करने के बाद और खून खराबी होने के बाद आपके मुख्य मंत्रीजी की बस की बात नहीं रही तो आप कैसे पहुंचे भरतपुर। कौनसी जरूरत पडी थी पत्थर से सिर टकराने की ? कहा गया कि संसोपा का दिमाग खराब है लेकिन मैं कहता हूं एक बात याद रखें कि हिन्दुस्तान की राज-नीति में कोई सिद्धान्त की बात चलती है तो वह केवल संसोपा की। 67 से पहले कह दिया था किसी भी हालत में कांग्रेस को गद्दी पर मत आने दो चाहे राज्य हो या केन्द्र हो तभी इस सिद्धान्तहीन राजनीति का अन्त हो सकता है। ये किसी सिद्धान्त के प्रवर्तक नहीं हैं। वित्त मंत्रीजी को कौनसी जरूरत पड गई थी पत्थर से सिर टकराने की ? भरतपुर में संसोपा के नेता श्री राम किशनजी को कहा भरतपुर के महाराजा को लावो, कौनसे महाराजा को - राज बहादुरजी को जिन्हें हमने पालियामेन्ट में हराया है, उन्हें लेकर आये और कहा कि अगर आपका असर है तो संसोपा वालों को समझावो हमारे साथ आयें और सरकार बनायें। यह इनका कौनसा कार्यक्रम था ? उन्होंने कहा कि 41

(श्री नत्थीसिंह)
सूत्री जो संसोपा ने दिया वह संविद ने नहीं माना। उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम माना है–इन प्रतिक्रियावादियों में जाकर नहीं बैठना है, हम पूरा मान लेंगे पर संसोपा का तो एक ही जवाब था कि वे तो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में, राज्य में कांग्रेस की हुकूमत नहीं रहे, इस मुद्दे का क्या होगा ? तो यह पत्थर से सिर टकराने की साजिश नहीं थी तो और क्या थी ? इस साजिश का क्या परिणाम रहा उनको लाल झंडे दिखा दिये गये। फिर आपकी साजिश से गवर्नर से लिखवा दिया कि इस विधान सभा को मोअत्तिल करिये। यह इसी साजिश का परिणाम है। इस बेरी आयोग ने केवल यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के केस को झूठा माना है जिसको बार बार गिरधारी लालजी व्यास कह रहे थे वहां पर जूलूस निकाला गया बहुत सारे शब्दों में जस्टिस बेरी ने कहा कोई जूलूस नहीं निकला, जौहरी बाजार में निर्दोष लोगों की हत्या की गई है लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह कहा यह गोली कान्ड क्या है–इसको राज्य के शब्दों में बताया कि यह सारा का सारा गोली कान्ड विंडिक्टिव है। बदले की भावना है। यह आयोग ने दर्ज किया है इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिये हो नहीं सकती। जिस जनता के नाम राज्य करने की बात है, जिस जनता के सेवक होने की बात कहते हैं–उनके ऊपर अन्धाधुन्ध रूप से गोली चलाई जाय। निर्दोष लोगों की हत्या की जाय। मुख्य सचेतक फरमा रहे थे कि कभी भी निर्दोष आदमियों का खून नहीं होता है। हमेशा उत्पात करने वालों का, विद्रोह करने वालों का और रॉयटर्स का खून होता है। जिनका नाम बताया गया है 14-14 वर्ष के बच्चे जिनकी आपने हत्या की है जिनके खून से सनी कुर्सी पर आप बैठे हैं। क्या उन्होंने जुलूस निकालने की पहल की है ? सीधे रास्ते अपने काम पर जाते हुए निर्दोष व्यक्तियों को गोली से भूनने के बाद कहते हैं कि हमने तो रॉयटर्स पर गोली चला कर लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन किया है। अभी व्यासजी फरमा रहे थे हम तो हर हालत में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने वाली पुलिस की रक्षा करते हैं और रक्षा होनी चाहिये– पुलिस की रक्षा नहीं होगी तो लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं रहेगा।

एक बड़ा अहम सवाल है। 67 में अखबारों में यह स्थिति आई– उस स्थिति की तरफ ध्यान करें–सवा करोड लोग पूरे हिन्दुस्तान में बेरोजगार घूमते हैं। जुलूस बना कर ले जाते हैं और कहते हैं हमें रोटी रोजी दो-भुखमरी फैली हुई है राजस्थान में सबसे ज्यादा। राजस्थान में अकाल से लोग मरते हैं लेकिन सरकार कहती है बीमारी से मरे हैं। वे अपनी मांगों के लिये संगठित रूप से विरोध प्रदर्शन करें– सरकारी कार्यालयों पर जाकर, बाजार में जाकर उनके हकों को आप सुनते नहीं फिर आप कहते हैं प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ गोली चलायें और गोली चलाने के बाद पुलिस को कुछ मत कहें क्योंकि उसने अमन कायम कर रखा है।

बेरी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें है कि अगर 6 तारीख को घटना हुई है तो वह चान्दपोल में हुई है और 7 तारीख को जब जरूरत नहीं थी पुलिस का बाजार में सुबह से वातावरण बना हुआ था। धारा 144 हटी तो सोचा गिरफ्तार किये हुए लोग छूट जायेंगे यह क्या हालत थी ? पुलिस के लोगों से चाहे वह आर. ए. सी. के हों, मध्य

(श्री नत्थीसिंह)

प्रदेश के हों, यू.पी. के हों, सबको बुलाकर राजस्थान में जयपुर के बाजार को ढक दिया गया। यह ठीक साजिश थी यहां पर बेरी आयोग ने, जैसा भाई अग्रवाल जी ने कहा, माननीय सदस्यों ने कहा कि सुखाडिया साहब को बुलाया जाना चाहिये था, सम्पूर्णानन्द जी को बुलाया जाना चाहिये था, उनको बुलाकर सीधे पूछने का मौका दिया जाना चाहिये था आखिर आपने यह कार्यवाही कैसे की? उन्हें बुलाया नहीं। बेरी साहब कहते हैं किसी तरह का जुलूस नहीं निकला, पुलिस का सामना नहीं किया गया। पुलिस को जनता की तरफ से खतरा नहीं है जनता में हिंसा और उत्पात नहीं है और यह सारा का सारा विन्डिक्टिव है। 20 मिनट गोली नहीं चली बल्कि 3 घंटे तक गोली चली है। आपके पास 21 आइ. पी. एस. ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व 8 मजिस्ट्रेट थे आई. जी. मौजूद थे, 6 टीयर गैस की मशीनें थीं इन सबके होते हुए जो कोतवाली में बैठे हुये थे उनको जोहरी बाजार आने में तीन घंटे लगे। तीन घंटे तक गोलियां चलती रहीं और कोई अधिकारी नहीं आया यह साजिश नहीं है तो और क्या है? कहते हैं सीनियर ऑफिसर कोई सुपरवाईजरी करने को नहीं था। वे तो शुक्र गुजार कर रहे थे, इशारों पर गोलियां चला दी गई राज को कायम रखने के लिये इसको बेरी आयोग भी मानता है? और इसलिए कहते हैं कि वह तो पक्षपाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे जस्टिस बेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुखाडिया जी साजिश कर रहे थे इस बात की कि अपना राज्य कायम करें इसलिए 7 तारीख को गोली चलाई जाये ऐसी बात मुझे जचती नहीं। क्यों नहीं जंचती? इसलिए नहीं जचती कि वह 7 तारीख को कैसे हिम्मत हार सकते थे। दिन बकाया थे इसलिए 7 तारीख को हिम्मत नहीं हार सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनको बुलाया नहीं गया, उनसे पूछने का मौका नहीं दिया गया तो क्या उनको गैब आ गया था? सीधी बात थी सुखाडिया जी चाहते थे कि सी.यू के जरिये सारे आतंक के वातावरण में 89 लोग जो उनके जीतकर आये थे। राजस्थान की जनता ने 14 वर्ष के सुखाडिया शासन के खिलाफ यह फैसला दिया था कि 14 वर्ष में राजस्थान में भ्रष्टाचार बढा है, 14 वर्ष में राजस्थान में कुनबापरस्ती बढी है, 14 वर्ष में सुखाडिया के शासन में अकाल पडे हैं, राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी बढी है इसलिए सारे साधनों से सम्पन्न होते हुए भारी तादाद में सारे साधन होते हुए और मुझे दुख है इस बात का कि विरोधी दल में पूरी तरह से एका नहीं होते हुए भी राजस्थान की जनता ने फैसला दिया कि हम राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत नहीं चाहते और उस जनता के फैसले को बदलने के लिए सुखाडिया जी ने दो काम किये। एक तो धन की थैलियों के मुंह खोल दिये और दूसरी ओर बन्दूकों के मुंह खोल दिये। जनता मरे तो मरे कोई चिन्ता की बात नहीं है मेरा राज्य कायम रहना चाहिए। मुझे याद आता है एक कांग्रेस के मंत्री जिनका नाम नहीं लूंगा जो मेरे भी मित्र हैं और उनके भी मित्र हैं। जब वह गये। अभी हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि यह कह दें कि क्या इनका यह मत नहीं था कि इस सूरत में हमको विरोधी पक्ष में जाकर बैठना चाहिए।

(श्री नत्थीसिंह)

लेकिन इनकी बात कौन चलने देता है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल की संविद सरकार 6 महीने को बन गयी तो यह बडे शैतान लोग हैं—आते ही भ्रष्टाचार आयोग बैठायेंगे, मंत्रियों की जांच करायेंगे और इतने बदमाश हैं कि 6 महीने में सजा दिलाकर चले जायेंगे इसलिए इनको नहीं आने देना चाहिए। चाहे यहां पर राष्ट्रपति शासन हो, चाहे विधान सभा को मुअत्तिल किया जाये कोई भी बात हो लेकिन विरोधियों को नहीं आने देना चाहिए और इनकी हुकूमत नहीं बनने दी जायेगी। यह साजिश साफ तौर से थी। जस्टिस बेरी ने बडे कयास से काम लिया है। सारी रिपोर्ट उनकी तथ्यों पर आधारित है। जितने गवाह लिये हैं उनके आधार पर फैसला लिया है कि यहां पर हिंसा की गयी, खून किया गया। मारे गये आदमी। उन्होंने कहा है कि 9 आदमी मारे गये सरकार कहती है कि 9 आदमी मारे लेकिन मेरा खयाल होता है कि अधिक भी हो सकते हैं। मैं साफ तौर से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कयास है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब 9 ही मरे थे–आप तो बडे दयालु और जनता के बडे भक्त हैं तो क्या आवश्यकता थी कि आपने 9 लाशों को जला दिया चुपचाप और न उनको नहलाया और न उनको कफन ही दिया। मेरी सूचना है बेरी आयोग की रिपोर्ट में नहीं आई बात कि वहां श्मशान के लोगों को पाबन्द किया गया कि तुम्हें गवाही के लिए नहीं जाना है। जब 18 लाशें फूंकी जा रही थीं उसमें एक लाश सिसक रही थी। वह आदमी मरा नहीं था, उसको हिचकियां आ रहीं थीं, लेकिन उसको भी जलाकर छोडकर चले गये। इस तरह का नृशंस काम किया और आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। वहां एक मंत्री भी मौजूद था।

बेरी आयोग ने एक फाइन्डिग दी कि मोहनलाल जी सुखाडिया ने साजिश नहीं की इसको मैं नहीं मान सकता। इसलिए नहीं मान सकता कि वह तो राजनीति के मंजे हुए खिलाडी हैं इसलिए 7 तारीख को कैसे हिम्मत हारते? हम नहीं समझते थे। 14 वर्षों से हुकूमत में रहने वाले आदमी जब हुकूमत से एक बार धक्का खाते हैं तो अजमेर से किसी पान वाले को बुलाते हैं, जोधपुर से किसी दूसरे आदमी को बुलाते हैं और तीसरे आदमी को बुलाते हैं, एक सी.आई.डी. राज्य का था। एक सी.आई.डी. की दुकान गवर्नमेन्ट होस्टल में सब जगह छाई हुई थी। शक हमारे ऊपर नहीं था। शक था इधर के बैठने वालों पर। यह कहीं विरोधियों में न चले जायें इसलिए सी.आई.डी. लगाई हुई थी। एक एक के पीछे सी.आई.डी. लगी हुई थी हमारे जोशी जी सिर हिला रहे हैं। आप इस तरह से राज्य मंत्री कैसे होते? वह, जल्दी ही स्टेप लिया। सुखाडिया जी राज्य में अकाल पडा, मंहगाई बढी लेकिन 37 की फौज बना दी ताकि कहीं छुडा नहीं जायें भाग नहीं जायें। किस की कीमत क्या है और किस की कीमत 1100 की है और किस की ज्यादा है यह सुखाडिया जो न माप दण्ड निर्धारित कर लिया है····

श्री बी. एन. जोशी : डिप्टी स्पीकर सर, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य अपने स्तर से ही सब को नापते हैं।

श्री नत्थीसिंह : मैंने स्तर सुखाडियाजी का पढा है और 1100

(श्री नत्थीसिंह)

और वही मापदण्ड नापा है और वह पट्टा आपके टांक दिया है। जयपुर डिवीजन के नाते आपको शर्म आनी चाहिए····

श्री **बी. एन. जोशी** : सत्ता के भूखे भेडियों ने लोगों को बहकाया और बरगलाया। उसकी सारी जिम्मेदारी आप और महारानी गायत्री देवी पर है।

श्री **नत्थीसिंह** : आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह जिम्मेदारी हम पर ही है क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में थी और हमने कहा था कि गोली चलाओ और इसलिये निरीह बच्चों को मार दो ···

श्री **बी. एन. जोशी** : आपकी सत्ता की भूख की वजह से ऐसा हुआ।

श्री **नत्थीसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके मुंह खून लग जाता है वह मुश्किल से ही उससे छूटता है। नम्बर बहुत मुश्किल से आया है इसलिये ऐसा कह रहे हैं। आप कह रहे थे यंगस्टर्स तो कोई यंग स्टर्स नहीं हैं। चाहे कोई सीलिंग के नाम पर बोले, चाहे कानून के नाम पर बोले लेकिन जब नकेल खींचने वाला आदमी बैठा है सिविल लाइन्स में उसके सामने सब के सब नतमस्तक हैं। इसलिये कि उन्होंने सब को जाल में फंसा रखा है। इसलिये राजस्थान की हालत यह है। मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके जो बॉस है वित्त मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर उन्होंने बजट भाषण पढा था यहां और बजट भाषण के दौरान, उपाध्यक्ष महोदय, बडे लहजे के साथ उन्होंने गांधी शताब्दी की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि गांधी की शताब्दी हम मना रहे हैं इसलिये मैला ढोने वालों के लिये कुछ करना चाहिए··

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : राज्य मंत्री बना दिया इससे ज्यादा शऊर नहीं है।

श्री **नत्थीसिंह** ···बिजली की लाइन पहुंचानी चाहिये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गांधीजी केवल इन्हीं बातों में मशगूल थे? क्या गांधीजी ने कहा था कि एक तरफ तो जुआ खेलो और दूसरी जगह शराब पिलाओ और मेरा नाम लेते जाओ तुम्हारा बेडा पार हो जायेगा? लेकिन गांधीजी ने इस पुलिस पर, इसके आचरण पर स्वराज्य आने के बाद पुलिस का आचरण क्या होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस किस तरह से काम करें, गांधीजी इस बात पर भी देश को मार्ग दर्शन करने में नहीं चूके थे, लेकिन मैं गांधीजी के इन चेलों से पूछना चाहता हूं कि आपने वह बात याद रखी? अगर याद नहीं रखी तो गांधीजी के वह शब्द मैं आपको पढकर सुना देना चाहता हूं।

गांधीजी कहते हैं :—

"मेरे मन की पुलिस वर्तमान पुलिस से सर्वथा भिन्न होनी चाहिए। पुलिस के कर्मचारी अहिंसा के पुजारी होंगे। वे जन-सेवक होंगे, जनता के मालिक नहीं। जनता भी किसी पुलिस को तत्काल सहायता देगी और आपसी सहयोग से घटनाएं भी कम होती जायेंगी। पुलिस के हाथ में किसी न किसी प्रकार के हथियार तो होंगे पर उनका प्रयोग यदाकदा ही होगा। वास्तव में पुलिस के लोग सुधारक होंगे। पुलिस का कार्य डाकुओं और ठगों के विरुद्ध ही चलेगा।"

(श्री नत्थीसिंह)

यह गांधीजी ने कहा था यही बेरी साहब ने माना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी यह मानते हैं क्या ? आपके मुख्य सचेतक, ठेठ हिन्दी में कांग्रेस पार्टी के सबसे बडे चाबुक, कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि 9 आदमी मार दिये तो चिन्ता की बात नहीं पहले पुलिस की रक्षा करना चाहिए। यह गांधीजी के प्रति आपकी निष्ठा ह ! गांधीजी यह कह गये हैं और गांधीजी शताब्दी में आप क्या कर रहे हैं ? गांधीजी की दुहाई देते हुए हर काम में उनके विपरीत आचरण करती है, ऐसी सरकार को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए ।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

यही नहीं गांधी शताब्दी में बेरी साहब कह गये कि विन्डिक्टिव है कि वार्स्पीरेटर नहीं बताया, हमें बताया है कि बदला लेने वाली भावना से नहीं किया था, हमें षड्यंत्रकारी नहीं कहा है। अगर आप गांधी शताब्दी मनाना चाहते हैं तो गांधीजी के विचारों को याद करके इस खूनी गद्दी से उतर जांय--माननीय सतीशजी कह रहे थे कि बर्खास्त कर दो, लेकिन उनको बर्खास्त कौन करेगा ? ऊपर से नीचे तक सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ प्रदेशों को छोड़कर जहां कि दूसरी तरह की सरकारें हैं। इनमें कभी हुकूमत छोडने की हिम्मत नहीं है । बर्खास्त करने में मैं विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि बर्खास्त करने वाले होते तो जब हम दिल्ली में मौजूद थे तो उनको उनकी आंखों के सामने गिनाये थे और उसके बाद सम्पूर्णानन्दजी की चिट्ठी चली गई और यहां पर राष्ट्रपति शासन कायम हुआ और सुखाड़ियाजी को लाकर गद्दी पर बिठाया गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि गिरधारीलालजी कह रहे थे कि संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी का दिमाग खराब है । हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे पास आकर नहीं बैठते हैं, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में गोली कैसे चले इसको सबसे पहले संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब कि प्रजा-समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और केरल-कोचीन में गोली चली थी तो डाक्टर लोहिया ने कहा था, वे जेल में बन्द थे, और जब छूटे तो कहा था कि इस हुकूमत को स्तीफा दे देना चाहिए, और स्तीफा इसलिये दे देना चाहिए कि इसको कोई हक नहीं है कि इस तरह से जनता की सेवक होने का दम भरती है, जिसे जनता की सरकार कहते हैं वह जनता पर गोली चलाये। उन्होंने कहा और इस पर भारी विवाद हुआ। इस बात पर पार्टी टूट गई। पार्टी के टुकडे हुए लेकिन संयुक्त समाजवादी पार्टी ने अपने सिद्धान्त नहीं छोडे । संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी की गवर्नमेन्ट का सवाल है तो वह गवर्नमेन्ट को छोड सकती है, पार्टी को तोड सकती है लेकिन क्या कांग्रेस हुकूमत गांधी शताब्दि के दिनों में गांधीजी के वचनों को निभाने के कारण अपने खून को धोने के लिये इस हुकूमत को छोड सकती है ? इतनी हिम्मत आपकी नहीं है । अगर हिम्मत नहीं आती है तो हिन्दुस्तान में जनतन्त्र को खत्म करने वाले आप होंगे । सिद्धान्तहीनता जनतन्त्र के लिये सबसे बडी चुनौती है ।

जौहरी बाजार में 5 हजार आदमियों ने जुलूस निकाला बडा गजब हो गया ! बेरी

(श्री नत्थीसिंह)

साहब मानते नहीं हैं फिर भी कहते जाते हैं, लेकिन फ्रान्स में क्या हुआ था ? अभी अभी विद्यार्थियों और मजदूरों ने विद्रोह का झंडा ऊंचा किया था और वहां के शासक थे वे यहां की तरह से गांधीजी के अनुयायी नहीं थे, एक फोजी आदमी था, लेकिन इतनी बडी क्रान्ति होने के बाद, इतना बडा विद्रोह होने के बाद, गवर्नमेन्ट की उथल-पुथल होने के बाद भी अपने गांव वह गये, लेकिन सारा विद्रोह हो गया, बगावत हो गई और सारी उथल-पुथल हो गई, लेकिन पूरे फ्रान्स में केवल 3 आदमी मरे । आप इधर-उधर देखें तो सही और देशों में देखें । आज तक यूरोप में अनेक मुल्क ऐसे मिलेंगे जहां पर सिद्धान्त के आधार पर जनता पर गोली चलाना निषिद्ध मानते हैं । आप कहते हैं कि हमारे हथियार छीन लिये, लेकिन 1919 में आस्ट्रिया में जब जनता उठकर खडी हुई थी, जनता ने अपनी बगावत की थी और पुलिस के चार आदमी कत्ल कर दिये गये थे तब भी आस्ट्रिया की हुकूमत ने एक भी गोली नहीं चलाई थी, क्योंकि वे जनतन्त्र में आस्था रखने वाले हैं । आपको यह मानना पडेगा कि आखिर हिन्दुस्तान के मालिक कौन हैं ? हिन्दुस्तान के मालिक इन्दिराजी नहीं हैं, हिन्दुस्तान के मालिक सुखाडियाजी नहीं हैं आपके मालिक हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता के मालिक नहीं हैं। आप जनता पर अन्धाधुन्ध रूप से गोली चलायें और कहें कि मेरा दिल उखड रहा है हुकूमत नहीं बना सकता, लेकिन बाजार से खरीद फरोख्त करके चाहे वह कोटा की तरफ से हाथ पड जाय तब आपका दिल ठीक होगया और हुकूमत बनाली । गांधीजी की परम्परा अच्छी निभा रहे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपके पडोसी पाकिस्तान में कितना बडा विद्रोह हो रहा है लेकिन कितनी देर तक सन्तोष रखा। वह तो एक डिक्टेटर है, एक फौजी आदमी है। गोली वहां चली जब कि इन्तिहा हो गई। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग कौन हैं जोकि अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, जो अहिंसा की फिलॉसफी में से निकलकर नहीं आये हैं, जिन्होंने अहिंसा का पाठ नहीं सीखा है आज कोई वे यह नहीं कहते हैं कि गांधीजी के चरण-चिन्हों पर चलकर हमने अंग्रेजों की हुकूमत को बदल दिया है, यह तो वे नहीं कहते, लेकिन आज वे मस्तिष्क का संतुलन नहीं खोते, और आज आप गांधीजी के अनुयायी बनते हैं और गांधीजी का नाम लेकर हुकूमत चलाना चाहते हैं वे बिना बात के केवल इसलिए कि हमारी कुर्सी बनी रहे और आज 14 वर्षों तक जो कमाया खाया है, कुछ नहीं कमाते थे और हमारी तरह से थैला लेकर हमारे साथ घूमते थे वे आज करोडपति बन गये तो उस करोड के धन को आंच नहीं आजाय, उस पर जांच नहीं बैठ जाय इसलिए जनता मरे तो मरे, जनता पर गोलियां चलें तो चलें, हमें इस बात का ध्यान नहीं है। गोलियां जनता पर चल गई लेकिन गांधीजी का नाम लेते हुए, गांधी शताब्दि मनाते हुए चलेंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आज जिस कदर से इस देश में भुखमरी, बेरोजगारी और मंहगाई है, सारे का सारा समाज जैसे त्रस्त हो, भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो

(श्री नत्थीसिंह)

संविधान को अपने मतलब के लिये ताक में उठाकर रख देते हैं चाहे वह राजस्थान में सम्पूर्णानन्द के जरिये करें, चाहे बंगाल में धर्मवीर के जरिये करें, लेकिन आपका मतलब पड़ता है तो संविधान को उठाकर रख देते हैं। आज इस देश की जनता को हक हासिल नहीं है। आज उसके लिये सीधे तौर से साफ तौर से जो हुकुमत पर बैठे हैं, जो उनके नुमायन्दे हैं उनसे जवाब तलब करेगी कि आखिर इस तरह की अव्यवस्था इस देश में क्यों कर रखी है? क्या कारण है? जब इस तरह का मजमा बनाकर जायें, जब इस तरह की बात करें तब क्या उनका जवाब गोलियों से देना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप जन-प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, आप प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि जनता के साथ आप किस तरह से डील विध करना चाहते हैं? इसका जो होना है वह आज या कल में हो गया, नहीं तो मैं वैस्ट बंगाल की याद दिलाना चाहता हूं जहां कि आपने बेईमानी की थी तो वहां पर आपकी क्या हालत हुई? आपकी पार्टी में एक आदमी है जो चाहे कितना ही खराब हो उसने संविधान की अवहेलना नहीं की चन्द्रभानु गुप्ता, तो जनता न उसकी पीठ पर हाथ रखा। हिन्दुस्तान की जनता सोई नहीं है। असेम्बली में जिस वक्त वे अल्पमत में रह गये तो फौरन उन्होंने इस्तिफा दे दिया सुखाडिया की तरह उनके राइवल सम्पूर्णानन्द गवर्नर बन बैठे उनकी तरह से कुर्सी से चिपके रहना जरूरी नहीं समझ इसलिये आज कुछ बढ गये हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बंगाल में जहां आप चिपके, वहां गये। बिहार में भी तीन-चार दिन में जा रहे हैं, शायद कल ही चले जायें। पंजाब में वही हाल रहा। सरदार गुरनामसिंह कहते हैं कि दो दिन का टाईम दो मैं फहरिस्त दूंगा लेकिन आप इन्तजार नहीं कर सकते। आप को तो हुकूमत को हाथ में लेना ही है। यही तो आपकी एक मान्यता है। हर हालत में आपको हुकूमत हाथ में लेना है। यही आप की मानवता की जिम्मेदारी है। इसीलिये आप ने 7 मार्च को जौहरी बाजार को खून से रंग दिया। मैं पूछना चाहता हूं अगर आप में हिम्मत थी तो जब सुखाडिया साहब के दरवाजे पर जनता जा रही थी और आप अपने को जनता का नेता मानते हैं तो क्यों नहीं जनता के सामने आये? आकर क्यों नहीं जनता के सामने खडे हुए? वहां तो कहते हैं कि मुख्य मन्त्री की कोठी पर मारने को आते थे। इसलिये आपने चाहा कि हुकूमत आपके हाथ में होगी ..

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : यदि बहुमत आप के साथ था तो 14 तारीख को विधान सभा के प्रांगण में क्यों नहीं आये?

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार**: आप डर गये तो आपने गोली काण्ड करवाया।

श्री **विश्वम्बरनाथ जोशी** : आप विधान सभा में आते। गलियों में आदमियों को भडकाने की कोशिश नहीं करते।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: व्यवस्था का प्रश्न ह, उपाध्यक्ष महोदय। हर व्यक्ति का बैठने का स्थान नियत किया गया है। पहले तो इनको, जोशी जी और हीरालालजी,

Page No 120

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जो ऊपर बैठे हैं, अपनी कुर्सी पर जाने का आदेश दिया जाय ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : It is not for you.

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामकिशन : इससे उपाध्यक्ष महोदय, अव्यवस्था पैदा होती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल व्यवस्था का सवाल है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : There cannot be any canvassing against the ruling. The ruling has been given, so please sit down.

श्री विजयसिंह : और अव्यवस्था क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई थोड़े समय के लिये अपनी कुर्सी छोड कर कहीं बैठ जाये तो तो व्यवस्था का प्रश्न नही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं व्यवस्था के लिये प्रश्न उठा रहा हूं । मजाक के लिए नहीं उठा रहा हूं । मजाक के लिए इनकी शकल ही काफी है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मजाक के लिए तो आपकी शकल भी कम नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आप की तरह यों यों (हिलकर दिखाना) नहीं करता हूं । ××की तरह उछल रहे हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप ये दांत क्यों निकालते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आप की तरह नहीं हूं । एग्रीकल्चर लेंड पर मकान बना लेते हैं ।

××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से हटाये गये ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप अपने को भूल रहे है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव जीतने के लिये रामकरण जोशी के पैर पकड लो । और...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : महारानी गायत्री देवी ×××× ? यहां बैठकर इस प्रकार की बातें करते हैं ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं तुम्हारे जैसों के मुंह नहीं लगता हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : यह जो डिस्कशन चल रहा है उपाध्यक्ष महोदय, इसका बेरी कमीशन की रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेलगाम होकर बोलते हैं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने जो शब्द कहे हैं, उनको निकाल दिया जाये । जो इन्होंने महारानी को ×××× कहा है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं ने यह नहीं कहा है । मैंने तो यह कहा है, महारानी की ×××× विधान सभा में आकर इस तरह की बातें करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ये शब्द एक्सपंज किये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप भी महारानी जी के लिए ...

××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से हटाये गये ।

श्री **रामकिशन** : एक महिला की मर्यादा का सवाल है। महारानी गायत्री देवी से मुझे कोई मतलब नहीं।

श्री **नत्थीसिंह** : मैं जोशी जी के वादे को समझता हूं। आप इनको ज्यादा नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं है। आप पीछे से आगे आकर बैठ गये हैं। आप में हिम्मत हो तो हम वहां भी बिठा सकते हैं।

मैं कह रहा था आज देश के अन्दर हमें इस बात का फैसला करना होगा....

श्री **उपाध्यक्ष**: और शब्दों के साथXX शब्द भी निकाल दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : ये सारा बिल्कुल एक्सपंज होना चाहिए।

श्री **उपाध्यक्ष** : अब ऐसे शब्द प्रयोग न करें।

समय समाप्त हो रहा है।

श्री **दुर्गालाल बाढदार** : यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह तो बताया जाये।

श्री **नत्थीसिंह** : हम को यह फैसला करना ही होगा। जब हमारे मुख्य सचेतक हमें यह सुनाये जा रहे थ। हम अपना दिमाग सही सलामत रखें। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वह अपने दिमाग की मालिश करायें। देश की जनता को यह हक है कि वह अपने हकों के लिए प्रदर्शन करे। अपने हकों को महसूस करे। राजस्थान कि जनता ने यह फैसला किया कि कांग्रेस ने 14 साल शासन किया। अब कांग्रेस को हटा दिया जाये। क्या जनता को यह हक नहीं है कि वह अपनी अवाज बुलन्द करे? अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, बेरी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके मतलब को समझें। पं. जवाहर लाल नेहरू जिन्हें आप नया खुदा मानते हैं, मैं उनकी याद दिलाना चाहता हूं। 1942 में उन्होंने कहा था, जब 42 में बडा आन्दोलन चला था। उस आन्दोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थीं। उन्होंने उसको बर्बरता पूर्ण कहा था। अंग्रेजों ने सन् 1938 से लेकर 43 तक जिसमें 1942 का आन्दोलन भी शामिल है केवल 139 बार गोली चलाई थी। सात साल के पीरियड में अंग्रेजों ने 139 बार गोली चलाई थी। लेकिन नेहरू जी के पीरियड में 43 से 56 तक 1107 बार गोली चली है दुगुनी से भी ज्यादा संख्या हो गई है। अंग्रेजों ने गोली चलाई उन इन्सानों पर जो कि विदेशी दासता को उखाड फैंकना चाहते थे। उस अंग्रेजों की गोली को बर्बरता पूर्ण कहा गया। जब हमारी सरकार जो कि जनता के वोटों पर बनी है, वह सरकार अंधाधुन्ध गोली चलाए, उपाध्यक्ष महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं होता तो गोली काण्ड की इन्क्वायरी के लिए हाई कोर्ट का जज तो क्या यह सरकार किसी ए.डी.एम. को भी नहीं बैठाती। अब आप उसके नतीजे से कतराते क्यों हैं? अगर जनतन्त्र में रहना है तो इन बातों का मुकाबला करना होगा जमाना बदल रहा है। राजस्थान में भी हो सकता है सन् 72 से पहले ही बदल जाये। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी नृशंसता पूर्ण कार्य किया गया है, 7 मार्च को जघन्य कार्य किया है उसके लिए इन्हें गद्दी छोड देनी चाहिये। मुझे ऐसी आशंका है कि

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री नत्थीसिंह)

ये सत्ता के भूखे भेडिये कुर्सी छोडने को राजी नहीं होंगे। तो मैं इधर बैठने वाले भाइयों को कहूंगा कि वह जनता को साथ देने के लिये जागृत करें। वह मास मूवमेंट से होगा। हम कहते हैं, हमारी उसमें पूरी आस्था है। अगर आप गद्दी छोडेंगे नहीं तो आपका घेराव किया जायगा, आपको निकलने नहीं दिया जावेगा, आपको मजबूर किया जायगा कि राजस्थान में खूनियों की सरकार नहीं रहे। यह निश्चित रूप से हमारा पक्का इरादा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार जनतन्त्र की स्वस्थ और सही तौर पर अगर आप मर्यादाएं बनाना चाहते हैं तो यह नहीं सोचें कि आप शासन पक्ष में हैं। आज आप शासन पक्ष में जरूर हैं लेकिन अगर आपने यह सोचा कि आप ही इस गद्दी के अधिकारी हैं, तो जैसे आप बार बार रामानन्दजी की तरफ इशारा कर रहे थे, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जनतन्त्र ने आज की दुनियां के दिमाग को बदल दिया है। ज्योति बसु, जिसके लिए हम कहते थे, जनतन्त्र के आधार पर इस देश में क्रांति लाने में विश्वास नहीं करते हैं, आज वही कहते हैं कि जनता की शक्ति से हम क्रांति ला सकते हैं। कितना बडा परिवर्तन किया है इस देश की जनता के बल ने। आगे उस बल पर कहना चाहता हूं कि जो आप यह सोचते हैं कि आपके कुछ मुसाहिब फंस नहीं जायं, इसलिए आपने उनको तरक्कियां दे दीं। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, सतीशजी ने सारी बातें बतला दी हैं, तरक्कियां आपने दी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद तो कम से कम ऐसे लोगों को घर बैठा दें, मोअत्तिल कर दें, और उनके खिलाफ, एक एक के खिलाफ आप मुकदमें चलायें, जब कहीं जनता यह मान पायेगी कि कहीं न कहीं थोडी क्रांति की भावना कांग्रेस क लोगों में कुछ बकाया रह गयी है।

वैसे तो कांग्रेस के सिद्धान्त, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझसे ज्यादा जानते है। मैंने तो बहुत दिन हो गये, कांग्रेस के सिद्धान्तों का सक्रिय साथ छोड दिया और पढना भी। लेकिन इनकी अर्थ-नीति क्या है, इनका अर्थ शास्त्र क्या है? इनका कहना है, मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी-समाजवाद और पूंजीवाद की मिली हुई समाजवाद का नारा होना चाहिए और पूंजीवाद को प्रश्रय होना चाहिए। यह कांग्रेस की मिक्स्ड इकोनॉमी का सिद्धान्त है। और इसलिए कांग्रेस की बाडी भी मिक्स्ड होनी चाहिए। कांग्रेस मिक्स्ड हो गई है। 1942 में जिनके दिल में जजबात थे, और जिन्होंने कुर्बानियां की थीं, उनके सिर पर आज वह लोग बैठे हुए है जिन्होंने उस समय डण्डे चलाये थे और जिन्होंने लोगों को जेलों में ठूंस दिया था। जो महारावल साहब की और इशारा करके कहते है, आज वे है नहीं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाकर बैठा दिया है, जो उनकी बगल में बैठे हुए रहते हैं, नवाब साहब। वह मंत्री पद इसलिये बैठा पाये हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बडी भीड है। लेकिन आज एक कांग्रेस के उम्मीदवार चिल्ला रहे थे, वह कराह रहे थे कि मुझे केवल पांचसौ वोटों से हरा कर, जिसने सदा डण्डे चलाये, उसको डिप्टी मिनिस्टर बना कर बैठा दिया है। आज कांग्रेस की यह हालत है! आज कांग्रेस के लोगों पर अवसरवादिता छा गई है। अब इस अवसरवादिता के ऊपर

(श्री नत्थीसिंह)

आप मुलम्मा नहीं चढा पायेंगे। 1972 के अन्दर सब प्रान्तों के अन्दर विरोधी पक्ष में कांग्रेस बैठने वाली है। आप यह निश्चित मानिये, न कांग्रेस दिल्ली में शासन में बैठेगी और न और प्रदेशों में जिस समय सब राज्यों में विरोधी पक्ष में बैठेंगे तब आपको याद आयेगा कि पहले विरोधी पक्ष चिल्ला चिल्ला कर यह कहते थे कि गोली चलाने का निश्चित रूप से सिद्धान्त बनाना चाहिए, गोली कब चले। मैंने गांधीजी की बात आपको कही। अभी गिरधारीलालजी व्यास कह रहे थे कि राम मनोहर लोहिया एक बिगडी बुद्धि के थे, उनका बिगडा दिमाग था। वह दिमाग चला गया। लेकिन दिमाग तो आपका बिगडा है। राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी। वह बात कही थी कि हमें एक परम्परा डालनी है, एक सिद्धान्त तय करना है कि गवर्नमेंट जनता के ऊपर गोली का इस्तेमाल कब करे और इसी बात पर ट्रावनकोर–कोचीन में उन्होंने समाज वादी पार्टी की सरकार को स्तीफा देने को कहा और इसी आधार पर पार्टी तोड दी। आप यह नहीं कर सकते क्योंकि आप सिद्धान्तविहीन हैं। उन्होंने कहा था :

> जब तक भीड नर संहार पर न उतर आवे, वह नर संहार न करे या राज्य को व्यापक हिंसा द्वारा बदलने हेतु प्रयास न करे तब तक गोली का प्रयोग निषिद्ध रहना चाहिए क्योंकि यही सिद्धान्त न्यायालय के द्वारा व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिये जाने के आधार भी हैं।"

मैं पूछना चाहता हूं, कौनसे राज्य को पलटने के लिए जयपुर की जनता ने विद्रोह कर दिया था। वेरी साहब ने आपकी बात को झूंठ मान लिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसके बाद भी गोली आप अन्धाधुन्ध चलाना चाहते हैं। गिरधारीलालजी लोगों से कहे, कानून से मेरा वास्ता नहीं है। भोजन से उनकी लडाई रोज होती है क्योंकि उनका शरीर भारी भरकम है...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर): यह नहीं कहा कि कानून से वास्ता नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : यह कहा है। लेकिन भोजन से उनकी दोस्ती और लडाई दोनों चलती रहती है, इसका मुझे ज्ञान ज्यादा है। इसलिए उनके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। जोशीजी के भी मुश्किल से बात समझ में आयेगी, वह इसलिए नहीं आयेगी कि वह जामें में से निकल कर सही बात नहीं कहना चाहते हैं। वह कहते हैं, कैसे कह दिया कि रामकरण जोशी के साथ चले जायेंगे। वह उनकी छत्रछाया में रहे हैं, उनकी छत्रछाया में पले हैं, उनके साथ चले जायेंगे अगर यह आश्रय नहीं रहेगा। आप अपने बूढे बाप को जो आश्रय दिया करता था, भूल चुके हैं, इसलिए यह कहते हैं कि उनके साथ नहीं जायेंगे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त की, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बताया, कि वकालत उस शख्स ने की है जिसकी शरण में जाने के लिए आप लोग भागते फिरते हैं, वह विनोबा भावे हैं ...

श्री रामकिशन: उन्हें क्या समझा रहे हो इनकी बात ?

श्री नत्थीसिंह : इन्होंने कहा है गोली चलाने के सम्बन्ध में जो डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा उसके बारे में :

(श्री नत्थीसिंह)

"गांधी जी के बाद अहिंसा को इतने ऊंचे स्तर पर डा. लोहिया ने ही पहुंचाया है।"

यह बात आपके विनोबा भावे ने कही है जिनके भूमिदान, ग्रामदान को झट से मान लेते हैं, सर्वोदय को झट से मान लेते हैं ताकि आपके कुछ कार्यकर्ताओं को उसमें कुछ जगह मिल जाय, इमदाद मिल जाय। लेकिन अहिंसा के सम्बन्ध में वह कोई सैद्धान्तिक और राजनैतिक व्याख्या की बात कह दें तो आप कहेंगे, यह बूढा आदमी सठिया गया है। इसकी बात मत सुनों। यह बात आप कहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर जनतन्त्र को बचाना है, देश में सही परम्परायें कायम करनी हैं तो जनता के जो लोग हैं, उन जनता के लोगों के जीवन की सबसे ज्यादा रक्षा करने का दायित्व आपको लेना होगा।

आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिन्दुस्तान में या किसी देश में हुकूमत कब चल सकती है? वह तब चल सकती है जब हुकूमत में बैठे हुए आदमी का दिमाग बर्फ की तरह ठण्डा हो। अगर उसका दिमाग गरम रहा तो एक गर्मी तो सत्ता की ही बहुत होती है, उसके साथ साथ यदि दिमाग भी गरम हो गया तो वह केवल नुकसान करेगा, हिंसा करेगा, इसके सिवाय वह कुछ नहीं कर सकता। वह इन्सान नहीं रहेगा। वह हैवान बन जायगा। इसलिए अपने अन्दर आप हैवानियत मत आने दो। दूसरे देशों ने इस तरह की परम्परा डाली है, वहां पर जनता चाहे कितना ही उग्र प्रदर्शन करे, चाहे जितनी बडी भीड हो, लेकिन वह उस पर गोली नहीं चलायेंगे, उसको तितर-बितर करने के लिए वह हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज से बर्फ जैसा ठण्डा पानी छिडक कर जनता को तितर-बितर कर देंगे, लेकिन गोलियां नहीं चलायेंगे। लेकिन आप क्या यह करना चाहते हैं? आप कहेंगे कि हमारे पास हवाई जहाज कहां से आयेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सैंतीस मन्त्रियों की फौज के लिए दाना पानी चारा कहां से आता है? फिर आप यह कैसे कहते हैं कि हवाई जहाज कहां से आयेगा? हवाई जहाज उसी से आ सकता है जिससे इन 37 मन्त्रियों की फौज के लिए दाना–चारा आता है।

आज सवेरे प्रश्न था कि पन्द्रह आदमी किस कारण से मर गये? खराब आटे के कारण मर गये। आप जवाब देते हैं कि इसकी जांच होगी कि जौ का आटा खराब था या नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जनता के जीवन के मूल्य को नहीं मानने वाली सरकार को गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आप में जो लोग इतनी हिम्मत रखते हैं, जिनके अन्दर कुव्वत है, जो यह सोचते हैं कि वास्तव में बेरी आयोग की बात में सत्यता है, उसने बात सही और ठीक कही है, बस केवल पुराने संस्कार और सम्सर्ग की वजह से सुखाडिया को गोली काण्ड के अपराध से बचने का मौका दिया है, जिसके सम्बन्ध में जा हमारे दूसरे साथी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, उसके लिए एक बडी और फुल फ्लेज्ड इन्क्वायरी होनी चाहिए, इस षडयन्त्र के मामले में, जिसमें सुखाडिया सामने हो, सम्पूर्णानन्द जी तो आ नही सकते, उनके लिए तो बढ़िया शहादत हो सकती है जो हरिभाउ जी ने दे दी, उनके चले जाने के बाद। सबसे बढ़िया एवीडेंस उन्होंने दी। सेकिण्डरी एवीडेंस में उन्होंने कहा, तो सुखाडिया सामने

(श्री नत्थीसिंह)

हो और आपकी भीड उसके पीछे पीछे हो और बेरी जैसा जज हाई कोर्ट का ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठे और वह फैसला करे इस बात का कि निश्चित रूप से गोली चलाई और निरपराध लोगों का खून किया यह सुखाडिया जी का षडयन्त्र था। यह वास्तव में सही बात है कि सुखाडिया सामने नहीं आये और सम्पूर्णानन्द ने··

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस मामले को विन्डिक्टिव कोर्ट को दे देना चाहिए।

श्री नत्थी सिंह: आप कहते हैं कि इसे विन्डिक्टिव कोर्ट को दे देना चाहिए। आप लोग विन्डिक्टिव हो गये हैं इसलिए जो विन्डिक्टिव कोर्ट है वह फैसला करेगी। बेरी आयोग ने कहा कि यह सरकार विन्डिक्टिव है··

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : वह सरकार दूसरी थी ?

श्री नत्थीसिंह : पढो इसको। विन्डिक्टिव है, फिर कहते हैं गिरधारीलाल जी··

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

समय समाप्त हो रहा है इसलिए सदन की अनुमति से बैठक का समय दस मिनिट के लिए और बढाया जाता है। इसके पश्चात् माननीय सदस्य का भाषण समाप्त समझा जायगा।

श्री रामकिशन : लेकिन कुछ एक माननीय सदस्य जिनको ज्ञान नहीं है उनको तो रोक दें।

श्री उपाध्यक्ष: जिनको ज्ञान नहीं है, उनको तो मैं कैसे रोक सकता हूं।

श्री रामकिशन : गिरधारीलालजी को दो पेडे खिला दो, जिसकी चाहे गवाही दे देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा निवेदन यह था कि केवल 10 मिनिट बढ़ाने से ही सब माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा इसलिये सदन का समय और बढाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: समय और नहीं बढाया जा सकता।

श्री विजयसिंह (मकराना) : दो दिन का समय इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिये कम है कम से कम 3 दिन इसके लिये रखे जायं। गोली काण्ड के घोटाले को यों ही खत्म करना चाहते हैं तो आज ही खत्म कर दीजिय।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर प्लीज।

माननीय नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बेरी आयोग ने कहा है कि यह सारा गोलीकाण्ड विंडिक्टिवनेस के कारण था, बदला लेने की भावना से किया गया था। अभी हमारी शासक पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय कह रहे थे कि इसके लिए तो राज्य सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करे, हेस्टीनेस नहीं करे। जब जौहरी बाजार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जल्दबाजी कर दी धारा 144 हटाने की और पुलिस को हटाने में देरी कर दी, उन्होंने देखा कि हमारी पुलिस का मोरल नहीं गिर जाय, कहीं जोश कम नहीं हो जाय, डंडे, गोली चलाती रहे, इसमें कमी नहीं आ जाय। उसी तरह गिरधारीलालजी ने मांग की सरकार से कि सरकार जल्दबाजी नहीं करे, सरकार एक एक्सपर्ट बैठाये और देखे कि किस तरह बेरी

(श्री नत्थीसिंह)
आयोग के निर्णयों को कन्डेम किया जा सके। पर वे भूल गये इसे माननीय सदस्य, आज उन्होंने अपना सारा दिवालियापन महसूस किया, 1100 रु. पाने वाले एडवोकेट और पांच सौ और हजार हजार रुपया पाने वाले एडवोकेट उनको लायक नजर नहीं आ रहे थे। माननीय सूर्यनारायण चौधरी, सी. एन. शर्मा, महेन्द्र पंवार और खेतान साहब जिन्होंने जनता की तरफ से इस केस की पैरवी की वे ही सबसे अच्छे वकील नजर आ रहे थे जिनके कारण बेरी आयोग का फैसला आया कि यह सरकार खूनी है, हत्यारी है और हिंसा के आधार पर बनी हुई है. .

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : एब्सोल्यूटली रॉंग ।

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : उनका दिल बार-बार कह रहा था कि विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोगों की अगर इमदाद मिलती तो शायद उनका चेहरा बच जाता। अब आपको अपनी नालायकी का अहसास हो रहा है और अब आपको मालूम हो रहा है कि हमने खून किया है, नहीं तो केवल वितण्डावाद खडा नहीं करते ।

अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपमें हिम्मत है तो हिम्मत के साथ पार्टी मीटिंग में जाकर आपके नेता को, क्योंकि आप तो उनके कार्यकर्ता हैं, अपन नेता सुखाडियाजी को समझावें कि 13 तारीख को आपके दिल पर धक्का लगा था, बेरी आयोग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के साथ तथ्य आये हैं, उसको सही साबित करो तो इस चीफ मिनिस्टरी से स्तीफा दो, यह भारी भीड उनके पीछे पडी है उसको भी छुट्टी दो और यह कह देना कि मुझे भी कार और कोठी की जरूरत नहीं है, मेरे लिये तो होटल की रोटी ही अच्छी है, और कैन्सिल कराओ । कांग्रेस के वे लोग जो 1947 से पहले के हैं, जिनमें 47 से पहले के तनिक भी जज्बात बाकी हैं, जो जनता के जीवन के मूल्य को समझते हैं वे सुखाडियाजी को मजबूर कर दें कि वे इस गद्दी को छोड दें, और कोई चारा नहीं है ।

मुझे अपनी मूरत दीख आई, 1947 से पहले के बडे लोग भी केबिनेट में बैठकर भीगी बिल्ली बन गये हैं, खून किया है तो भी कोई बात नहीं, बूढे दिनों में नौकरी दी है, बने रहो 72 तक, और भी गोली चलानी पडे तो कोई बात नहीं पर गद्दी नहीं छोडना है। जनतन्त्र को मिटाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर ज्यादा होगी जो 1947 से पहले के कांग्रेसी हैं, राष्ट्रीय आन्दोलन से जिनका सम्बन्ध रहा है, वे अपनी आंखों के सामने जनतन्त्र का खून होता देख रहे हैं। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि अब भी वे चेतें, सोचें और सम्हलें, सुखाडियाजी को और उनकी फौज को मजबूर करें कि अपने दामन पर पडे खून के दाग को पौंछने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सायं 5–5 पर सदन की कार्यवाही दिनांक 11–3–69 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची)

सरपंच के पुत्रों के नाम एलॉट भूमि की सूची

नाम	सर्वे नम्बर	रकवा	लगान
श्री जयदेवसिंह	45/1	6—00	3.60
श्री ललितकुमार सिंह	45/2	1—50	0.90
	147	1—42	0.83
	104/1	1—20	1.31
श्री महेन्द्रसिंह	599/445	6—00	3.60

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 209 की सूची)

गत दो वर्षों में बागों के लिए नव स्वीकृत पानी व भूमि का विवरण, गंग नहर खण्ड 1, श्री गंगानगर

क्र. सं.	नहर शाखा	नाम भूमिधारी	नाम चक	स्वीकृति रकबा बी. बि.	प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	बाग स्वीकृति की तारीख	सक्षम अधिकारी	इससे पूर्व पेंडिंग पड़े प्रार्थना पत्रों की संख्या	समय का विवरण जब से पेंडिंग पड़े हैं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एफ. सिस्टम	श्री गुरदीपसिह	16 ओ.	25-19	16-3-61	30-8-68	मुख्य अभियन्ता सिंचाई	12	1957 से 1961 तक	
		श्री पाल सिह	20 एफ.	5-0	21-2-64	3-9-68	,,	48	1957 से 2164 तक	
		श्री दयालसिह	20 एफ.	4-18	21-2-64	3-9-68	,,	48	1957 से 2164 तक	
2.	एच. सिस्टम	श्रीमती पंजाब कौर	4 टी.	15-14	21-9-62	6-12-68	,,	11	1961-62 से	
3.	जैड. सिस्टम	श्री राजेन्द्र सिह	1 ए. छोटी	4-10	1959	15-7-67	राज्य सरकार (सिंचाई)	शून्य	शून्य	

	श्री अर्जुनसिंह	1 ए. छोटी	4-16	1960	20-4-67	,,	शून्य	शून्य
	श्री अरुण कुमार	1 बी. छोटी प्रथम	10-0	20-8-63	20-4-67	,,	16	1961 से 8163
	श्री जगदीश राय	5 जैड	3-0	1960	20-9-67	मुख्य अभियन्ता	शून्य	शून्य
	श्री बजरंगलाल	14 जैड.	5-10	1959	8-8-67	राज्य सरकार	शून्य	शून्य
	श्री महावीर प्रसाद	14 जैड.	6-0	1959	8-8-67	,,	शून्य	शून्य
4. जी. जी. माइनर	श्री छगनलाल	8 जी. छोटी	5-0	8-10-58	2-4-68	मुख्य अभियन्ता सिचाई	शून्य	शून्य
	श्री सुरेन्द्र प्रकाश भाटिया	2 जी. द्वितीय	5-0	28-10-63	3-4-68	मुख्य अभियन्ता सिचाई	शून्य	शून्य
5. बी. बी. माइनर	जी बलवन्तसिंह	2 बी. बी.	6-0	26-6-63	17-2-67	,,	शून्य	शून्य
	श्री सुखलाल	9 बी. बी.	3-16	10-6-64	17-2-67	,,	3	मार्च सन् 64 से
	श्री प्रभु दयाल	9 बी. बी.	5-0	27-11-62	17-2-67	,,	शून्य	शून्य
	श्री कस्तूरीलाल	24 बी. बी.	2-0	3162	18-6-68	,,	शून्य	शून्य

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची)

सागर बांध		राणा प्रताप सागर बांध	कोटा बांध क्षेत्र एकड़ों में	कोटा बेराज क्षेत्र एकड़ों में	योग
1962–63	..	2500	..	3400	5900
1963–64	..	1000	1500	2000	4500
1964–65	..	..	12000	10100	22100
1965–66	..	7600	1000	3300	11900
1966–67	..	6500	2015	1000	9515
1967–68	..	2500	6350	2100	10950
	..	20100	22865	21900	64865

परिशिष्ट (4)

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम मानपुरा ढाणी में भूमि का एलाटमेन्ट

219. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मानपुरा ढाणी, पंचायत पीपल्दा, तहसील रामगंज मंडी में वन विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों को बेदखल किया गया है या किया जा रहा है जिन्हें एलॉटमेंट कमेटी द्वारा भूमि एलॉट की गई थी? यदि हां, तो क्यों, और कितने व्यक्तियों को?

(2) क्या यह सही है कि गिरवरजी पुत्र कालूजी ने रसीद संख्या 62 पर दिनांक 6-6-62 व बाद में बराबर भू-राजस्व चुकाई है परन्तु उसे भी वन विभाग ने ट्रेसपासर मान कर अपनी भूमि से हटाया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) वन विभाग व राजस्व विभाग में सीमांकन नहीं होने या गलत इन्द्राज होने की सूरत में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता रहा है और उसे ठीक करने के लिये विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमि एलॉट करने की जानकारी इस विभाग को नहीं है। वन विभाग ने वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध ही बेदखली की कार्यवाही की है। ऐसे 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(2) मानपुर ढाणी के इस नाम के व्यक्ति के विरुद्ध वन विभाग से कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व चुकाने का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(3) अभी राजस्व तथा वन अधिकारी मौजूदा नक्शों से अपनी अपनी सरहद का मीलान करते हैं। वन बन्दोबस्त द्वारा निर्धारित सीमा रेखाओं को राजस्व नक्शों में अंकित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

भूतपूर्व अलवर राज्य का पुण्य फण्ड

220. श्री **गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अलवर राज्य में पुण्य फण्ड नाम का एक फण्ड देवस्थान विभाग में था जिसमें मुआफी-जात के ग्राम का राजस्व जमा होता था और उसमें से मंदिरों, निराश्रित विधवाओं तथा कुछ शिक्षण संस्थाओं को वेतन 5) से 15) रु. तक दिया जाता था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फण्ड से 46 व्यक्तियों को वृत्ति मिलती थी वह उन्हें गत 6 वर्ष से नहीं मिल रही है?

(3) क्या यह सही है कि मत्स्य राज्य के राजस्थान में विलीन होने पर इस फन्ड में 20,000) रु. था?

(4) यदि हां, तो उक्त रकम का क्या हुआ?

(देवस्थान मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस फन्ड से 10 मन्दिर, 20 विधवाओं व 3 संस्थाओं को वृति मिलती थी जो दिनांक 31-3-60 से बन्द थी। अब संस्थाओं को दिनांक 31-12-62 तक का भुगतान किया जा चुका है।

(3) यह सही नहीं है। राजस्थान राज्य के निर्माण के समय पुण्य फन्ड अलवर में केवल 9789.85 पैसे नेशनल सेविंग के रूप में मिले थे।

(4) सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान किया गया।

ट्रान्सफार्मर्स जलने के कारणों की जांच

221. श्री **हरि बल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर सब-डिवीजन में जनवरी, 1968 से फरवरी सन् 1968 तक किस लाइन पर किस-किस स्थान पर ट्रांसफार्मर जले हैं और इस सब-डिवीजन म सन् 1967 में कुल कितने ट्रांसफार्मर्स जले?

(2) क्या इन ट्रांसफार्मर्स के जलने की इत्तला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान को मिलती रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सन् 1967 एवं फरवरी सन् 1968 तक जले हुए उक्त ट्रांसफार्मर्स के कारण कितनी क्षति हुई?

(4) क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इन ट्रांसफार्मर्स के जलने के कारणों की कोई जांच करवाई? यदि हां, तो क्या किसी कर्मचारी को इसके लिये दोषी ठहराया गया, और उसके खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जनवरी 68 से फरवरी 68 तक एक भी ट्रांसफार्मर नहीं जला। सन 1967 म कुल 2 ट्रांसफार्मर जले थे।

(2) समय समय पर ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मण्डल के सम्बन्धित अधिकारियों को मिलती रही है।

(3) लगभग 3000–3500 रुपये।

(4) जी हां। ट्रांसफार्मर में हुई खराबी अर्थ फाल्ट होने से या ट्रांसफार्मर की भीतरी वाईडिंग की इन्स्यूलेशन की खामी के कारण हुई थी। अत: इनके लिये किसी विशेष कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया।

सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण

222. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान में कब से शुरू किया गया और इसके लिए क्या-क्या योजना थी।

(2) यह योजना भारत सरकार की थी या राजस्थान सरकार की? उक्त योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये गये और उनको प्रशिक्षण काल में क्या 2 सुविधाएं दी गई और कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना चालू करते समय अर्थात् प्रशिक्षण में भर्ती करते समय उनके ग्रेड आदि के बारे में कोई निर्णय नहीं किया था ? यदि हां, तो क्यों और बाद में ग्रेड किस आधार पर तय किया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से कम योग्य तथा कम समय की ट्रेनिंग वाले स्टाफ को भी इनके समान ग्रेड दिया जाता है ? यदि हां, तो किन किन विभागों के किस किस स्टाफ को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों को अपने पद से आगे कोई पद-वृद्धि का चांस नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इस कारण कार्य करने वाले स्टाफ की कर्तव्य परायणता में शिथिलता नहीं आती ?

(7) क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि उपरोक्त स्टाफ के लिए कोई पद-वृद्धि का रास्ता निकाला जाय ?

(8) उपरोक्त स्टाफ में से कोई डाक्टर के कोर्स में भर्ती होना चाहता हो तो राज्य सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था कर सकेगी ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त योजना डाक्टरों की कमी को दूर करने या डाक्टरों की जगह इनसे कार्य लेने के लिए बनाई गई थी ? यदि हां, तो जब डाक्टरों की कमी दूर हो जायेगी तब इनका भविष्य क्या होगा ?

(10) उपरोक्त सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से क्या क्या कार्य लिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान में दिनांक 14-2-58 से प्रारम्भ हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों म चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना था।

(2) यह योजना भारत सरकार की थी । योजना की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 396 सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये गये । प्रशिक्षणकाल में निःशुल्क प्रशिक्षण तथा रुपये 50) माहवार छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है । इस पर प्रतिवर्ष 1,84,000 रुपये खर्च होते हैं ।

(4) जी हां । किन्तु प्रशिक्षार्थी के पहिले बैच क उपलब्ध होने के साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक डी. 6141/एफ. (14) (81) एम.पी.एच./58 दिनांक 24-9-59 द्वारा इन की ग्रेड 80-5-110-

(चिकित्सा मंत्री)

ईबी-8-150 निर्धारित की गई थी वर्तमान ग्रेड 120 से 240 रुपये तक है।

(5) जी हां इस विभाग से सम्बन्धित सूची संलग्न है। अन्य विभागों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(6) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(7) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(8) सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यदि डाक्टरी कोर्स में भर्ती होना चाहें और प्रवेश की शर्तें पूरी करता है तो राज्य सरकार उसे प्रशिक्षण अवधि अवकाश स्वीकृत करती है।

(9) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(10) सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से लिए जाने वाले कार्य की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

हिन्डौन में कुओं के लिए बिजली

223. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन मु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि चम्बल की बिजली हिन्डौन व अन्य स्थानों पर पहुंच जाने पर भी हिन्डौन के कुओं को बिजली नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(2) हिन्डौन के महु, इब्राहीमपुर व हिन्डौन से सुरोठ कस्बों को बिजली दिलाये जाने में सरकार क्या कदम उठा रही है, और कब तक बिजली पहुंच रही है?

(3) क्या यह सच है कि पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान अपने कुओं में बिजली लगाने को तैयार है? यदि हां, तो उनको बिजली क्यों नहीं दी जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। हिण्डौन के 37 कुओं को बिजली दी जा चुकी है।

(2) ये ग्राम अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं हैं, अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां। क्षमता की कमी के कारण।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूची)

सूची "अ"

क्र सं.	नाम कृषक	ग्राम का नाम	सिक्योरिटी की रकम जमा की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री गनपत सेवा	नीम-का-थाना	2-8-67
2.	श्री नारायण गनपता सूरजा	"	"
3.	श्री नाथूराम बोधाराम	"	"
4.	श्री रिछपाल सिंह	"	"
5.	श्री मूराराम चन्द्रा राम	"	"
6.	श्री रामसहाय छथाराम	"	"
7.	श्री रामसहाय	"	"
8.	श्री कालू मूला राम	"	"
9.	श्री राम सहाय बन्शी	"	"
10.	श्री मूला मन्शा	"	"
11.	श्री झूंथाराम बनाराम	रामगढ (दांता)	24-9-68
12.	श्री बकशाराम जेसाराम	"	"
13.	श्री नारायण प्रसाद बिहारीलाल ..	"	"
14.	श्री गोपीचन्द काशनीवाल	दांता	7-12-68
15.	श्री जगदीश प्रसाद मोहनलाल ..	"	10-12-68

Page No 136

1	2	3	4
16.	श्री लालूराम श्री डालूराम ..	दांता	2-12-68
17.	श्री मदनलाल देवरागा	,,	,,
18.	श्री दीपसिंह अमरसिंह	महरोली	10-4-68
19.	श्री रामनाथ मंगला	मछा[illegible]	13-11-68
20.	श्री गनेशपुरी लिछमनपुरी	रींगस	27-4-68
21.	श्री आलूसिंह किशनसिंह	खाटू	28-7-67
22.	श्री गोविन्द सहाय लाडा	आरनिया	18-11-66
23.	श्री गोवर्धन सिंह	मऊ	28-1-68
24.	श्री भगवान सिंह	हांसपुर	28-1-59
25.	श्री रामगोपाल माली	श्री माधोपुर	
26.	श्री सुखाराम गुमानाराम	कांवट	2-5-67
27.	श्री सीताराम बालाबक्श	खण्डेला	20-12-68
28.	श्री हरबक्स भगवान दास		,,
29.	श्री शंकरलाल बालू साधु	,,	
30.	श्री चान्दमल बालाबक्स	,	

Page No 137

सूची 'ब'

क्र.सं.	नाम कृषक	गांव	दिनांक सिक्योरिटी जमा कराने की	विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री जगदीश प्रसाद चांदमल	जैलूसर	11-4-67	कनेक्शन जैलूसर की 9 कुओं वाली स्कीम से लेना था, जो कि केन्सिल हो गई है।
2.	श्री हुकमाराम बालूराम	जैलूसर	20-1-67	
3.	श्री मांगीलाल मूरामल ..	"	"	यह एक 9 कुओं की स्कीम थी, जिन में दो कृषकों ने सिक्योरिटी के पैसे जमा नहीं करवाए हैं।
4.	श्री बांगूराम बिडदाराम ..	"	"	
5.	श्री गिरधारीलाल डोलाराम	"	"	
6.	श्री श्योजीराम सुखाराम ..	"	"	
7.	श्री बिडदाराम जीवनराम	"	"	
8.	श्री छोटूराम लखाराम ..	"	28-1-67	
9.	श्री मूराम प्रसाद ..	सरगोठ	26-3-67	यह एक 10 कुओं की स्कीम थी जिसमें 7 कृषकों ने सिक्योरिटी के पैसे जमा नहीं करवाए हैं।
10.	श्री बुधराम पृथ्वीसिंह ..	"	"	

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूची)

अधिकारियों की सूची

सेवा का नाम	चयन वेतन मान	पदों की संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1	2	3	4	5
1 आई. ई. एस. (भा.प्र.से.)	1800-2000	4	1 श्री जे. एस. मेहता, सचिव, शिक्षा विभाग 2 रिक्त 3 रिक्त 4 रिक्त	
2 आई.पी.एस. (भा. प्र.से.)	1400/- (स्थिर)	2 (वैयक्तिक)	दोनों पद रिक्त	
3 राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा	2000-2500	5 (वैयक्तिक)	1 श्री दुर्गाशंकर आचार्य 2 श्री एस.एन. मोदी 3 श्री आर.डी. गट्टानी 4 श्री सरदार सिंह 5 श्री एस.पी. मेहरा	सचिव, विधि विभाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,, ,, पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
4 राजस्थान पुलिस सेवा	1250/- (स्थिर)	5 (वैयक्तिक)	1 श्री शम्भूनाथ भार्गव (स्थानापन्न आई. पी. एस.) 2 श्री नारायण सिंह (स्थानापन्न आई. पी. एस.) 3 श्री यू.एन. मिश्रा (स्थानापन्न आई. पी. एस.) 4 श्री लक्ष्मण सिंह	पुलिस अधीक्षक सिक्यूरीटी जोन, जयपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उदयपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्राइम ब्रांच, जयपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (फ्रुड) जयपुर।

1	2	3	4	5
			5 श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर
राजस्थान लेखासेवा	1100–1500	3	1 श्री विष्णु मिश्र सक्सेना	मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर
			2 श्री वल्लभ चन्द भंसाली	मुख्य लेखाधिकारी, चम्बल परियोजना, कोटा
			3 रिक्त	परीक्षक, स्थानीय-निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
राजस्थान सांख्यिकी सेवा	1100-1500	2	1 श्री के.एल. वर्मा	निदेशक, सांख्यिकी व आर्थिक विभाग
			2 श्री के.के. सहगल	निदेशक, मूल्यांकन एवं गजेटियर विभाग
राजस्थान प्रशासनिक सेवा	राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संस्थाई जो चयन वेतनमान में हैं:—			
			1. श्री श्यामकरण सिंह	उप-आयुक्त आबकारी विभाग, उदयपुर
			2. श्री प्रताप सिंह (भा.प्र.से.) (परिवीक्षाधीन)	स्थानापन्न कलेक्टर, सिरोही
			3. श्री रामकुमार सिंह	स्थानापन्न अपर-पंजीयक-सहकारी विभाग, जयपुर
			4. श्री एस.एस.एम. दवे	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
			5. श्री मानसिंह सारंगदूत	राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर
			6. श्री तेजनारायण काक भा.प्र.से. (परिवीक्षाधीन)	स्थानापन्न कलेक्टर, बून्दी

Page No 140

1	2	3	4	5
			7. विजय सिंह, भा. प्र.से.	कलेक्टर, पाली
			8. श्री बृजेन्द्र सिंह भा.प्र.से. (परिवीक्षाधीन)	स्थानापन्न कलेक्टर, चितौड़गढ़
			9. मायाराम, भा.प्र. से., (स्थानापन्न)	,, सीकर
			10. श्री बालेन्द्र शर्मा	(प्रतिनियुक्ति पर) कार्यपालक अधिकारी, नाथद्वारा मंदिर बोर्ड, उदयपुर
			11. श्री हरिमोहन माथुर	अपर आयुक्त विभागीय जांच, जयपुर
			12. श्री पी.एन.सेठ, भा.प्र.से. (स्थानापन्न)	स्थानापन्न कलेक्टर टोंक
			13. श्री बनेसिंह	प्रधानाचार्य, बहु उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण स्कूल, टोंक
			14. भगवान सहाय जोशी	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर
			15. श्री बी.के.बिजू	संयक्त निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर
			16. श्री जगदीश राम शर्मा	सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी जो तदर्थ आधार पर चयन वेतन मान के पद धारण किये हुए है :—

			1 श्री तुलसीराम अग्रवाल	उप-आयक्त, सी.टी.डी., जयपुर

Page No 141

1	2	3	4	5
			2 श्री एस.डी.गुप्ता	उप-आयुक्त (प्रशासन), सी.टी.डी., जयपुर
			3 श्री शिवकरण काविया	सचिव, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा आयोग, जयपुर
			4 श्री एम.एन.कौल	राजस्व अपील अधिकारी, कोटा
			5 श्री आर.सी.माथुर	(प्रतिनियुक्ति पर) प्रबन्धक निदेशक, भाण्डागार निगम, जयपुर
			6 श्री बालासहाय शर्मा	विशेषाधिकारी राजस्व विभाग, जयपुर
			7 श्री उम्मेदसिंह	(प्रतिनियुक्ति पर) जिला प्रबन्धक, खाद्य निगम, भारत सरकार, जयपुर
			8 श्री एन.बी.सुखदाई,	विशेषाधिकारी, परिवार नियोजन, जयपुर
			9 श्री बने सिंह III	संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर
			10 श्री बी.एल.दसोरा	निदेशक, प्रशिक्षण, जयपुर
			11 श्री बरीसाल सिंह	पर बन्दोबस्त आयुक्त, जयपुर
			12 श्री एस.के.व्यास	संयुक्त पंजीयक, सहकारी विभाग, जयपुर
			13 श्री शिवराम जैन	निदेशक, परिवहन विभाग, जयपुर
			14 श्री ब्रह्मदत्त शर्मा	प्रबन्धक निदेशक, केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, बून्दी (प्रतिनियुक्ति पर)
			15 श्री बी.एल.कटेरा	उप-आयुक्त अपील, सी.टी.डी., अजमेर

1	2	3	4	5
			16 श्री भोपाल सिंह	राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर
			17 श्री गुलाब सिंह मेहता	अपर कलेक्टर, बीकानेर
			18 श्री हीरालाल ठकोरे	अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
			19 श्री के.एल.पुरोहित	बन्दोबस्त अधिकारी, भीलवाड़ा
			20 श्री यशोदेव वर्मा,	जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
			21 श्री एन.एम. वर्मा	विशेषाधिकारी (निमुक्ति) नियम: जयपुर
			22 श्री जयशंकर श्रीमाली	बन्दोबस्त अधिकारी, जोधपुर
			23 श्री सी.बी.एल.के. गुप्ता	अपर जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
			24 श्री सी.एस. पन्चोली	महाप्रबन्धक, जयपुर दुग्ध वितरण, जयपुर
			25 श्री जगरूप सहाय माथुर	अपर आयुक्त, अकाल सहायता, जयपुर
			26 श्री रणजीत सिंह कोठारी	पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में
			27 श्री मातादीन शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी, सी.टी.डी., जयपुर

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र.सं. 117 की सूची)

S.No.	Name of Locality	Tehsil
1.	Sudsar	Dungargarh
2.	Kasba Dungargarh	-do-
3.	Momasar	-do-
4.	Bijasar	-do-
5.	Dungargarh Rly. St.	-do-
6.	Beegs	-do-
7.	Adsar	-do-
8.	Dulchosar	-do-
9.	Gopalsar	-do-
10.	Darajsar	-do-
11.	Sheruna	-do-
12.	Dhirdesar Purchitan	-do-
13.	Sardarshahar	Sardarshahar
14.	Dulrsar	-do-
15.	Derajsar	-do-
16.	Mahraser Upadhiyar	-do-
17.	Pulasar	-do
18.	Bardejsar	-do-
19.	Khiwansar	-do-
20.	Udssar Bibawaton	-do-
21.	Sarsar	-do-
22.	Jiwandesar Purchitan	-do-
23.	Taranagar	Taranagar
24.	Bagna	-do-
25.	Bhomin	-do-
26.	Tharsar Ramdlen	-do-
27.	Dabri	-do-
28.	Dhirwas	-do-
29.	Shawa	-do-
30.	Berra	-do-

जिला चूरू तहसील सरदारशहर के निम्नलिखित ग्रामों को सन् 1968-69 के अन्तर्गत शामिल किया जाकर योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है:—

क.स.	नाम ग्राम	तहसील
1.	अनदवासी	सरदार शहर
2.	मागासर	,,
3.	उदासर चारनान	,,
4.	कल्याणपुर बिदावतान	,,
5.	कल्याणपुर पुरोहितान	,,
6	रानासर बीकान	,,
7.	रामसर परिहारान	,,

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची)

तहसील झालरापाटन के गांवों की सूची जिन्हें अभावग्रस्त घोषित किया गया है ।

(1) विन्दा
(2) वोरवा
(3) टोलखेडा
(4) दिनिया खेडी
(5) पूरा
(6) मोरीया खेडो
(7) सेंकला
(8) मालीपुरा
(9) वाली
(10) गुढा
(11) सीताफल
(12) भावडा खेडा
(13) मन्डावर
(14) वावडी खेडा
(15) श्योपुर
(16) कालाकोट
(17) सेमली
(18) चांदीयाखेडी
(19) वनजारी
(20) कोटडा
(21) नलखाडी
(22) गडारी
(23) रातीतलाई
(24) प्रथ्या खेडी
(25) ढावली खुर्द
(26) कनवाडा
(27) नदीया खेडी
(28) झोन्झनी
(29) विरिया खेडी खुर्द
(30) झा. पाटन
(31) वानोदी
(32) बालो.
(33) धानोदा
(34) नयापुरा
(35) माडा
(36) श्यामपुरा
(37) सरावा
(38) जगनाथपुरी
(39) समराई
(40) मोतीपुरा
(41) विन्दलाई
(42) गोदीया
(43) साकलीखेडा
(44) भीलवाडा
(45) गिन्दोर
(46) खेरासी
(47) गोपालपुरा
(48) झीरनिया
(49) किशनपुरा
(50) गोकुलपुरा
(51) रायपुर
(52) वृन्दावन
(53) वालगढ
(54) विलांनिया
(55) रून्डलाव
(56) रामपुरिया
(57) गोविन्दपुरा
(58) किशनपुरा

Page No 146

(59) सोहनखेडी
(60) करायखेडी
(61) रलायती
(62) गोरखनवास
(63) नारायणखेडी
(64) उन्डल
(65) मुन्डलिया खेडी
(66) खानपुरिया
(67) रलायता
(68) निमोदा
(69) देवरी
(70) वकान
(71) लालिया खेडी
(72) करलगांव
(73) पुनियाखेडी
(74) मोलनिया खुर्द
(75) देवनगर
(76) भूमाडा
(77) नमाडी
(78) नपानिया दल्ला
(79) श्योपुरा
(80) मोतीपुरा
(81) खाचरोल
(82) कोटडावाटा
(83) सलावद
(84) उखडी
(85) गनेशपुरा
(86) झीझनिया
(87) उम्मेदपुरा
(88) नरसिंह पुरा
(89) हरिपुरा
(90) जगपुरा
(91) कोटडा कुन्जा
(92) खटखड
(93) बडायें
(94) भरखेडा कलां
(95) भरखेडा खुर्द
(96) नेजखेडी
(97) दियाखेरी
(98) किशनपुरा
(99) कवरिया
(100) नागौर
(101) देवर
(102) चक देवर I
(103) चक देवर II
(104) जगरपुरा
(105) मायाखेडी
(106) महेशपुरा
(107) कुशलपुरा
(108) गणेशपुरा
109) श्रीपुरा
(110) विजयपुरा
(111) नया खेडा
(112) गोविन्दपुरा
(113) लालपुरी
(114) आनन्द पुरा
(115) गोरधनपुरा
(116) गिरधरपुरा
(117) टोकडी
(118) नीमखेडा
(119) लालपुरा
(120) काल्या सेई
(121) मोडी
(122) बांसखोयरी
(123) सूरजपुरा
(124) मानपुरा
(125) लोडाखेडा
(126) कोटडा राडी

(127) अमर खुर्द
(128) आमझर खुर्द
(129) मानपुरिया
(130) दांतिया
(131) वाजडिया कलां
(132) आगरिया
(133) गंगपुरा
(134) बोरझडी
(135) बावडी खेडा
(136) नरसिंहपुरा
(137) नाहरडी कलां
(138) नाहरडी खुर्द
(139) दौलतपुरा
(140) लक्ष्मी पुरा
(141) पृथ्वी पुरा
(142) प्रेमपुरा
(143) रूपपुर
(144) सवाखेद
(145) गणेशपुरा
(146) अमरपुरा
(147) दागल
(148) सुलीपुरी
(149) हरीपुरा लेवडा
(150) खेरीया
(151) मोरखेडी
(152) चारडूंगरी
(153) राजपुरा
(154) सकदपुरा
(155) पचपीपलिया
(156) कौली
(157) गरवाता
(158) देवरी
(159) पिलज्य नग्या
(160) गोविन्दपुरा
(161) टिटोडिया
(162) गोपाल पुरा
(163) मदन पुरा
(164) शेखपुर
(165) हरी पुरा

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची)

ट्रेक्टर द्वारा किया गया कार्य

माह	रकबा बीघा	नाम ग्राम
मई, 67	38	टोंचा, नियाना व मोखमपुरा
अगस्त, 67	9	हरनावदी व छीपाबडोद
अक्टूबर, 67	39½	बिलेंडी व अटरू
नवम्बर, 67	1½	गुलखेडी
फरवरी, 68	10	फूलबडोदी
अप्रेल, 68	2	छीपाबडोद
जून, 68	8	छीपाबडोद व सारथल
जुलाई, 68	15	अटरू व छीपाबडोद
अगस्त, 68	13	छीपाबडोद, पछाई, जमीराघाट व पछाड

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची)

सूची ऋण बकाया श्री रघुवीर सिंह प्रधान पंचायत समिति उमरेन (अलवर)

(1)	पम्पिग सेट	300) रु. दीर्घकालीन ऋण।
(2)	पक्की नाली	2500) रु. स्वीकृत है, जिसकी अंतिम किस्त बकाया है।
(3)	खाद एवं बीज	सन् 1965-66, 1967-68 तक खाद व बीज की धनराशि मय ब्याज के 5193.62 पैसे बकाया है।

सूची ऋणी जो पंचायत समिति उमरेन के सदस्य हैं :—

क्र. सं.	नाम सदस्य	कार्य जिसके लिए ऋण दिया	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामदेवा सरपंच माडोडी	कूप मरम्मत	500.00 600.00	500.00 540.00	
2.	,, बागसिह सरपन्च पतजडी	,,	2000.00	2000.00	
3.	,, करणसिह सरपंच सालूर	कुक्कुटशाला	2500.00	2500.00	
4.	,, छोटेलाल सरपंच बरसेडा	बैल खरीद	400.00	400.00	
5.	,, —	कूप निर्माण	1000.00	900.00	
6.	,, मेदसिह सरपंच शिकारिया वास	,,	2000.00	2000.00	
7.	,, ,, ,,	कूप मरम्मत	1000.00	1000.00	
	,, ,, ,,	पम्पिग सेट	2000.00	2000.00	
8.	,, रामजीलाल सरपंच अकबरपुरा	कूप गहरा	1500.00	1500.00	
	,, ,,	पक्का चैनल व कूप गहरा	1500.00	1500.00	
9.	,, लादूराम स. सदस्य उमरेन	मू. नि.	2000.00	2000.00	
10.	,, बनेसिह सरपंच सामोला	कूप निर्माण	2000.00	1800.00	
11.	,, सम्पत खां सरपंच चांदोली	कू. नि.	500.00		
12.	,, साहबुद्दीन सरपंच महुआ	कू. म.	1500.00	1350.00	

Page No 150

1	2	3	4	5	6
13.	श्री पांचूराम सरपंच डहरा	कु. म.	600.00	300.00	
14.	,, देवीसिंह सरपंच ढाकवरी	,,	500.00	500.00	
	,, ,,	,,	1000.00	1000.00	
15.	,, मुगनसिंह सरपंच पृथ्वी पुरा	मोटर पं.	2500.00	2500.00	
16.	,, गणेश राम सरपंच बस्तपुरा	भेड़ [illegible]	1000.00	1000.00	
	,, ,,	रहट	400.00	200.00	
17.	,, रामपालसिंह सरपंच तुलेडा	मु. पं.	1200.00	600.00	
	,, ,,	पं. सैट	2000.00	2000.00	
	,,	कु. नि.	1500.00	750.00	
	,,	नाली	1500.00	1350.00	
	,, ,,	कु म.	1000.00	500.00	
18.	,, रामजीवन सरपंच पाला	पम्पिग सैट	2500.00	1250.00	

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	10	मानुपतपसिह	मानुप्रताप सिंह
,,	न्तिम से 2	उप मंत्री ंचाय	उप-मंत्री पंचायत
5	17	कई	कोई
7	अन्तिम से 10	श्री नाथूरम	श्री नाथूराम
,,	अन्तिम से 2	एंग्रमेंट	एग्रीमेंट
8	9	6, 400 एकड	6400 एकड
,,	अन्तिम से 11	कपट मेंट	कम्पार्टमेन्ट
9	4	मूल	कुल
,,	अंतिम से 4	अन्डरी	अन्डर
11	16	वांघ	बांध
14	अंतिम लाइन	उनक	उनका
25	अंतिम से 13	क्लेक्टर	कलेक्टर
	1	वले.टर	कलेक्टर
26	अन्तिम से 10	राजस्थन	राजस्थान
27	अन्तिम से 2	की कटा	का कोटा
28	10	श्री दोलत राम सारण	श्री दौलत राम सारण
32	अन्तिम से 2	श्री दौलत रान्न साश्न	श्री दौलत राम सारण
37	5	अफसर	ऑफिसर
,,	9	प्रोजेक्टस	प्रोजेक्ट्स
,,	17	968	1968
39	अन्तिम से 8	अन्तगंत	अन्तर्गत
,,	अन्तिम से 7	गय	गयी
,,	6	ले र	लेकर
45	अन्तिम से 3	श्री रामप्रसाद लडढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
50	अन्तिम से 11	श्री कृष्ण कुमार ोयल	श्री कृष्ण कुमार गोयल
	अन्तिम से 10	दि	दी
55	अन्तिम से 7	सक्रय	सक्रिय
58	2	कम्पना	कंपनी
61	10	सलेक्शन	सिलेक्शन
70	6	सामोद	सांगोद
75	16	यदि-ह	यदि हां
86	शोर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	प्रतिवेदनों एवं याचिकाओं का उपस्थापन
87	अन्तिम से 11	सूचित जायेगा	सूचित किया जायेगा
104	अन्तिम से 12	स प्रकार	इस प्रकार
,,	अन्तिम से 3	इन्जरी व ाई	इन्जरी बताई
116	10	ी परसरा मदेरना	श्री परसराम मदेरणा
123	11	अपत्ति	आपत्ति
131	2	कि	की
,,	14	नहीं हो	नहीं होगा
132	अन्तिम से 2	ााले से आने वाले माननीय सदस्य और पाली की तरफ से आने वाले माननीय स.स्य	—
133	1		
133	अन्तिम से 10 व 7.6	कान्सिपरेसी	कान्सप्रेसी
137	5	इनक्वायरीज	इन्क्वायरीज
,,	अन्तिम से 8	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र

1	2	3	4
138	अन्तिम से 6	एक्ससेप्ट	एक्सेप्ट
139	1	वरी	बेरी
140	8	कान्फरेंस	कान्फ्रेंस
„	13	स्क्रटिनी	स्क्रुटिनी
141	अन्तिम से 3	झठा	झूठा
142	12	ohicf	chief
„	20	ज्युडिशियरी	जुडिशियरी
143	अन्तिम से 5	विठाया	बिठाया
151	13	चौहान	चव्हाण
153	अन्तिम से 8	पर फेंक	पर पत्थर फेंक
155	9	कमिशन	कमीशन
159	अन्तिम से 16	कांग्रेस मत्री	कांग्रेसी मंत्री
160	अन्तिम से 9	क ग्र ट	कांग्रेस पार्टी
171	2	prty	Party
177	7	सोशियेलिस्ट	सोशलिस्ट
„	14	व लाग	वे लोग
194	16	मजिसट्रट	मजिस्ट्रेट
195	8	सुखडिया	सुखाडिया
„	अन्तिम से 7	बचान	बचाने
201	शीर्षक	वे ी	वेरी
„	5	ऐसा न किया	ऐसा नहीं किया
204	5	न्साफ	इन्साफ
206	अन्तिम से 10	ा किये	पैदा किया
209	अन्तिम से 6	दने पडते	देने पडते
210	अन्तिम लाइन	राइटस	रायेटर्स
216	7, 14 व 20, 21	श्री उपादक्ष	श्री उपाध्यक्ष
217	7	सइकील जिकल	साइकोलोजिकल
„	8	ह य	हृदय
221	10	रखन	रखने
230	अन्तिम से 3	नापत	नापते
„	अन्तिम लाइन	1100———	1100 रु. का पट्टा दिया है
233	अन्तिम से 11	वर्ल्वास्त	वर्खास्त
237	अन्तिम से 6	सुखडिया	सुखाडिया
„	अन्तिम से 3	समझ	समझा
238	अन्तिम से 4	श्री सतीश चन्द अ वाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
239	अन्तिम से 10 व 5	श्री विश्वम्वरनाथ जशी	श्री विश्वम्बर नाथ जोशी
252	15	इदे	बुरे
„	17	गददी	गद्दी
257	4	श्री झार्रसिह	श्री जुझार सिंह
„	3	ए ट मेन्ट	एलाटमेन्ट
273	14	पिलज्यनग्या	पिलवरनग्या
274	8	15	15½
„	„	टरू	अटरू
275	अन्तिम से दूसरी	साहबटदीन	साहबुद्दीन
276	6	मड लिन	भेड पालन
276	14	क म.	कू. म.
276	15	सट	सैट
„	„	2 00.00	2500.00